राजस्थान विधान सभा

७वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक १५ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा भवन जयपुर में प्रातः ८ बज कर ३५ मिनट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३९

सन् ५४-५५ में अधिकारियों को राजस्थान के बाहर ट्रेनिंग में भेजना।

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्रीजी निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) सन् १९५४-५५ के वर्ष में राजस्थान के बाहर कौन कौन ऑफिसर किस किस काम की ट्रेनिंग के लिए कहां कहां सरकार द्वारा भेजे गये ?

(ख) उक्त ट्रेनिंग में सरकार द्वारा कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(मुख्य मंत्री)

(क) गजटेड ऑफिसरों से सम्बन्धित सूचना सदन की मेज पर रखे हुए नक्शे के स्तम्भ २, ३, व ४ में दी हुई है।

(ख) उपरोक्त ऑफिसरों की ट्रेनिंग से सम्बन्धित खर्चे के आंकड़े, जो कुछ अब तक उपलब्ध हो सके हैं, सदन की मेज पर रखे हुए नक्शे के स्तम्भ ५ में दिये हुए हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ऐसी साफ व्यवस्था है कि जिस प्रश्न का उत्तर सदन की मेज पर रक्खा जावे तो उस प्रश्न के उत्तर की एक कापी एडवान्स में प्रश्न पूछने वाले सदस्य को दी जावे और मैं यह भी निवेदन कर दूँ कि इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्षजी ने कई बार आदेश भी दिये हैं कि एक दिन पहले इसकी प्रति सदस्य को मिलनी चाहिये पर एक दिन पहले की बात तो दूर रही मुझे इस उत्तर की एक प्रति आज भी नहीं मिली। इसलिये निवेदन करूंगा कि इसकी एक प्रति हमें अवश्य पहले मिलनी चाहिये, नहीं तो फिर हमारा प्रश्न पूछना ही बेकार हो जाता है और फिर हमें मौका नहीं मिलता

[श्री चांदमल मेहता]
पूरक प्रश्न पूछने का। इस मौके पर अगर आप एडवान्स कापी न दें तो कम से कम इस उत्तर को पूरा पढ़ देने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे अफसोस है कि आपके पास इसकी अग्रिम प्रति नहीं भेजी जा सकी। मैं इसको सारे को सदन के सामने पढ़ दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो या आपके पास इसकी कापी भेज दूं। इसको फिर आप पढ़ लें और इसके बाद पूरक प्रश्न कर लें।

श्री चांदमल मेहता—अभी पढ़ दें तो पूरक प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—काफी बड़ा है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—दो एक पेज तो हैं।

श्री अध्यक्ष—(श्री चांदमल से) आप देख लें पहले और फिर पूरक प्रश्न कर लें।

श्री हजारी लाल शर्मा—बिना पढ़े दूसरे मेम्बर फिर कैसे पूछ सकेंगे साहब ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लिखित प्रश्न का उत्तर तो वैसे भी इन सम्बन्धित मेम्बर को ही भेज सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—बिना उत्तर को देखे ही पूरक प्रश्न पूछेंगे ?

श्री चांदमल मेहता—जी हां। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अन्डर ट्रेनिंग हैं और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ट्रेनिंग पाकर आ चुके हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह अलग प्रश्न है।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या ५४-५५ में जो व्यक्ति ट्रेनिंग के लिये भेजे गये वे अन्डर ट्रेनिंग में ही हैं यह मान लिया जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं, बहुत से लौट चुके हैं। कोई तीन महीने की ट्रेनिंग में गया कोई ६ महीने की। पर कितने बाहर हैं कितने लौट चुके, ऐसी सूचना सदन में इस समय देने के लिए मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—उनको ट्रेनिंग में भेजने के लिए क्या कोई सिलेक्शन का बेसिस नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं, हरेक के लिए यह आवश्यक नहीं। सेक्रेटरियट से टर्न बाई टर्न भेजा जाता है। तीन पहले भेज दिये गये, तीन बाद में; इस तरह सबको ट्रेन्ड कर दिया जावेगा।

Page No.3

श्री चांदमल मेहता—फिर भी आधार तो कुछ होगा। वह आधार क्या है? क्या यह आधार मान लिया गया है कि जिनको किसी काम के लिए भेजना हायर ऑथोरिटी मुनासिब समझे उसे भेज दे और जिसे नहीं समझे उसे नहीं भेजे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सम्बन्धित विभाग ने उनकी उपयोगिता को देख कर वहां की ट्रेनिंग के लिए उनको भेजा है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—किस किस काम के लिए और किस किस विभाग की ट्रेनिंग के लिए कहां कहां भेजे गये हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कई विभागों से भेजे गये हैं। ज्यादातर ट्रेनिंग के लिए जो भेजे गये हैं वे कम्युनिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के लिए हैं। अधिकतर तो उसी पोस्ट पर काम करते हुए थे या वापिस आकर उस पोस्ट पर काम करेंगे।

श्री कछवाहा—बाहर कहां कहां भेजे गये हैं?

श्री सुखाड़िया—कम्युनिटी डेवलपमेंट वाले नीलोखेरी भेजे गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—और सेल्स टेक्स की ट्रेनिंग के लिए भी क्या कुछ आदमी भेजे गये हैं?

श्री सुखाड़िया—अभी तक, मेरा ख्याल है, नहीं भेजे गये हैं।

श्री कछवाहा—इसका मतलब यह है कि फारेन यानी हिंदुस्तान से बाहर एक भी नहीं भेजा गया है।

श्री सुखाड़िया—आपका प्रश्न करने का मतलब यह नहीं है कि फारेन कौन भेजे गये हैं।

श्री कछवाहा—कहां कहां भेजे गये इसमें उसका मतलब आ जाना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो ट्रेनिंग के लिये भेजे गये उनकी कुल तादाद ४६ है, और ४६ के अन्दर ६ नम्बर से लगाकर ३५ नम्बर तक कम्युनिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के लिए यानी २९ आदमी कम्युनिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के लिए नीलाखेरी भेजे गये। कुछ सेक्रेटेरियेट ट्रेनिंग के लिए भेजे गये हैं, और कुछ सीनियर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनकी ट्रेनिंग के लिये भेजे गये हैं। इसी प्रकार की ट्रेनिंग ज्यादातर है।

श्री चांदमल मेहता—क्या लोकल फन्ड आडिट के सम्बन्ध में कुछ आदमी भेजे गये हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि गजटेड ऑफिसर्स नहीं भेजे गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—नान गजटेड ऑफिसर्स कौन कौन भेजे गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अभी जो सूचना दी है, चूंकि आपने ऑफिसर्स के बारे में पूछा था तो यही समझ कर दी है कि गजटेड ऑफिसर्स के बारे में पूछा है।

प्रश्न संख्या ४०

किशनगढ़ तहसील में नगदी लगान नियत होने पर भी बढ़गांव में लटाई होना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ तहसील में नकदी लगान मुकर्रर होने के बाद भी ग्राम बड़गांव में लटाई की गई ?

(२) यदि हां, तो उक्त ग्राम में लटाई कब किस अधिकारी द्वारा की गई ?

(३) क्या यह सही है कि लटाई का अनाज सरकारी खजाने में जमा नहीं हुआ व इस सम्बन्ध की तफतीश के कागजात दबा दिये गये हैं ?

(४) यदि हां, तो कहां ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(१) जी हां।

(२) उक्त लटाई श्री रूपसिंह तहसीलदार द्वारा की गई है।

(३) लटाई का अनाज अमानत सुपुर्दकार के पास रखा है।

(४) इस सम्बन्ध में उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, कागजात दबाये नहीं गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—नकदी लगान मुकर्रर होने के बाद लटाई कराने का कारण क्या है ?

श्री दामोदर लाल व्यास—वहां कुछ जमीन ऐसी है कि जिसके बारे में यह शिकायत पेश हुई थी कि जागीरदारों ने कब्जे में करली है और नकदी लगान मुकर्रर हुआ नहीं था इसलिए तहसीलदार ने लटाई करा दी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस गांव में कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहां कि जागीरदारों का कोई ताल्लुक नहीं है और खालसे का हिस्सा है ?

श्री दामोदर लाल व्यास—उस खालसे की जमीन के लिए यह शिकायत आई थी कि वह जमीन जागीरदारों ने अपने कब्जे में ले ली है।

श्री चांदमल मेहता—वह कितनी जमीन है और किस आदमी की रिपोर्ट पर ऐसा किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तहसीलदार के पास पटवारी और शहना की तरफ से यह शिकायत पेश की गई थी।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस जमीन के सिलसिले में परचा चकबन्दी काश्तकारों को मिल चुके हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—कुछ जमीनों के मिल चुके हैं और कुछ के लिए नहीं मिले हैं।

श्री श्रीदास गोयल—परचा चकबन्दी मिलने के बाद फिर नकदी लगान न लेकर लटाई ली गई है तो क्या सरकार मानती है कि भूल हुई है?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसीलिये तो तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—संवत् २००० से अब तक फाइनेलाइज नहीं करने का क्या कारण है?

श्री दामोदरलाल व्यास—उसका कारण यह है कि तहसीलदार पहले तो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए चला गया। अब वह वहां से आया है व उसका पोस्टिंग होने के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री चांदमल मेहता—यह जांच कब से की गई है?

श्री दामोदरलाल व्यास—ज्योंही मामला कलेक्टर के नोटिस में लाया गया?

श्री चांदमल मेहता—जांच करने के कितने समय के बाद में वह ट्रेनिंग के लिए गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो बाद में दे दूंगा।

श्री चांदमल मेहता—यह कागजात अब तक किसके पास पेंडिंग हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—कलेक्टर जयपुर के पास।

श्री चांदमल मेहता—यह कितने अरसे से पेन्डिंग हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सूचना नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस संबंध में आदेश राजस्व विभाग से कलेक्टर के पास जा चुके हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह आदेश दिये जा चुके हैं कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय । इसमें उसके साथ कोई रियायत नहीं की जाय ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह इस तरह का आदेश राजस्व विभाग से दिये गये हैं कलेक्टर जयपुर के नाम, कि ये कागजात संबंधित मंत्री महोदय के पास रूबरू पेश किये जायं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ये कागजात पेश करने का आदेश नहीं था, बल्कि उसके खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश था ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अप्रेल ५४ से इस तरह के आदेश राजस्व विभाग से कलेक्टर जयपुर को दिये गये हैं कि जो भी इस संबंध में हो वह संबंधित मंत्री महोदय के पास रूबरू पेश करें और रूबरू बात कर लें ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—अब कब तक इसको फाइनेलाइज करने का विचार रखती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी से जल्दी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या कोई अवधि निश्चित की जा सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी ।

श्री चांदमल मेहता—जब तक यह फाइनेलाइज नहीं हो तब तक नकदी लगान वसूल करने के लिए रोक दिया जायगा ?

श्री व्यास—जी ।

प्रश्न संख्या ४१

राजस्थान के निर्माण के पश्चात् विभिन्न प्रदर्शनियों को दी गई बिजली की दरें

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान निर्माण के बाद किस किस वर्ष में औद्योगिक प्रदर्शनियों को किस किस रेट पर लाइट दी गई है ?

(२) किस किस वर्ष में लाईट कन्सेशन रेट पर दी गई ?

(३) चालू वर्ष में हुई औद्योगिक प्रदर्शनी से क्या रेट चार्ज की गई ?

Page No.7

[श्री चांदमल मेहता]

(४) जयपुर शहर में अमूमन लाइट चार्जेज़ क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—राजस्थान बनने के पश्चात् निम्नलिखित औद्योगिक प्रदर्शनियों को उनके सामने लिखी गई दरों पर बिजली दी गई है :—

जयपुर······

श्री चांदमल मेहता—आवाज नहीं आ रही है, जरा तेज बोलें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—राजस्थना बनने के पश्चात् निम्नलिखित औद्योगिक प्रदर्शनियों को उनके सामने लिखी हुई दरों पर बिजली दी गई हैं।

जयपुर

अक्टूबर, १९५० में नवयुग औद्योगिक विकास एग्ज़ीबिशन	८ आना।
सन् १९५१ में राजस्थान इन्डस्ट्रियल एग्ज़ीबिशन	८ आना।
सन् १९५२ में राजस्थान इन्डस्ट्रियल तथा क्राफ्ट एग्ज़ीबिशन	३ आना।
सन् १९५३ में रेलवे सेंटीनरी एक्जीबिशन	८ आना।
सन् १९५४ में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास एग्जीबिशन	८ आना।
जोधपुर में १९५४ में उद्योग एवं कृषि प्रदर्शिनी	१२ आना।
भरतपुर में ५१, ५२, ५३, ५४ में जसवन्त प्रदर्शनी	६ आना।

(२) केवल १९५३ में।

(३) आठ आना प्रति यूनिट।

(४) स्थायी कनेक्शन के लिए ६ आना प्रति यूनिट; अस्थायी कनेक्शन के लिए आठ आना प्रति यूनिट।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि औद्योगिक प्रदर्शनी को सुविधा देने के बजाय उससे अस्थायी रेट चार्ज करने की कोशिश की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—यह सुविधा देने का सवाल नहीं है। कानून के मुताबिक चार्ज किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार औद्योगिक प्रदर्शनियों को प्रोत्साहन देने के बारे में कानून में परिवर्तन नहीं करना चाहती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी तक यह सवाल सामने नहीं आया है।

श्री चांदमल मेहता--क्या अब इस सवाल के बारे में माननीय मंत्री महोदय विचार करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—विचार किया जा सकता है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जोधपुर में औद्योगिक प्रदर्शनी के बारे में जो चार्ज बताया उसकी कुछ रकम वसूल कर ली गई है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अलग से सवाल किया जाय।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जोधपुर की औद्योगिक प्रदर्शनी से १२ आने की रेट ली गई तो क्या उसके कुछ खर्चे के रूपये वसूल कर लिये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैने अर्ज किया कि यह अलग से सवाल है, इसका अलग प्रश्न करिये।

प्रश्न संख्या ४२

सन् १९५४-५५ में गजटेड अधिकारियों को राजस्थान में भिन्न भिन्न कार्यों में ट्रेनिंग

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) सन् ५४-५५ के वर्ष में कितने गजटेड ऑफिसर्स को राजस्थान में भिन्न भिन्न कामों की ट्रेनिंग दी गई ?

(ख) उक्त अफसरों के नाम व योग्यताएं क्या हैं ?

(ग) किस किस ऑफिसर को कितने कितनें समय के लिये क्या क्या ट्रेनिंग दी गई ?

(घ) उनको ट्रेनिंग काल में दी गई तनख्वाहों की रकमें कितनी कितनी होती है ?

(ङ) उक्त अफसरों की ट्रेनिंग में सरकार को कुल कितना रुपया खर्च करना पड़ा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़ में रिफ्रेशर की

ट्रेनिंग में	६
वित्त सम्बन्धी ट्रेनिंग में	१
सर्वे व सेटिलमेन्ट की ट्रेनिंग में	५
असिस्टेन्ट कलेक्टर व मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग में	१३

Page No.9

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

(ख), (ग), (घ) सूचना सदन की मेज पर रखे हुए नक्शे के स्तम्भ २, ३, ४, ५, व ६ में दी हुई है।

(ङ) ५,७५,८६) रुपया खर्च हुआ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—मेरा पहला निवेदन यह है कि जो सूचना देनी चाहिये थी वह नहीं दी गई। इस बारे में मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कि जिन आदमियों को ट्रेनिंग दी गई उनका सिलेक्शन किसने किया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट्स की सिफारिश पर गवर्नमेन्ट उनको ट्रेनिंग में भेजती है।

श्री चांदमल मेहता—उनके सिलेक्शन के सम्बन्ध में हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स के पास क्या आधार था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उनकी उपयोगिता, योग्यता और सरविस रोल आदि सारी बातें देखी जाती हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई है और जो ट्रेनिंग दी गई है उस तरह के ट्रेन्ड आदमी राजस्थान में आवश्यकता से अधिक पहले ही मौजूद हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस बारे में नोटिस चाहिये तब पता लग सकता है कि जिनको जिस पोस्ट के लिए ट्रेनिंग दी गई, उन पोस्टों पर बहुत से व्यक्ति पहले से मौजूद हैं, लेकिन एक बात निश्चित तौर से कह सकता हूं कि बहुत से व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाती है उस प्रकार के और भी ऑफीसर हो सकते हैं जैसे आई. ए. एस. ऑफीसर्स को मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग दी जाती है और मजिस्ट्रेट्स बहुत से पहले से ही हैं, लेकिन क्योंकि आगे चल कर इन लोगों पर भी इस तरह की जिम्मेदारी आने वाली है इसलिये उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यह आधार नहीं है कि क्योंकि ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं इसलिये दूसरों को ट्रेनिंग नहीं दी जाय।

श्री चांदमल मेहता—इनमें से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग दी गई है ?

श्री अध्यक्ष—इसकी लिस्ट है क्या आप के पास ?

श्री मोहनलान सुखाडिया—लिस्ट है। इनमें से ज्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जो असिस्टेन्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग में भेजे गये हैं और ६ व्यक्ति दूसरी ट्रेनिंग में भेजे गये हैं। कुल २८ व्यक्ति ट्रेनिंग में भेजे गये।

श्री चांदमल मेहता—जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग में भेजे गये क्या वे लॉ ग्रेजुएट्स नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उनमें से अधिकांश एल एल. बी. हैं ।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि ट्रेनिंग में भेजते समय सरकार के सामने कोई उसूल या सिद्धान्त नहीं था, बल्कि ट्रान्सफर्स कर देने के कारण जो आदमी बेकार हो गये थे उन्हें काम पर लगाने के लिये ट्रेनिंग में भेजा गया ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है । उनमें से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एस. डी. ओ. या एक्स्ट्रा मेजिस्ट्रेट लगाया जाता है इसलिये ट्रेनिंग देना जरुरी है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिनको असिस्टेन्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग में भेजा गया उनको एक साथ नहीं भेजा गया और अलग अलग भेजा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूं अलग अलग भेजना ज्यादा अच्छा है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जब जब लोगों को ट्रेनिंग में भेजा गया उनके लिये दूसरा स्थान नहीं होने से उनको भेजा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री जवानसिंह—क्या आप इस बात की आवश्यकता नहीं समझते कि सदन के सदस्यों का एक बोर्ड कायम किया जाय जो भविष्य में ट्रेनिंग में जाने वाले ऑफीसरों का सिलेक्शन किया करे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसका उत्तर देने की कहां तक आवश्यकता है, यह आप स्वयं जान सकते हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर—मेजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग किस प्रकार दी जाती है ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या ४३

राजस्थान के विभिन्न भागों में टिड्डियों का आक्रमण तथा लगान में शासकीय रियायतें

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. राजस्थान में इस वर्ष टिड्डियों से किस किस जिले में नुकसान हुआ है ?

२. उक्त जिलों में लगान में सरकार द्वारा क्या रियायतें दी गई हैं ?

[श्री चांदमल मेहता]

३. क्या यह सही है कि जयपुर जिले की सरवाड़ तहसील के कुछ गांवों में टिड्डियों द्वारा बहुत नुकसान किया गया है ?

४. यदि हां, तो सरकार ने उक्त गांवों में लगान में किस कदर रियायत की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—१. राजस्थान में नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, सिरोही, भरतपुर, जैसलमेर, अलवर, जयपुर और पाली की कुछ तहसीलों में इस वर्ष टिड्डियों द्वारा नुकसान हुआ है।

२. रियायतें नियमानुसार दी जावेंगी जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

३. जी हां, तहसील सरवाड़ के ४४ गावों में टिड्डियों द्वारा नुकसान किया गया है।

४. परन्तु उक्त गांवों में इतना नुकसान नहीं हुआ था कि रियायत देना आवश्यक हो।

श्री चांदमल मेहता—जिन गांवों में रियायतें देने का तय किया गया है क्या, वहां पर लगान स्थगित किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बहुत सी तहसीलें ऐसी है जो स्केअरसिटी एरिया में घोषित की गई है। और वहां पर लगान स्थगित किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—स्केअरसिटी ऐरिया वर्षा की कमी से या टिड्डियों के नुकसान के कारण घोषित किये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दोनों ही वजह से।

श्री चांदमल मेहता—वे कौन कौनसी वजह हैं जिनके कारण स्केअरसिटी एरिया कायम किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वर्षा की कमी और टिड्डी द्वारा नुकसान दोनों ही वजह से।

श्री जसवन्तसिंह—जिन टिड्डियों ने नुकसान किया उनके साथ क्या बर्ताव किया गया ?

एक सदस्या—उनको सख्त सजा दी गई।

श्री चांदमल मेहता—सरवाड़ तहसील में टिड्डियों ने जो नुकसान किया उसकी जांच किस अधिकारी से कराई गई ?

श्री दामोरदलाल व्यास—तहसीलदार से जांच करवाई गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सच है कि तहसीलदार के जांच करने के बाद कुछ गांवों के लोगों के आवेदन-पत्र आये थे कि जांच ठीक नहीं की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दुबारा जांच करवाई गई लेकिन वही रिपोर्ट आई ।

श्री चांदमल मेहता—दुबारा जांच किस अधिकारी से करवाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—एस. डी. ओ. की मार्फत करवाई गई । उन्होंने किस अधिकारी को भेजा, यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री चांदमल मेहता—दुबारा जांच कब हुई ?

श्री दमोदरलाल व्यास— तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या यह सही है कि टिड्डियों के खा जाने के बाद फसल अच्छी पैदा होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बहुत हद तक ठीक है, अगर वर्षा हो जाय तो ।

श्री वेदपाल त्यागी—किस हद तक नुकसान होने पर सरकार उचित समझती है कि लगान स्थगित किया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिये अलग अलग रूल्स बने हुए हैं । अमूमन एक रुपये पीछे ६ आना नुकसान होने पर कुछ रेमिशन नहीं दिया जाता । ज्यादा पर रेमिशन दिया जाता है ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या कोई ऐसी भी तहसील थी जहां टिड्डियों से छः आने से ज्यादा नुकसान हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अभी बताया था कि कई तहसीलें हैं जिनमें टिड्डियों से छः आने से ज्यादा नुकसान हुआ ।

श्री श्रीदास गोयल—अभी आपने बताया था कि केवल टिड्डियों के कारण किसी को रियायत नहीं दी गई, बल्कि यह बताया कि वर्षा और टिड्डियों के सम्मिलित नुकसान के कारण रियायत दी गई । कौनसी ऐसी तहसीलें हैं जहां केवल टिड्डियों के कारण ऐसी कार्यवाही करनी पड़ी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह बताया था कि दोनों ही कारणों से स्केअरसिटी एरियाज़ घोषित किये गये ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या हर खेत को विजीट करके नुकसान दर्ज किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसा करना ही चाहिये ।

श्री हिम्मतसिंह—लेकिन ऐसा किया गया या नहीं ?

Page No.13

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसा होना चाहिये था ।

श्री हिम्मतसिंह—नुकसान दर्ज कहां किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—खसरे में ।

श्री हिम्मतसिंह—कौनसी तारीख को ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किस तहसील के लिये पूछना चाहते हैं ?

श्री हिम्मतसिंह—सरवाड़ तहसील के लिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास—किस गांव के लिये ?

श्री हिम्मतसिंह—४४ गांवों में से किसी भी गांव के बारे में बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या ४४.

पिछले तीन वर्षों में किशनगढ़ पॉवर हाऊस के टेक्निकल स्टाफ में रिक्त स्थान

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. किशनगढ़ पॉवर हाऊस में पिछले ३ वर्षों में किस किस वर्ष में टेक्निकल स्टाफ की कितनी कितनी स्ट्रेन्थ रही है ?

२. इस वर्ष कितने टैक्निकल कर्मचारियों के स्थान स्वीकृत हैं और उनमें से कितने स्थान रिक्त हैं ?

३. उक्त स्थान कब से रिक्त हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—किशनगढ पॉवर हाउस में पिछले ३ वर्ष में टैकनिकल स्टाफ की मन्जूर शुदा स्ट्रेन्थ १६ थी जो कि हर साल में वही १६ रही ।

२. इस वर्ष भी १६ टैक्निकल कर्मचारी स्वीकृत हैं जिनमें से ४ स्थान रिक्त हैं ।

३. उपरोक्त ४ स्थान निम्न लिखित तारीखों से रिक्त हैं ?

चार्जमैन ग्रेड १—एक स्थान ४-८-१६५२ से ।

चार्जमैन हैल्पर ग्रेड-तीन स्थान, जिनमें दो १-६-१६५३ से एवं ?

Page No.14

१ स्थान ४-३-१९५४ से ।

श्री चांदमल मेहता—इन स्थानों के रिक्त रहने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी राजस्थान का ईन्टीग्रेशन हो रहा है और यदि दूसरी जगह पर फालतू आदमी हैं तो उनको वहां लगाया जायगा ।

श्री चांदमल मेहता—जब तक ईन्टीग्रेशन फाइनल नहीं हो जाता इन रिक्त स्थानों पर काम करने वालों को ओवर टाइम अलाउन्स देना पड़ता है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वर्क चार्ज स्टाफ रखा जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—इस प्रश्न के पहुँचने के बाद कितने स्थान और भरे गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक स्थान और भरा गया ।

प्रश्न संख्या ४५

भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से राजस्थान को मिल सकने वाली बिजली

श्री जवानसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें :—

(क) भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से राजस्थान के कितने जिलों या ज़िलों के भागों को बिजली मिल सकेगी ?

(ख) उपरोक्त बिजली की कुल तादाद क्या होगी ?

(ग) उपरोक्त बिजली कब से मिलनी शुरू होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) भाखरा नांगल योजना से राजस्थान के निम्नलिखित ६ जिलों को बिजली मिल सकेगी :—

१. गंगानगर २. बीकानेर ३. चुरू ४. झुंझुनू ५. सीकर ६. नागौर

(ख) बिजली मिलने के पहले साल में बिजली लगभग ७४४२ किलोवाट तथा दसवें साल में १४५५८ किलोवाट खर्च होगी ।

(ग) ऐसी आशा है कि सन् १९५६ के अन्त तक भाखरा योजना से बिजली मिल सकेगी ।

श्री जवानसिंह—जिन जिन जिलों के नाम बताये हैं उन उन जिलों के शहरों में बिजली मिलेगी या उनके गांवों में भी मिलेगी ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वहां ६१ स्थान हैं जिनमें बिजली मिलेगी।

श्री जवानसिंह—कौन कौन से स्थानों पर यह बिजली दी जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—६१ स्थान हैं। आप कहें तो नाम बता दूँ।

श्री जयनारायण व्यास—जिन ६१ स्थानों में बिजली दी जाने वाली है उनमें शहर कितने हैं और गांव कितने हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आम तौर से कस्बे हैं। जहां आवश्यकता होगी और मांग होगी वहां गांवों में भी बिजली दी जा सकेगी।

श्री जवानसिंह—जिन जिलों के नाम बताये हैं वहां क्या बिजली की लाइनें डाली जा रही हैं !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—काम जारी कर दिया गया है, अप्रेल ५६ तक काम पूरा हो जायगा।

श्री जवानसिंह—जिन जिलों के नाम बताये गये हैं उनमें सब जगह एक साथ ही बिजली दी जायगी या किन्हीं जिलों में बिजली पहले दी जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सब जगह लाइनें डाली जा रही है, अप्रेल ५६ तक सब काम पूरा पूरा होने पर सब जगह एक साथ बिजली दी जायगी।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—सीकर जिले में किन किन जगहों पर बिजली दी जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सीकर प्रॉपर को मिलेगी।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—सीकर प्रॉपर के अलावा और भी कहीं मिलेगी या नहीं ?

(प्रश्न का उत्तर मिलने से पूर्व ही)

श्री जवानसिंह—नीम के थाने में बिजली मिलेगी या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नीम का थाना अभी योजना में तो शामिल नहीं है पर फिर एक्सटेन्ड की जायगी।

श्री जवानसिंह—क्या इन जिलों के अलावा जिनके कि नाम बताये गये हैं, भविष्य में जोधपुर जिले को बिजली दी जा सकेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जोधपुर जिले में यह बिजली नहीं दी जा सकेगी क्योंकि वह दूर पड़ता है।

श्री जवानसिंह—तो क्या यह समझा जाय कि भाकरा की बिजली जोधपुर नहीं पहुंच सकेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां, ऐसा ही समझना चाहिये ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—नागौर भी यह बिजली जायगी या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नागौर के कुछ हिस्सों को मिलेगी ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—कौनसे रास्ते हो कर जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बीकानेर के मिलते हुए हिस्से हैं उससे जावेगी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्ट, श्री जवानसिंह ।

प्रश्न संख्या ४६

सिरोही जिले के सेटलमेंट की रेट नियत होने का आधार ।

श्री जवान सिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या सिरोही जिले में जो सेटलमेंट हो रहा हैं उसकी रेट १/४ या १/५ बांटे के आधार पर मुकर्रर की जा रही है ?

(आ) क्या उपरोक्त जिले में खालसा व गैर खालसा भूमि का सेटलमेंट हो रहा है और सभी भूमि का लगान तय किया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मन्त्री)

(अ) सिरोही जिले में नई सेटलमेंट की रेट्स १/६ बांटे के आधार पर कायम की जायगी ।

(आ) उपरोक्त जिले में खालसा भूमि के बन्दोबस्त की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, अतएव अतिरिक्त खालसा भूमि के सेटलमेन्ट का कार्य हो रहा है ।

श्री जवान सिंह—क्या यह सही है कि खालसा भूमि का १/४ बांटे के आधार पर बन्दोबस्त हुआ था और वहां लगान १/४ बांटे के आधार पर लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जिस वक्त बन्दोबस्त हुआ था उस वक्त जो बांटा प्रचलित था उसी के आधार पर लगान तय किया गया । अभी उसकी मयाद खत्म नहीं हुई है ।

श्री जवानसिंह—तो क्या सरकार इसे उचित समझती है कि खालसे में तो १/४ बांटे के आधार पर लगान वसूल किया जाय और जागीर एरिया में १/६ बांटे के हिसाब से लगान लागू रहे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बन्दोबस्त की मियाद खत्म नहीं हो तब तक उस रेट को खत्म नहीं किया जा सकता।

श्री जवानसिंह—तो क्या सरकार उन रेट्स को बन्दोबस्त की मियाद खत्म होने से पहले रिवाइज़ करने के लिये तैयार नहीं है ?

श्री दामोदर व्यास—नहीं, वह रेट्स पुराने प्राइसेज़ के आधार पर कायम की गई थीं जब कि चीजें बहुत सस्ती थीं, इसलिये इसका कोई असर नहीं पड़ता।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

प्रश्न संख्या ४७

बिजलीघरों के हिसाब में डेप्रीसियेशन एकाउन्ट्स रखने सम्बन्धी

श्री जवानसिंह—क्या निर्माण मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल विभाग बिजलीघरों के हिसाब में डेप्रिसियेशन एकाउन्ट्स रखता है ?

(ब) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— (अ) इस समय इस विभाग के किसी भी पॉवर हाउस में डेप्रिसियेशन एकाउन्ट नहीं रखा जाता है।

(ब) अब तक पुरानी रियासतों के बिजलीघरों के सामन का मूल्यांकन नहीं हो पाया है, इस लिए बिना कीमत के किसी भी वस्तु का डेप्रिसियेशन नहीं निकाला जा सकता है।

श्री जवानसिंह—अब शुरू किया है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब शुरू कर दिया गया है और कुछ पॉवर हाउस ऐसे हैं जिनके पहले के सामान की कीमतें मालूम करना है क्योंकि पहली कीमतों से ही डेप्रीसियेशन निकल सकता है कि पहले कितनी कीमत में खरीदा गया था, इसकी जांच कराई जा रही है। कुछ जगहों की तो जांच खत्म भी हो गई है, बाकी रही हैं उनकी जांच ५५-५६ में खत्म हो जायेंगी।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार के आदेश हैं कि कॉमर्शियल बेसिस पर इस डिपार्टमेंट को रखा जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कॉमर्शियल बेसिस पर इस डिपार्टमेंट को रखने के गवर्नमेंट के १६४६ में ऑर्डर किये हुए हैं।

श्री जवानसिंह—क्या यह समझा जाय कि ज्यों ही गवर्नमेंट के ऑर्डर निकले और वह काम हो गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी कोई अलग कानून नहीं है, कॉमर्शियल बेसिस पर चलाने के लिये पी० डब्लू० डी० के जो रूल्स हैं, उन्हीं से यह गवर्न होता है। कॉमर्शियल बेसिस पर रखने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कॉमर्शियल डिपार्टमेंट कब से घोषित किया गया ?

श्री अध्यक्ष—अभी कहा न कि १९४९ में।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस ऑर्डर के तहत.........

Is it a fact that such an order has been issued in the year 1952.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—For what.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Declaring the Electrical & Mechanical Department as a commercial department.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—It may have been again in 1952

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सन् १९५२ के जुलाई के महीने में इस प्रकार के आदेश सरकार द्वारा शाया किये गये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास इस समय डेफिनिट डेट नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस विभाग का प्रोफिट और लॉस का एकाउन्ट पूरा तैयार हो चुका है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—डिटेल्ड एकाउन्ट अभी तैयार नहीं हुए हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सालोसाल प्रॉफिट और लॉस के एकाउन्ट तैयार किये जांय, क्या इस प्रकार का सरकारी आदेश हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय निर्माण मंत्री इस आदेश की कॉपी सदन की टेबल पर रखने की कृपा करेंगे ? (हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो कल जो प्रश्न आयेगा उस समय बताया जायगा, इससे यह कोई ताल्लुक नहीं रखता। I haven't got the information just now.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Because you have made a definite statement that it is not so.

आपने अभी कहा न कि इस प्रकार के आदेश नहीं हैं.....So I request you to place the order on the Table of the House.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कल बताऊंगा। I will give a definite reply tomorrow.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी आपने जो जवाब दिया है उसको अब विड्रा करते हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह सवाल तो था ही नहीं, यह सवाल इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता, अगर ऐसा होगा तो कल जवाब दिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह मानें कि प्रॉफिट एन्ड लॉस के बारे में आपने अपना स्टेटमेंट किया था तो क्या अब उसे मैं अनकन्फर्म्ड मानूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां, ऐसा ही मानना चाहिये क्योंकि इस सवाल से सम्बन्ध नहीं है।

(हंसी)

श्री जसवन्तसिंह—तो माननीय अध्यक्ष, क्या यह ठीक है कि मिनिस्टर महोदय ऐसा स्टेटमेंट दें जिसके बारे में बाद में उन्हें यह कहना पड़े कि यह अनकन्फर्म्ड है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Tomorrow I will reply definitely.

श्री अध्यक्ष—It is for the Hon'ble minister to reply or not, but vague reply should not be given.

श्री हरिकृष्ण व्यास—किस कॉमर्शियल बेसिस पर चला रहे हैं उस महक्मे को ?

श्री अध्यक्ष—As a matter of fact these supplementaries are not strictly relevant to the main question.

श्री जसवन्तसिंह--But the reply is not definite.

श्री अध्यक्ष—If they involve themselves, I cannot help.

प्रश्न संख्या ४८

चालू वर्ष में प्राथमिक पाठशालाऐं खोलने सम्बन्धी।

श्री जवानसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

Page No.20

[श्री जवानसिंह]

(क) वर्तमान वर्ष के लिए कितनी प्राथमिक पाठशालाएं खोलना मंजूर हुआ था ? उनमें से कितनी पाठशालाएं कहां कहां खोली गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(मुख्य मन्त्री)

(क) वर्तमान वर्ष के लिए १२१६ प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की स्वीकृति दी गई थी और उनमें से ११६२ पाठशालाएं खोल दी गई हैं; ५७ पाठशालाएं खोलना शेष है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री जवानसिंह—दूसरा सवाल है कि कहां कहां, इसका उत्तर नहीं आया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह तो एक बड़ी सारी लिस्ट हैं आपके पास पेश कर देंगे।

श्री जवानसिंह—कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा खोली गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो मैंने छांट कर नहीं रखा है।

श्री जवानसिंह —अलवर की ही बतायें कि वहां कितनी पाठशालाएं खोली गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अलवर में २३.

प्रश्न संख्या ४६

इस वर्ष राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्र

श्री जवानसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

अ. इस वर्ष राजस्थान के किस किस हिस्से को अकालग्रस्त या स्केअरसिटी एरिया घोषित किया गया है ?

आ. उपरोक्त भागों के लगान में क्या क्या सहूलियतें दी गई हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास—

अ. इस वर्ष के बीकानेर, चुरु, भुन्भुनू, सीकर, बाड़मेर, जेसलमेर, जालौर, पाली, नागौर और सिरोही जिलों के १६४६ गांवों को अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

आ. उपरोक्त क्षेत्र में लगान की वसूली स्थगित करने के आदेश दिये गये हैं और अभाव की स्थिति के अनुसार लगान में छूट दी जायगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन इलाकों में कौन कौन से इलाके जागीर के और कौन कौन से इलाके खालसा के हैं ?

Page No.21

श्री दामोदरलाल व्यास—दो हजार गांवों में से छांटना कि कौन कौन से खालसे के हैं और कौन कौन से जागीर के, यह संभव नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अन्दाज से बतला दीजिये कि रेश्यो क्या है ?

श्री दामोदर लाल व्यास—अन्दाज से भी बताया नहीं जा सकता।

श्री जवानसिंह—प्रश्न 'आ' का उत्तर ठीक से सुना नहीं गया।

श्रीदामोदर लाल व्यास-उपरोक्त क्षेत्र में लगान की वसूली स्थगित करने के आदेश दिये गये है और अभाव की स्थिति के अनुसार लगान में छूट दी जायगी।

श्री जवानसिंह—क्या क्या छूट दी जावेगी !

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी पूरे स्टेटमेंट नहीं आये हैं कि कहां कहां कितनी छूट दी जानी चाहिये लेकिन जरूरत के माफिक स्टेटमेंट बनने के बाद लेन्ड रेवेन्यु का remission किया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—अभी हाल ही में ओले पड़ने से जहां फसलों को नुकसान हुआ है वे स्थान भी स्केअरसिटी एरिया घोषित किये जावेंगे क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ होगा तो।

श्री श्रीदास गोयल—इस सिलसिले में सरकार के क्या नियम हैं। क्या तहसीलदार आदि को इसके लिये सरकार को सूचना देने के आदेश हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जरूर।

श्री श्रीदास गोयल—क्या तहसील सवाई माधोपुर के कुछ गांवों में ओले पड़ने से खेती को बहुत नुकसान हुआ, यह सरकार को मालूम है ?

श्री दामोदरलाल व्यास-आपने यह इन्फोर्मेशन दी है और सरकार के पास ऐसी इन्फॉरमेशन आई भी है। अब उस पर विचार किया जावेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या ऐसे स्थान भी सरकार के ध्यान में हैं, जहां अकाल बिल्कुल नहीं पड़ा है फिर भी सरकार ने उन स्थानों को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकार के ध्यान में तो ऐसी बात नहीं हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कई स्थानों पर टिड्डी आ जाने से फसलें बर्बाद हो गई और वहां पर यह रियायत अभी तक लागू नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नियम के मातिक जरूर की गई, अगर वे ऐसे कोई केसेज़ सरकार के ध्यान में लावें जहां नहीं की गई तो उस पर जरूर गौर किया जावेगा।

श्री श्रीदास गोयल—जहां ओलों से फसलें बरबाद हुई हैं, उन गांवों के लिये लगान वसूल नहीं करने का आदेश दिया जा चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग प्रश्न है, इसके लिए नोटिस की जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४०.

बिजलीघरों के लिए कोयला तोलने के हेतु वेइंग ब्रिजेज

श्री जवानसिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

अ. क्या राजस्थान के बिजली घरों के लिए वेइंग ब्रिजेज़ हैं।

आ. अगर नहीं, तो कोयला कैसे तोला जाता है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—अ. नहीं।

आ. तौल-नाप का अनुपात निकाल कर।

श्री जवान सिंह—क्या सरकार ने पिछले साल सवाल के जवाब में जयपुर में होना कहा था और अब आप मना कर रहे हैं; दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट को सही माना जावे ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—कब बताया गया था।

श्री जवानसिंह—लास्ट ईयर प्रश्न के उत्तर में बताया गया था।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—अभी यहां लगी नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस बारे में वेस्टर्न रेलवे के एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, बांदीकुई से लिखा-पढी हो रही है।

श्री जवानसिंह—कोयला जयपुर में कब आया था ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—मुझे समय मालूम नहीं, कब आया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वेइंग ब्रिजेज़ के अभाव में किस हिसाब से कोयला तोला जाता है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—कोई से तीन डिब्बों को पहिले तोल कर उनके तोल के मुताबिक एक क्युबिक फीट का तोल निकाल लिया जाता है और फिर इसी अनुपात से बाकी कोयले का तोल निकाल लिया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस प्रकार से तोले हुए कोयले के वेट को रेलवे रसीद के वेट से भी कम्पेअर किया जाता है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रेलवे रसीद से सवाल का कोई ताल्लुक नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस तरीके से निकाले गये तोल को रेलवे रसीद से कम्पेअर करते हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस सम्बन्ध में मैं तहकीक नहीं कह सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में है कि रेलवे रसीद में ३० टन और इस प्रकार के तोल में २५ टन आते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या १॥ महीने पहले जयपुर पॉवर हाउस में कॉन्ट्रॉक्टरों से मन्जूर हुए कॉन्ट्राक्ट पर यह शर्त लगाई गई थी की हर वेगन को तोलते समय रेलवे रसीद को भी सामने रखा जावेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष—This is an information being given.

श्री हरिकृष्ण व्यास–This is a method of eliciting information when the normal method fails by asking the Hon'ble Member either to admit or contrdict it.

श्री अध्यक्ष—About the Railway Receipts the Hon'ble Minister has expressed ignorance and as such any other supplementaries regarding them will be useless.

श्री हरिकृष्ण व्यास–The question relates to the method of weighment of coal being followed at present and therefore we presume that all questions connected with the method of weighment should be within the knowledge of the Minister.

श्री अध्यक्ष—No. Is there any other supplementary ?

श्री हरिकृष्ण व्यास–My supplementary is this. Is it a fact that the contractors were required to submit statements regarding the Railway Receipts with each consignment to enable the Departmens to compare their calculations with the Railway Receipts ?

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता—मैंने आपको पहले ही बतला दिया कि हम पहले एक वेगन का एक्चुअल वेट निकाल लेते हैं और उसके अनुसार दूसरों का भी वेट निकालते है। रेलवे रसीद से..............

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप हां या ना में जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष—No Diseusion.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—On proper notice only reply will be gvien.

श्री हरिकृष्ण व्यास—दूसरा सप्लीमेंटरी पूछता हूँ।

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता—This is also a separate question.

श्री अध्यक्ष—Any other supplementary ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is a part of the method which is being followed. He must say that it is not being followed.

श्री अध्यक्ष—I don't want any arguments.

श्री जवानसिंह—बिजली घर विभाग में कोयले के सिलसिले में लाखों रुपयों की गड़बड़ हुई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उसका इस तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है, वह तो एकाउन्ट की गड़बड़ है।

श्री जवानसिंह—एकाउन्ट कोयले के तोल के सिलसिले में है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तोलने का यह सिस्टम कब से शुरू किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मैं डेफिनेट नहीं बता सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसका निर्णय किसने लिया, राजस्थान सरकार ने लिया या किसी दूसरे ने लिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस सम्बन्ध में कमेटी बना रखी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कमेटी ने निर्णय लेते समय यह तय किया कि समय समय पर फिर से तोल कर..............

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—This is supplying information and not eliciting.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am asking a positive question. Is the Hon'ble Minister in a position to say 'yes' or 'no'-is he in a position to accept or contradict ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह कमेटी के बारे में सप्लीमेंटरी प्रश्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कमेटी ने तोलने के सम्बन्ध में क्या तय किया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वेट किया जावे।

श्री हरीकृष्ण व्यास—वेट करने के तरीके को बता दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने आपको बताया कि जितने डिब्बे आते हैं उनको इस तरह से तोला जाता है, यह मैं जवाब दे चुका हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह माना जाय कि उस तरीके में एक या दो बार तोल लिया जाय और जो नतीजा निकले वह लोहे की लकीर है और सरकार कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जैसे पचास डिब्बे एक साथ आते है, तीन डिब्बों को तोल लेते हैं और average तोल ले लेते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उस तरीके में यह भी दर्ज है अथवा नहीं कि तोल से जो नतीजा निकलेगा उसको रेल्वे रिसीट्स से कम्पेयर कर लिया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रेलवे रिसीट्स का सेपरेट सवाल है। You may ask a separate Question and I will reply.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ५१

ग्राम अमीरांमा तथा बोहेड़ा (तहसील बड़ी सादड़ी) में अग्निकांड के कारण क्षति

श्री जगतसिंह झाला—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चितौड़गढ़ के अमीरांमा तथा बोहेड़ा ग्रामों में कुछ समय पूर्व आग लग जाने के कारण मकान जलने से नुकसान हो गया है ?

(ख) क्या सरकार उन गांवों में, जिनका नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हेतु कुछ सहायता प्रदान करेगी ?

(ग) यदि हां, तो कितनी व कब तक ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—(क) हां, यह सच है कि तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़ के अमीरांमा ग्राम में दिनाङ्क १६.११.५४ की रात्रि को आग लग जाने के कारण पांच घरों को नुकसान हुआ है। ओहेड़ा गांव में दिनांक ६.२.५५ को आग लग जाने के कारण एक महाजन के नोहरे में घास व कबाड़ा जो था वह जल गया।

(ख) उपरोक्त दोनों गांवों में स्थानीय अधिकारी पहुंचे। कोई माली सहायता नहीं मांगी गई। मकान बनाने के लिए कबाड़ा मांगा है जिसके लिए स्थानीय अधिकारी मुनासिब कार्यवाही कर रहे हैं।

(ग) किसी सीमा तक कबाड़ा मुफ्त दिया जायगा। यह डिविज़नल अफसर से रिपोर्ट आने पर तय कर दिया जायगा।

(घ) इसकी कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जायगी।

एक सदस्य—क्या सरकार के पास कबाडा सुरक्षित है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह जिसने प्रश्न किया है वे अच्छी तरह से समझते हैं। आप इसमें न पड़ें।

(हंसी)

श्री जगतसिंह झाला—माली सहायता मांगी जायगी तो क्या दी जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उनको आवश्यकता थी वह मांग चुके। यहां से सूचना दी जाय मांगने के लिए, तो यह उचित नहीं होगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट की यह नीति है कि जहां कहीं आग लग जाय तो वापिस घर बनाने के लिए सहायता देगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आमतौर पर जहां पर कि आग लग जाने पर एक हद तक सहयता देने का प्रश्न पैदा होता है इसके बारे में सब जगह इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर दिये गये हैं।

अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२

जागीरदारों से वसूल किया गया दो आना रुपया पुनः लौटाना

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

Page No.27

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा दो आने रुपया जिन जागीरदारों से वसूल किया गया था उसे वापिस लौटाने का आदेश हो गया है ? यदि हां, तो लौटाने में इतनी देरी होने का क्या कारण है ?

(ख) तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ में वापिस जागीरदारों को लौटाने वली रकम दो आने रुपया कितनी है ?

(ग) क्या अब भी सरकार यह रकम शीघ्र लौटाने का आदेश देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट की धारा ४ व ८ में संशोधन के फलस्वरूप ५००) तक सालाना आय के जागीरदार व माफीदार पर २ आना प्रति रुपया लगान का माफ कर दिया गया है; परन्तु इनमें से पहले अगर कोई सरकार को ट्रिब्यूट देते थे तो वह जारी रहेगा। ५००) रुपये से ५,०००) रुपये तक की आय वाली जागीरों से बजाय १/८ के १/१६ भूमि कर वसूल किया जायगा। विशेष रकम जो वसूल हो चुकी है उसको आयन्दा साल के भूमि कर में भर देने की आज्ञा दे दी गई है और जिनसे कोई भूमि कर नहीं लेना है उनको सारी रकम वापिस दे देने की आज्ञा दे दी गई है।

(ख) सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) इस विषय में जिलाधीशों को शीघ्र ही पेमेंट करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जगतसिंह झाला।

प्रश्न संख्या ५३

चित्तौड़ से आंवरी माताजी तक पक्की सड़क का निर्माण।

श्री जगतसिंह झाला—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(अ) क्या यह सच है कि भदेसर तहसील में सड़कों का नितान्त अभाव है ?

(आ) क्या सरकार आगामी वर्ष चित्तौड़ से आंवरी माताजी तक, जो एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है, भदेसर होती हुई एक पक्की सड़क बनाने का विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) आवागमन के साधनादि का नितान्त अभाव नहीं है क्योंकि निर्माण विभाग द्वारा यहां से चित्तौड़ की कच्ची सड़क की देखरेख की जाती है।

(आ) अगले प्लान में इस पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोहब्बतसिंह।

Page No.28

प्रश्न संख्या ५४

दलितवर्ग अधिकारियों के रिक्त पदों के लिए प्रार्थनापत्रों की प्राप्ति तथा दलित वर्ग जाति के व्यक्तियों को इसके लिये अवसर

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Chief Minister be pleased to answer :

(a) Whether any posts of Backward Class Officers were advertised in the Rajasthan Raj-Patra sometimes back and applications with prescribed fees received ?

(b) If so, were these candidates called for interview ?

(c) If not, why not ?

(d) Is Government contemplating to give any chances to the candidates belonging to backward classes for the posts of Backward Classes Officers ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—(अ) जी हां ।

(ब) उन लोगों को इन्टव्यू के लिए नहीं बुलाया गया ।

(स) नहीं बुलाने का कारण यह था कि उस वक्त डिपार्टमेन्ट के अन्दर कुछ व्यक्ति काम कर रहे थे। उनको उस कार्य के लिए उपयुक्त समझा गया और उनको उस कार्य के लिए लगाया गया ।

(ड) बेकवर्ड क्लासेज़ के आदमियों को ही उन पोस्ट्स पर रखा जाय, इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया । बेकवर्ड क्लासेज़ के लिए जो रिज़र्वेशन है उस पर ही विचार किया जाता है ।

श्री मोहब्बतसिंह—यह कहा गया कि जो काम कर रहे थे उनको लगाया गया तो यह फिर यह एडवर्टाइज़मेन्ट पोस्ट्स के लिए अखबार में क्यों किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—एडवर्टाइज़मेन्ट किया गया, यह सत्य है । क्यों किया गया, उसकी जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि बेकवर्ड क्लासेज़ में जो पहले से ही काम कर रहे थे उनको काम पर नहीं रखा गया, दूसरे कर्मचारियों को काम पर लगाया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जहां तक मेरी जानकारी में है बेकवर्ड क्लासेज़ डिपार्टमेन्ट में जो काम कर रहे थे उन्हें ही लगाया गया था ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५५

राजस्थान सरकार द्वारा शहरों, नगरों तथा ग्रामों के प्रति परिवार के हेतु इकॉनोमिक होल्डिंग निर्धारित करना

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(अ) क्या सही है कि राजस्थान सरकार शहर, नगर तथा ग्रामों में कोई नये सिरे से एक परिवार का इकॉनोमिक होल्डिंग निर्धारित करना चाहती है ।

(आ) यदि हां, तो किस हिसाब से ?

(इ) एक परिवार के लिए कितनी जमीन रखना सरकार उचित समझती है ?

(ई) सरकार ने जो सीलिंग कमेटी मुकर्रर की है उसने कौन कौन से जिलों में दौरा किया है ?

(उ) क्या उसकी रिपोर्ट सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री)—(अ) जी नहीं, राजस्थान सरकार काश्त की भूमि का उच्चतम स्तर निर्धारित करना चाहती है जो इकॉनोमिक होल्डिंग से अधिक होगा ।

(आ) इस प्रश्न पर सरकार द्वारा नियुक्त सीलिंग कमेटी जांच—पड़ताल कर रही है ।

(इ) इसका निर्णय उक्त कमेटी की रिपोर्ट पेश होने पर ही किया जायगा ।

(ई) सीलिंग कमेटी ने अभी तक १३ जिलों का दौरा किया है । नागौर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, जालौर, टोंक, बाड़मेर, पाली और जोधपुर ।

(उ) इस कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह—क्या यह सही है कि सीलिंग कमेटी ने जो दौरा किया कोटा का, तो वह दौरा कोटा के सर्किट हाउस तक ही सीमिव था ? काश्तकारों से बातचीत नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—क्या कहा, सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष—सीलिंग कमेटी ने कोटा का दौरा किया था तो क्या वह सर्किट हाउस तक ही सीमित था और काश्तकारों से बातचीत नहीं की ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सीलिंग कमेटी कोटा में सर्किट हाउस में जाकर ठहरी थी । जो बयान देना चाहते थे उनको बुला लिया गया । जितना दौरा करना जरूरी था, जरूर किया ।

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह—क्या यह सही है कि बारां में जाने की जो तारीख थी उस दिन बारां नहीं गये और दौरा केन्सिल कर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी जनकारी मुझे नहीं है ।

श्री जगतसिंह झाला—कब तक यह रिपोर्ट पेश हो जायगी ?

दामोदरलाल व्यास—तीन महीने की मियाद और मांगी है, उसके बाद पेश हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री गुरूदयालसिंह ।

प्रश्न संख्या ५६

श्री अध्यक्ष—श्री मोहब्बतसिंह ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या ५७

सिरोही तथा अन्य पॉवर हाउसेज़ को शासनाधीन लेना

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for P. W. D. be pleased to answer:—

(a) Whether the Government is contemplating to take over the Sirohi Power House ?

(b) How many other power Houses are proposed to be taken over by the Government this year ?

(c) What was the loan given by the Rajasthan Government to the Sirohi power House and when ?

(d) Has any amouut been recovered so far out of this loan ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(a) The matter is being examined by the committee appointed by the Government for the purpose.

(b) Government is examining the possibility of taking over the Udaipur, sikar, Pratabgarh and Phalodi Power Houses in this year.

(c) No amount was given by the Rajasthan Government to the Sirohi Power House.

(d) Does not arise.

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही नहीं है कि कुछ पॉवर हाउसेज़ पर कुछ कर्जा राजस्थान सरकार मांगती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा है कि राजस्थान सरकार ने कर्जा नहीं दिया है । कर्ज के लिए दरख्वास्त पेन्डिंग है । सिरोही के पॉवर हाउस को इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० को, सिरोही गवर्नमेंट ने सन् ४६ में बेचा था और उसकी कीमत ५० हजार रुपया बकाया चली आ रही थी ।

Page No.31

श्री मोहब्बतसिंह—कीमत वसूल होने की कब तक उम्मीद है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात है कि यह बम्बई गवर्नमेन्ट में चला गया था। उनको तीन साल का एक्सटेन्शन मिल गया है। और उल्टा उन्होंने दो लाख का लोन मांगा है। इसलिये इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

श्री रोशनलाल—उदयपुर के पॉवर हाउस को कब तक ले लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—This is not relevant.

श्री जवान सिंह—हमारी सरकार ने बताया कि एक कमेटी मुकर्रर की हैं कि पॉवर हाऊसेज़ को ले लें। कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—१. इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर।

२. श्री यादराम चतुर्वेदी, ओ. एस. डी. फाइनेन्स।

श्री अध्यक्ष—उदयपुर के लिए पूछा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी हम देख रहे हैं कि ले सकते है या नहीं। कमेटी की रिपोर्ट मंगाई है।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही हैं कि चम्बल घाटी योजना से जो बिजली मिलेगी और भाखरा नांगल प्रॉजेक्ट से जो बिजली मिलेगी उसके नीचे जितना एरिया कवर होगा उसके तहत में जो पॉवर हाउसेज हैं उनको भी क्या सरकार लेना चाहती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जहां पॉवर हाउसेज़ की हालत खराब है उनको लेने की बातचीत चली है। We are examining the possibilities of taking over the Udaipur, Sikar. Pratabgarh and Phalodi Power Houses this year,.यह मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह कमेटी सिरोही जा चुकी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जाने के लिए कह दिया है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि ८ मार्च को श्री यादराम जी रिटायर हो चुके हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी रिटायर नहीं हुए हैं। He is abrady working.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ये राजस्थान सरकार की मातहत हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—राजस्थान सरकार की मातहत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर नाम से कोई पोस्ट है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां पोस्ट है और इसी पोस्ट पर अपॉइन्टमेन्ट भी है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या श्री यादराम चतुर्वेदी रिटायर होते हुए भी इस कमेटी के मेम्बर रहेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे रिटायर नहीं हुए है, काम कर रहे हैं ।

श्री मोहब्बतसिंह—उनके रिटायर होने की तारीख ८ मार्च थी, क्या उनको फिर एक्स्टेन्शन मिल गया हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—He is already working in the Department.

श्री मोहब्बतसिंह—उनकी मियाद है या नहीं, यह तो माननीय मन्त्री को पता होना चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे तो फाइनेन्स के आदमी हैं, हमारे यहां तो उनको लगा रखा है ।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या माननीय मुख्य मन्त्री इस बारे में मदद करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—प्रश्न सिरोही के पॉवर हाउस का था और प्रश्न होने लग गये यादराम चतुर्वेदी के बारे में ।

श्री अध्यक्ष—यादराम की याद रहना मुश्किल है ।

प्रश्न संख्या ५८

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह संधु ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या ५६

बूंदी रोड स्टेशन से लाखेरी जाने वाली सड़क को मेटल्ड रोड बनाना

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार बूंदी रोड स्टेशन से लाखेरी जाने वाली सड़क को मेटल्ड रोड बनाने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बून्दी रोड स्टेशन से लाखेरी जाने वाली सड़क २४ मील लम्बी है । प्रथम पन्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत १६ मील फेयर वेदर रोड और ८ मील मेटल्ड रोड बना दी गई

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

है और जो १६ मील का बचा हुआ हिस्सा है उसे द्वितीय पन्चवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में मेटल्ड करने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके स्वीकार होने पर १६५७–५८ में यह कार्य समाप्त हो जायगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया वह सुनने में नहीं आया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि इस सड़क का हिस्सा जो २४ मील है उसमें १६ मील फेयर वेदर रोड और ८ मील मेटल्ड, प्रथम पन्चवर्षीय योजना में पूरा होगया है। जो १६ मील मेटल्ड होने से बचा है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कम्पलीट कर दिया जायगा।

प्रश्न संख्या ६०

जिला बूंदी में कच्ची सडकों के निर्माण के टैन्डर्स

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

[अ] जिला बूंदी में कच्ची सड़कों के टेन्डर्स कब मांगे गये थे ? अलग अलग सड़कों के ठेके कितने में और किसको दिये गये ?

[ब] ठेकेदारों ने काम कब से शुरू किया और कब पूरा किया ?

[स] असिस्टेन्ट इन्जीनियर बी० एन्ड० आर० ने उनका मुआयना कब किया और किस किस सड़क को पास कर दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अ) इस वर्ष बून्दी जिले में कोई नई कच्ची सड़क नहीं बनाई गई है। इसलिये कोई टैन्डर कच्ची सड़क बनाने के नहीं मांगे गये।

ब. और स. सवाल पैदा नहीं होता।

महाराज श्री केसरीसिंह—जो सडकें हैं उनकी मरम्मत के टैन्डर्स लिये गये या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अपने जवाब में निवेदन किया है कि मरम्मत के टेन्डर्स लिये गये, किन्तु कोई नई कच्ची सडक बनाने के टेन्डर्स नहीं मांगे गये ?

श्री महाराजा केसरीसिंह—ये टैन्डर्स कब लिये गये और कब मरम्मत शुरू हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जहां तक नई सड़कों का सवाल है टैन्डर्स नहीं लिये गये। मरम्मत का सवाल है, उसके लिए चार टैन्डर्स लिये गये।

पहला टैन्डर सतूर आलोद डबलाना देही रोड का है जो रामकिशन ठेकेदार को दिया गया, जिसके लिये ३,६६८) रुपये दिये गये। प्रारम्भ की तिथि १८,११,५४, और काम खतम करने की तिथि २०।१।५५ थी और तारीख १५–१२–५४ को यह कार्य समाप्त हो चुका है।

दूसरा टेन्डर था खातगर पाटन रोड का। यह भी रामकिशन ठेकेदारको दिया गया। जो १,०२६) रुपये का था। इसके कार्य आरम्भ करने की तिथि थी १८।११।५४ और काम समाप्त करने की तारीख १०।१।५५ और यह काम १-१२-५४ को शुरू हो चुका है।

तीसरी टैन्डर था बून्दी रोड स्टेशन से लाखेरी तक। यह ठेका अमरनाथ भाटिया को दिया गया। किन्तु जब ठेकेदार इस काम को करने में असफल रहा तो डिपार्टमेन्टली इस काम को किया गया जो पूरा हो चुका है।

चौथा गोरपचार डाबी रोड। यह देशराज लई को ठेके पर दिया गया जो १,३५८) रुपये का ठेका था। इसके कार्य आरम्भ करने की तारीख १८।११।५४ थी और काम खत्म करने की तिथि १८।२।५५ थी। इसमें २० मील तक काम ठेके से कराया गया। लेबर नहीं मिलने के कारण आगे के ५ मील का काम नहीं हो सका। अब इस काम को समाप्त किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ६१

नेनवा रोड की मरम्मत का ठेका

महाराजा श्री केसरीसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) नेनवा रोड की मरम्मत का ठेका किस ठेकेदार को कितने में दिया गया है ?

(ब) काम कब शुरू किया गया है और कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—काम इस प्रकार करवाये गये—

(१) स्पेशल रिपेयर्स बून्दी नेनवा रोड के चौथे और पांचवे माइल की। इसका ठेका किशनलाल चोपड़ा को दिया गया। यह ठेका ७,६११) रुपए में दिया गया। कार्य आरम्भ करने की तिथि १-१२-५४ थी और कार्य समाप्त करने की तारीख २८-२-५५ थी। यह काम समाप्त हो चुका है। दूसरा ठेका जो १७ माइल का था यह भी किशनलाल चोपड़ा को दिया गया। यह ५,२०७) रुपये का था। इसके कार्य आरम्भ करने की तारीख १-१२-५४ थी और कार्य समाप्त करने की तारीख २८-२-५५ थी। यह कार्य समाप्त हो चुका है।

तीसरा ठेका इसी रोड के ३२वें माइल का था। यह भी पूनमचन्द भाटिया को दिया गया। यह ठेका ६२०६) रु० का था। यह कार्य १-१२-५४ को शुरू हुआ और २८-२-५५ को समाप्त। यह भी काम समाप्त हो चुका है।

चौथा कन्सोलिडेशन ऑफ माइल १३वां और १४वां बून्दी नेनवा रोड का ठेका पूनमचन्द भाटिया को दिया गया। यह ठेका ५,४७६) रुपये का था। इस कार्य के शुरू करने की तारीख १-१२-५४ थी और कार्य समाप्त करने की तारीख २८-२-५५ थी। यह भी काम समाप्त हो चुका है।

[महाराजा श्री केसरीसिंह]

पांचवा ठेका कन्सोलिडेशन ऑफ माइल ३७ और १५ मील बून्दी नेनवा रोड का था। इसका ठेका श्री वेदप्रकाश को दिया गया। यह भी काम समाप्त हो चुका है।

६. कन्सोलिडेशन एन्ड सर्फेस पेन्टिंग ऑफ माइल १६ बून्दी नेनवा रोड। यह काम रामकिशन ठेकेदार को दिया गया। यह भी काम समाप्त हो चुका है।

७. कलेक्शन ऑफ पी० आर० मेटल बून्दी नेनवा रोड। इसका ठेका वीरसेन सहगल को दिया गया। यह भी काम समाप्त हो चुका है।

८. रिपेयर्स टू रेन डेमेजेज टू बून्दी नेनवा रोड। इसका ठेका रामकिशन को दिया गया। यह भी काम समाप्त हो चुका है।

९. रिन्यूअल ऑफ बेड पोर्शन ऑफ माइल ३५ और ३६ ऑफ बून्दी नेनवा रोड। इसका ठेका वेदप्रकाश को दिया गया। लेबर न मिलने के कारण यह काम समाप्त नहीं किया जा सका।

महाराजा श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि ये कार्य बरसात में न होने की वजह से खराब जल्दी हो जाते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रिपेयर्स का काम बरसात के बन्द हो जाने के बाद ही होते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि टेन्डर्स जो लिए जाते हैं वे ज्यादातर फरवरी या मार्च में लिये जाते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जितने भी काम मैंने बताये उनमें सिवाय एक के बाकी के सब काम समाप्त हो चुके हैं। केवल एक काम नहीं हो सका वह भी लेबर के न मिलने की वजह से हुआ है।

प्रश्न संख्या ६२

नये बन्दोबस्त की रेट ज्यादा होने के कारण काश्तकारों की शिकायत

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सच है कि जहां पर नये बन्दोबस्त हुए हैं वहां के रेट ज्यादा होने की काश्तकारों को शिकायत है?

(ब) यह रेट ज्यादा होने की शिकायत किस किस जिले में है?

(स) क्या सरकार फिर से इन रेट्स को रिवाइज करने का विचार रखती है?

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मन्त्री)

(अ) जी हां, कई जगहों से इस प्रकार की शिकायतें आई हैं।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ब) तहसील जमवा रामगढ़, जिला जयपुर के काश्तकारों ने सर्कल रेट्स के विरुद्ध शिकायतें की हैं ।

(स) सरकार ने इस विषय में एक अध्यादेश जारी किया है जिसके अन्तर्गत ऐसी शिकायतों की जांच की जाकर अगर आवश्यक होगा तो लगान की दरों में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा ।

श्री श्रीदास गोयल—सरकार बन्दोबस्त के समय अनाज के भाव जो मुकर्रर करती है वह किस आधार पर करती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग भाव हैं. Abnormal माल को छोड़कर बन्दोबस्त लागू होने से पिछले १० वर्षों के भावों को लेकर एवरेज भाव निकाले हैं ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मन्त्री यह बतलायेंगे कि इन भावों को निकालने में एब्नोरमल कितने सालों को निकाल कर एवरेज निकाला जाता है और किस आधार पर ये भाव नियत किये जाते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Abnormal माल तय हुए हैं वे बजट में शाया कर दिये गये हैं । आप किस जगह का पूछना चाहते हैं; आप किसी परटीकुलर जगह के लिये पूछना चाहते हैं तो वह बताया जा सकता है ।

श्री श्रीदास गोयल—आपने जमवा रामगढ़ का बताया वह किस आधार पर तय किये गये ? पांच साल का या बीस साल का एवरेज निकाला है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जमवा रामगढ़, यह फॉरमर जयपुर स्टेट का इलाका है । यहां पिछले दस साल के भाव के आधार पर रेट्स निकाली गई ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री जगतसिंह झाला—प्रश्न के भाग (स) का उत्तर नहीं मिला ।

श्री दामोदरलाल व्यास– सरकार ने इस विषय पर एक ऑर्डिनेन्स जारी किया है जिसके अन्तर्गत जांच के पश्चात् अगर आवश्यकता हुई तो परिवर्तन करेगी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री खेतसिंह ।

प्रश्न संख्या ६३

जोधपुर-जैसलमेर की मेटल्ड रोड का निर्माण कार्य

श्री खेतसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ...

Page No.37

[श्री खेतसिंह]

(१) जोधपुर, जैसलमेर की मेटल्ड रोड को बनाने के लिये जो पी० डब्लू० डी० द्वारा समय समय पर ओरीजिनल एस्टिमेट्स के माफिक टेन्डर्स तलब किये गये थे और उन टेन्डर्य में जो क्वेरीज़ फिक्स की गई थीं, क्या उन्हीं क्वेरीज़ से उपरोक्त सड़क पर मैटीरियल डाला गया ? यदि हां, तो कौन कौन सी क्वेरीज़ से ?

(२) क्या यह सही है कि पी० डब्लू० डी० के अफसरान ने ठेकेदारों से मिल कर ओरिजिनली फिक्स्ड क्वेरीज़ को कोई खास वजह न होने पर भी चेन्ज कर दिया है ? यदि कोई खास वजह से चेन्ज की गई हों तो वह बताई जावे और उक्त चेन्ज के अनुसार क्या ओरिजिनल रेट्स में भी नई रद्दोबदल हुई है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) केवल तीन खानों को जो विशेष कारण से छोड़ी गई हैं अन्य २२ टेन्डर में ली हुई खानों से उपयुक्त सड़क पर माल लिया गया है। वे खानें इस प्रकार की माइल्स पर हैं। बालेसर से शेरगढ़ की तरफ मील नम्बर ५३ के पास ५६ के पास बालेसर पोकरन की तरफ मील नं ४७.४,५५,६२,६३,६४,६५, ७२,७६,८१,६२,६८ और ६६।

पोकरन जैसलमेर रोड पर मील नम्बर २,५,६,८,११,१२,५७,७,६१.६,६५.२ से ६५.६ तक के पास।

(२) यह सही नहीं है। विशेष कारणों से निर्धारित खानों में वांछित किस्म का माल प्राप्त न हो सकने से टेन्डरों की शर्त के अनुसार एक्चुअल लोड का शिड्यूल रेट पर पेमेन्ट किया जाता है। इसलिये रेट्स की तब्दीली का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या ६४

जोधपुर—जैसलमेर सड़क पर प्रयोग में आने वाले रोलर्स

श्री खेतसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ...

(अ) जोधपुर जैसलमेर रोड पर कितने रोलर्स काम कर रहे हैं ?

(आ) फी रोलर को प्रति दिन कितना काम करना चाहिये ?

(इ) क्या यह सही है कि इस सड़क पर जो रोलर्स काम कर रहे हैं उन्होंने शिड्यूल्ड कोटा के माफिक काम नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) (अ) जोधपुर-जैसलमेर सड़क पर ६ रोलर काम कर रहे हैं।

(आ) रोलर के काम का कोई कोटा फिक्स्ड नहीं है।

(इ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर दिये गये धन्यवाद पर सन्देश

श्री अध्यक्ष—Now the question hour is our.

(विराम)

मैं सदन को सूचित करता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :

"I have received with great satisfaction the expression of thanks by the Members of the Assembly for the Address I delivered to them on the 28 th Fedruary, 1955."

(करतलध्वनि)

प्राक्कलन एवं जन लेखा समितियों के सदस्यों के निर्वाचन

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १८६ के उपनियम (२) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से, प्राक्कलन समिति १६५५–५६ के लिये १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (विराम) प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १८७ के उपनियम (२) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति १६५५–५६ के लिये, १० सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (विराम) प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति १६५५-५६ के चुनावों के सम्बन्ध में निम्न कार्य-क्रम निर्धारित किया गया है :

(१)	नामजदगी के पर्चों को पेश करना	१७-३-५५, ११ बजे प्रातः तक।
(२)	नामजदगी के पर्चों की जांच उन सदस्यों के समक्ष जो उस समय उपस्थित रहना चाहें	१७-३-५५ सदन की बैठक स्थगित होने के तुरन्त पश्चात्
(३)	नामजदगी के पर्चों को वापस लेना (सदन के वक्तव्य द्वारा)	१८-३-५५
(४)	चुनाव यदि आवश्यक हों तो	२२-३-५५, ८-३० बजे प्रातः से १२-३० बजे मध्यान्ह और ३ बजे सायं से ५ बजे सायं
(५)	मतों की गणना	२३-३-५५
(६)	चुनावों के परिणाम की घोषणा	२४-३-५५

नामजदगी के पर्चों के खाली फॉर्म सूचना कार्यालय से दिनांक १६ मार्च, सन् १६५५ को ५ बजे सायं तक और दिनांक १७ मार्च, सन् १६५५ को ११ बजे प्रातः तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

नामजदगी के पर्चों की जांच रिटर्निंग अधिकारी (सचिव, राजस्थान विधान सभा) द्वारा विधान सभा भवन के समिति कक्ष में की जावेगी।

नामजदगी के पर्चे दिनांक १८ मार्च, सन् १६५५ को सदन में वक्तव्य द्वारा वापस लिए जा सकेंगे जिसमें केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Kapil Dev Agrawal.

राजस्थान दहेज निवारक विधेयक, १६५२ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिये समय में वृद्धि)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्रीवेन्शन ऑफ डावरी बिल, १६५२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की उपस्थिति के हेतु नियत समय को १५ मार्च तक के लिये और बढ़ाया जावे।

Page No.40

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ (विराम)। क्या सदन की यह अनुमति है कि समय बढ़ा दिया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्थान नग्न उपस्थिति तथा प्रदर्शन (प्रतिषेध) विधेयक, १९५५, (पुरः स्थापन)

श्री भीमसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नग्न उपस्थिति तथा प्रदर्शन (प्रतिषेध) विधेयक, १९५५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरस्थापित करने की इजाजत दी गई।

श्री भीमसिंह—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान में औद्योगिक धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिये योजनाओं सम्बन्धी संकल्प

श्री अध्यक्ष—अशासकीय कार्य। पहला प्रस्ताव है श्री चांदमल मेहता द्वारा। श्री चांदल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रथम संकल्प इस प्रकार है;

"इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान में औद्योगिक धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न योजनाएं स्वीकृत की जावें :

(अ) राजस्थान की औद्योगिक सर्वे कराई जावे।

(आ) राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों के राजाओं द्वारा दी गई औद्योगिक धन्धों की मोनोपलियां समाप्त की जावें।

(इ) औद्योगिक कारखानों को रायल्टी से मुक्त किया जावे।

(ई) लाइसेन्स सिस्टम बन्द किया जावे।

(उ) कच्चे माल एवं कोयला आदि का यथोचित कोटा मुकर्रर किया जावे।"

[श्री चान्दमल मेहता]

अध्यक्ष महोदय, आज से करीब ६ वर्ष पूर्व स्वर्गीय सरदार पटेल के अथक प्रयत्नों से राजस्थान का निर्माण हुआ। इस राजस्थान राज्य में १८ छोटे-मोटे भूतपूर्व राज्य शामिल है। वर्तमान राजस्थान राज्य डेढ़ करोड़ की जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल की दृष्टि से हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े प्रान्तों में से एक है। अध्यक्ष महोदय, इसकी औद्योगिक स्थिति की ओर अगर हम निगाह डालें तो यही कहना पड़ेगा कि कुदरत ने राजस्थान को वे सभी चीजें दी हैं जो अधिकतर दूसरे प्रान्तों को नहीं मिल पाई हैं और इस दृष्टि से राजस्थान का औद्यौगिक विकास अधिक से अधिक होना चाहिये था। लेकिन इसके साथ ही खेद के साथ हमे यह कहना पड़ेगा कि इतने साधन हमारे पास होते हुए भी औद्यौगिक दृष्टि से राजस्थान दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में अधिक से अधिक पिछड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, औद्यौगिक विकास के लिए तीन चीजें आवश्यक होती हैं। (१) पूंजी, (२) कुशल कारीगर, और (३) कच्चे माल की बहुतायत।

जहां तक कि इन तीन चीजों का प्रश्न है राजस्थान इन तीनों बातों से परिपूर्ण है। राजस्थान के उद्योगपति कुशल उद्योगपति तो हैं ही पर साथ ही उन्होंने राजस्थान के बाहर भी जो ख्याति प्राप्त की है और जिस तरह से बाहर के अधिकतर उद्योगों पर उन्होंने कब्जा कर रक्खा है वह किसी से छुपा नहीं है। कलकत्ता, बम्बई आदि बड़े-बड़े शहरों में आज राजस्थान के लोगों का अधिकतर बड़े-बड़े उद्योगों पर कब्जा है।

इसके बाद जहां तक कुशल कारीगरों का सम्बन्ध है राजस्थान के व्यक्ति अपनी कुशलता और परिश्रम के लिए भी मशहूर हैं और भिन्न-भिन्न प्रान्तों में आज वे बड़ी कुशलता और ख्याति के साथ काम कर रहे हैं।

[डॉ० श्री मंगलसिंह सभापति पदासीन]

और जहां तक कच्चे पदार्थों का संबंध है यह कहना पड़ेगा कि हमारा राजस्थान इन कच्चे पदार्थों के बारे में बहुत धनी है; लेकिन कच्चे पदार्थों का उपयोग राजस्थान में नहीं होता और उसका बहुत बड़ा हिस्सा बाहर भेज दिया जता है। ऊन को ही ले लीजिये, राजस्थान में प्रतिवर्ष २,७५,००० मन ऊन पैदा होती है और वह ऊन हमारे हिन्दुस्तान की उपज की दो तिहाई से अधिक है, लेकिन उसका सिर्फ २० प्रतिशत राजस्थान के अन्दर उपयोग में आता है और बाकी ८० प्रतिशत बाहर भेज दिया जाता है। इसी तरह से चमड़े को ले लीजिये। राजस्थान में इतना चमडा पैदा होता है कि वह हिन्दुस्तान की उपज का आधे से अधिक होता है, लेकिन चमड़े का उद्योग यहां विकसित नही हो पाया है। नमक का उद्योग यहां टूटा फूटा चलता है, उसके विकास में भी अभी काफी गुन्जाइश है।

इसी तरह खनिज पदार्थों के संबंध में राजस्थान काफी धनी है। यहां कई प्रकार के खनिज पदार्थ हैं और उनसे काफी उद्योग पनप सकते हैं, लेकिन उस ओर भी अभी हमारा खयाल नहीं बन पा रहा है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान में औद्योगिक प्रगति जो होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई है। राजस्थान के उद्योगपतियों ने राजस्थान के बाहर जब अपना काम फैलाया उस टाइम पर राजाओं की निगाह इस तरफ नहीं गई, लेकिन जब बाहर के प्रान्तों में

३४६ राजस्थान में औद्योगिक धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाओं संबंधी संकल्प

[श्री चांदमल मेहता]

उनके कामों को देखा तो राजाओं का कुछ इस ओर ध्यान गया, और उसी के परिणामस्वरूप राजस्थान में कुछ औद्योगिक करखाने चालू हुए। राजस्थान में ५ टेक्सटाइल मिल्स, २ शूगर मिल, करीब डेढ दर्जन आइल मिल २ सीमेन्ट के कारखाने चालू हुए। जब राजाओं ने कुछ देखा तो सुविधाएं देने का निश्चय किया और कुछ राजाओं ने आर्थिक सहायता भी दी।

इस तरह से कुछ घरेलू उद्योगों को भी मौका मिला और वह उद्योग भी काफी अच्छी तादाद में तो नहीं कहे जा सकते हैं लेकिन उनको पनपने का मौका मिला। लेकिन राजस्थान के निर्माण के बाद यह कहना पड़ेगा कि जो उद्योग धन्धे यहां पनपे उन उद्योग-धन्धों का विकास कम हुआ है और ह्रास अधिक हो रहा है। सभापति महोदय, जो बड़े कारखाने थे उनमें में कुछ को छोड़कर बाकी के घटे हैं और जहां तक घरेलू उद्योगों का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि वे तो एक तरह से समाप्त होते जा रहे हैं। घरेलू उद्योग-धन्धे जो कि यहां के महत्वपूर्ण धन्धे थे उनका राजस्थान के निर्माण के बाद काफी ह्रास हुआ है, उनके बारे में मैं दो-चार शब्द कहना चाहूंगा।

राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण धन्धों में से जो एक महत्वपूर्ण धन्धा रहा है वह है खरड का उद्योग, जो कि हिन्दुस्तान के अन्दर जयपुर शहर में ही रहा है। इससे २० हजार आदमियों का जीवननिर्वाह होता रहा है। राजस्थान के निर्माण के बाद, मैं यह कह सकता हूं कि इस धन्धे के ऊपर निर्वाह करने वालों की २० हजार की संख्या में से अब ५ हजार भी नहीं होगी। साथ ही साथ हैन्डलूम फेक्ट्री के संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान के निर्माण के पूर्व १२० हैण्ड लूम फेक्ट्रियां काम करती थीं, लेकिन आज कुल मिलाकर ४० हैन्डलूम फेक्ट्रियां हैं। गोटा उद्योग के संबंध में मैं यह कहूंगा कि राजस्थान के निर्माण के पूर्व कुछ क्षेत्र ऐसे रहे हैं जो अपना सारे हिन्दुस्तान में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, खास तौर से मैं कह सकता हूं किशनगढ़ के लिए। गोटे के उत्पादन के लिए हिन्दुस्तान में ४ मुख्य केन्द्र माने जाते थे, बैंगलोर, सूरत, दिल्ली और चौथा किशनगढ़, लेकिन किशनगढ के लिए मैं यह कह सकता हूं कि वहां इस उद्योग का आज नामोनिशान ही नहीं रहा। इस तरह से और भी कई धन्धे हैं, कहां तक गिनाया जाय ? यह कहा जा सकता है कि बहुत बडा औद्योगिक ह्रास हुआ है; और खास तौर से छोटे उद्योगों का।

राजस्थान में कुछ समय से राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर गया है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को बधाई दूंगा। उन्होंने कुछ समय पूर्व औद्योगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना की है और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण की योजना भी बनाई है, लेकिन इतने बड़े काम के लिए यह काफी नहीं हैं। इसीलिए मैंने मेरे प्रस्ताव में कुछ बातों का जिक्र किया है और मैं उन्हीं खास बातों की ओर सदन का ध्यान, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत आकर्षित करूंगा।

किसी भी प्रान्त के लिए औद्योगिक विकास में सर्वप्रथम अगर कोई बात जरूरी हो सकती है तो वह है वहां की औद्योगिक सर्वे। यह सर्वे सब से पहले कराया जाना चाहिए। राजस्थान के निर्माण

[श्री चांदमल मेहता]

के बाद बड़े बड़े धन्धे व कारखाने बन्द हो गये हैं, कुछ ऐसे भी कारखाने हैं जिनके अन्दर सरकारी पूंजी लगी हुई है। जहां एक ओर सरकार को खयाल करना चाहिए था अपनी पूंजी का वहां वह अब तक चुप रही है। अब सरकार औद्योगिक सर्वे कराके एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित कराये कि यहां कौन २ से धन्धे पनप सकते हैं, क्या क्या साधन हैं और क्या सुविधाएं उनके लिए हो सकती है। यह राजस्थान सरकार को शुरू में करा लेना चाहिये था, पर यह बात करना तो दूर रहा राजस्थान सरकार ने उन उद्योगों की भी सर्वे नहीं कराई जो कि राजस्थान के निर्माण से पहले चालू थे और जिनमें ऐसे कारखाने भी हैं जिनके अन्दर गवर्नमेंट की लाखों की पूंजी लगी हुई है और इस वक्त वे कारखाने बन्द पड़े हैं।

मैं अर्ज करूँगा कि औद्योगिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात हो सकती है वह औद्योगिक सर्वे हो सकती है, चाहे वह कितना ही कठिन हो और उनमें कितना ही रूपया खर्च होता हो, लेकिन जब तक राजस्थान की औद्योगिक सर्वे नहीं होगी तब तक राजस्थान के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी बाधा रहेगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिसको सरकार को जल्दी से जल्दी अपने हाथ में लेना चाहिए।

दूसरी बात जो मैंने अपने प्रस्ताव में रखी है वह है राजाओं के वक्त में दी हुई मोनोपलियां समाप्त करने के सम्बन्ध में। माननीय चेयरमैन महोदय, राजाओं ने अपने समय में अपने रियासती क्षेत्रों में कुछ लोगों को कुछ धन्धों की मोनपोलियां दी थीं। उसका परिणाम यह हुआ कि वे धन्धे स्वयं भी पनप न पाये और जो वहां अन्य उद्योग विकसित होने को थे वे भी विकसित नहीं हो पाये। मैं जहां तक किशनगढ़ के बारे में सोचता हूँ तो यह मानता हूँ कि वहां सारे के सारे कामों की मोनोपलियां दे दी गई थीं। हमने उनको हटाने के लिए बहुत कोशिश की। हम यह चाहते थे कि किशनगढ़ में एक लोहे का कारखाना चालू करें। हमने एक पार्टी को तैयार भी किया था, लेकिन उसके सामने यही दिक्कत थी कि राजस्थान सरकार के पहले से ही किशनगढ़ सरकार ने वहां मोनोपोली दे रक्खी थी। यह एक ही नहीं कई, तरह की मोनोपलियां किशनगढ़ में हैं। किशनगढ़ में ही नहीं जोधपुर आदि दूसरी रियासतों में भी कई खानों की व कारखानों की इस तरह की मोनोपलियां हैं। वे हमारे राजस्थान के औद्योगिक विकास में बाधक हैं। हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में यह मिसाल नहीं मिलेगी कि जहां इस तरह की मोनोपलियां हों। यह एक मिसाल हमारे राजस्थान में ही है। कानूनन क्या स्थिति है ? इस तरह की मोनोपलियां रहेंगी या नहीं, यह मैं नही कह सकता पर मैं मानता हूँ कि यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि राजस्थान के औद्योगिक विकास में बाधक है, इसलिए राजस्थान सरकार को इस तरह की मनोपलियां जल्दी से जल्दी समाप्त कर देनी चाहिये।

तीसरा जो मैंने सुझाव रखा है वह है रॉयल्टी के सम्बन्ध में। माननीय चेयरमैन, राजस्थान में से कुछ कारखाने ऐसे हैं जिनसे रॉयल्टी वसूल की जाती है, कुछ कारखाने ऐसे हैं जिनसे रॉयल्टी वसूल नहीं की जाती है। एक ऑइल मिल है जिससे रॉयल्टी नहीं ली जाती है; दूसरा है जिससे ली जाती है, तीसरा ऑइल मिल ऐसा है जिसको उसके सेल के आधार पर रॉयल्टी देनी पड़ती है, तो

[श्री चांदमल मेहता]

चौथा ऑइल मिल ऐसा है जिसको उसके उत्पादन के आधार पर रायल्टी देनी पड़ती है। भिन्न भिन्न जगह और भिन्न २ कारखानों से भिन्न २ रेट पर रॉयल्टी वसूल की जा रही है। माननीय चैयरमैन, जहां तक इसकी कानूनी स्थिति को हम देखते हैं तो राजस्थान में कोई कानून ऐसा नहीं है जिसके आधार पर उद्योग धन्धे से किसी आधार पर रॉयल्टी ली जा सके, यह रॉयल्टी जो कुछ वसूल की जाती है वह पुराने एग्रीमेन्ट्स के आधार पर है, जो एग्रीमेंट राजस्थान के निर्माण के पूर्व रियासतों के वक्त हुए थे, मगर यदि उन्हीं बातों की पाबन्दी करना है तो उन एग्रीमेंन्ट्स की दूसरी बातें जो हैं कि किसी किस्म का टेक्स नही लगायेंगे; इनकम टेक्स नहीं लगायेंगे, सुपरटेक्स नहीं लगायेंगे, और कोई प्रकार का टेक्स नहीं लगायेंगे; इन्हें भी मानना चाहिये। लेकिन सरकार ने ये सारे टेक्सेज तो जरूर इम्पोज कर दिये हैं और जहां आमदनी का सवाल आता है राजस्थान सरकार यह रॉयल्टी भी कायम रखने का विचार रखती है।

यदि हम इन उद्योगों की लिस्ट देखें जिनसे आखिरकार रॉयल्टी किन्हीं अधिकारों से ली जाती है और यह देखें कि वे अधिकार अब भी लागू हैं या नहीं तो पता चलेगा कि जिन उद्योगों को नयी इजाजत दी जाती है उनसे नहीं ली जाती है। मैं निवेदन करूंगा और इसी सदन में उद्योग मंत्रीजी से प्रश्न पूछ कर जो जानकारी मैंने हासिल की है उसके आधार पर मैं कह सकूंगा कि राजस्थान बनने के बाद किसी कारखाने पर रॉयल्टी लगाई गई है तो वह उदयपुर डिविज़न में लगाई गई है और किसी डिवीज़न में नहीं। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और कोटा इनमें से किसी भी डिवीजन में नहीं लगाई गई है। लेकिन उदयपुर डिवीजन में आज भी चालू है। आज यदि हम उदयपुर की हालत देखें तो मालूम होगा कि वहां पर अधिकांश कारखाने बंद पड़े हैं। जिस जिस डिविजन में जिन जिन कारखानों से रॉयल्टी ली जाती है उनकी लिस्ट हमारे सामने रख कर देखें तो उससे हमें पता लगेगा कि जयपुर डिवीज़न में सिर्फ २ कारखाने ऐसे हैं जिनसे रोयल्टी वसूल की जाती है और बदकिसमती से वे दोनों ही कारखाने भूतपूर्व किशनगढ़ रियासत में हैं। इन दो के अलावा जयपुर डिवीजन में जितने भी कारखाने है वे सब रोयल्टी से एग्जेम्प्टेड हैं। यदि हम बीकानेर डिवीजन को देखें तो सौभाग्य से वहां के किसी भी कारखाने को रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती। जोधपुर डिवीजन में केवल चार ऐसे कारखाने है जिनको रॉयल्टी देनी पड़ती है। कोटा डिवीजन में भी भूतपूर्व राजस्थान बनने से पहले जो चार कारखाने बने थे उनको रॉयल्टी देनी पड़ती है। उदयपुर डिवीजन में अधिक से अधिक कारखाने हैं जिनको रॉयल्टी देनी पड़ती है और उनकी संख्या ५६ है। इस रॉयल्टी का असर यह हुआ जैसा कि पहले निवेदन किया गया है, एक ओर तो कारखाने बंद होने लगे और दूसरी ओर एक तरीका और चला और वह तरीका यह चला कि जब लोगों ने देखा कि सरकार की रॉयल्टी से बचने का कोई तरीका नहीं है तो उसको बेच दिया जाय तो लोगों ने या तो फेक्ट्रीज को बेचदीं या दूसरे स्थान पर तब्दील करदी क्यों कि दूसरे स्थान पर तब्दील करदेने से रॉयल्टी नहीं लगती। इस कारण से बहुत से कारखाने एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा दिये गये और उनको हटाने में बहुतसा खर्चा लगा। अगर यह भी देखा जाय कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में रोयल्टी लगती है या नहीं तो आपको पता चलेगा कि हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसा प्रान्त नहीं है जहां पर रोयल्टी लगती हो।

रॉयल्टी से रकम कितनी वसूल होती है इस सम्बन्ध में आंकड़ों के आधार पर मैं कहूंगा कि

[श्री चांदमल मेहता]

वह ३४११६ रु० ७ आ० ३ पा० है। उन उद्योगों से जो इस समय यहां चालू हैं और जो बन्द हो गये रॉयल्टी लगने की वजह से उनसे भी कुछ रकम प्राप्त हो सकती थी किन्तु वे तो अब बन्द हो ही गये। राजस्थान में उद्योग-धन्धे उस समय कुछ पनपे थे जब कि यहां पर कोई टेक्स नहीं लगता था। पहले इन उद्योगों पर इन्कम टेक्स और सुपर टेक्स नहीं था। लेकिन आज यदि देखा जाय तो इन्कम्टेक्स और सुपरटेक्स के अलावा सेल्स टेक्स और लग गया है। जिस समय हाउस में सेल्स टेक्स के बारे में चर्चा चल रही थी उस समय मैंने जोरदार शब्दों में यह मांग की थी कि जो टेक्स आप यहां लगाने जा रहे हैं उसके जरिये राजस्थान के उद्योग-धन्धे पनपने के बजाय खत्म हो जायेंगे। लेकिन उस समय राजस्थान सरकार की नजर कस्ट म से होनेवाले घाटे की पूर्ति की तरफ थी और वह टेक्स लागू हो ही गया। दूसरे स्थानों पर यदि सेल्स टेक्स है तो रॉयल्टी नहीं है। यदि रॉयल्टी और सेल्स टेक्स दोनों ही यहां चालू रखेंगे तो जो उद्योग धन्धे हमारे सामने हैं वे भी खत्म हो जायेंगे क्योंकि यह समय डेप्रिसियेशन का है, इस समय मुनाफा नहीं हो सकता। जहां पर पहले चार पैसे, या दो पैसे रुपया भिन्न भिन्न तरह से उत्पादन कर के नाम से या रॉयल्टी के नाम से लिया जाता था वहां अब ३ रु० २ आ० प्रति सैकड़ा सेल्स टेक्स और लग जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें धीरे धीरे निश्चित तौर पर उद्योग धन्धों को खत्म करना है, यदि ऐसी ही है तो सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं अर्ज करूंगा कि रॉयल्टी वसूल करना अवैधानिक है। इसे बन्द कराया जाना आज की परिस्थिति में जरूरी है। जो रॉयल्टी सरकार वसूल कर रही है उसे, मैं आशा करता हूं कि उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार बन्द कर देगी।

श्री भीमसिंह—ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर कोरम नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—कोरम है साहब, गिन लीजिये।

(कुछ सदस्य लॉबी में से आ जाते हैं इसलिये कोरम हो जाता है)

श्री चांदमल मेहता—(भाषण जारी रखते हुए) चौथी चीज जो इस प्रस्ताव में निवेदन की है वह है लाइसेन्स बन्द करने के बारे में। माननीय चेअरमेन, राजस्थान में जब किसी उद्योग को खोलने की आवश्यकता होती है तो आवेदन करना पड़ता है कि इसके लिये लाइसेन्स दिया जाय और लाइसेन्स मिलने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, हालांकि वह बहुत साधारण मांग होती है। लेकिन जब कोई पैसे वाला उद्योग स्थापित करना चाहता है तो लाइसेन्स देने वाले अफसर यह ख्याल करते हैं कि हमारा हिस्सा क्या होगा। यदि उनको हिस्सा नहीं मिलता तो लाइसेन्स भी जल्दी नहीं मिलता, चक्की जैसी साधारण चीज को इजाजत के लिये भी जब तक सौ या डेढ़ सौ रुपये खर्च नहीं करते तब तक लाइसेन्स नहीं मिलता और बड़े उद्योगों में तो कई गुना अधिक खर्च करना पड़ता है। यह लाइसेन्स सिस्टम हमारे यहां उद्योगों के विकास में बाधक सिद्ध हुआ है।

इसके साथ ही एक दूसरी चीज़ और है वह है फेक्ट्री एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना। हिन्दुस्तान के बहुत से प्रान्तों ने यह महसूस किया कि हमें अपने यहां उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना

२४३ राजस्थान में औद्योगिक धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाओं संबंधी संकल्प

[श्री चांदमल मेहता]

है इसलिये उन्होंने अपने यहां लाइसेन्स सिस्टम को बंद किया। हमारे राजस्थान का पड़ोसी छोटा सा राज्य अजमेर-मेरवाडा में भी यह कर रखा है कि वहां लाइसेन्स सिस्टम नही होगा। कोई भी आदमी कारखाना शुरू कर सकता है और कारखाना खोलने के बाद उसको फेक्ट्री एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लाइसेन्स सिस्टम से सरकार को कोई फायदा नहीं होता, सिवाय इसके कि उद्योगपतियों को कठिनाई हो। इससे यदि किसी को फायदा हो सकता है तो चंद सरकारी अफसरों को जिनको कि इजाज़त देने के बदले में कुछ मुआवज़ा मिल सकता है।

चेअरमेन महोदय, मैं आपके द्वारा हाउस का और सरकार का ध्यान प्रथम औद्योगिक कान्फ्रेन्स की ओर दिलाना चाहता हूँ जो राजस्थान का निर्माण होने के तुरन्त बाद ही इसी हॉल में उस समय के उद्योग मंत्री श्री सिद्धराजजी ढड्ढा की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें राजस्थान के उद्योगपतियों के अलावा प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति भी आये थे। उस समय भी यह सुझाव दिया गया था कि यह लाइसेन्स सिस्टम बंद कर दिया जाय। उस वक्त यह कहा गया था कि क्योंकि हमारा राजस्थान प्रान्त नया बना है इसलिये इस सिस्टम को कुछ समय के लिये चालू रखना पड़ेगा। उस समय यह कहा गया था कि सरकार यह रिअलाइज़ करती है कि इस सिस्टम की आवश्यकता नहीं है और यह सिस्टम हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं है। उस समय यह सिस्टम पांच वर्ष के लिये रखा गया था। मैं इस सम्बन्ध में अदब से अर्ज करूंगा कि इस समय ५ वर्ष की अवधि के बजाय इसे ३ वर्ष हो गये हैं और शुरू में जो अवधि रखी गई थी वह गुजर चुकी है। यदि सरकार यह चाहती है कि हमारे यहां उद्योग धन्धों की वृद्धि हो तो यह आवश्यक है कि लाइन्सेस सिस्टम बन्द किया जाय।

पांचवीं चीज़ जो मैंने राजस्थान में देखी है वह उन चीज़ों के बारे में है जिन चीजों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पूरी की जा सकती है, या वे चीजें जो कन्ट्रोल के अन्दर हैं। अधिकतर चीजें कन्ट्रोल से मुक्त हो चुकी हैं, पर बहुत सी चीजें ऐसी अब भी हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। जैसे हमारे राजस्थान में लोहा बहुत होता है, पर कच्चा लोहा होता है। हमें शुद्ध किये हुए लोहे की जरूरत है। आज देखा जाय तो राजस्थान को जितना लोहे का कोटा मिला है वह नहीं के बराबर है। इसलिये लोहे का जितना कोटा मिलना आवश्यक है उतना नहीं मिलने के बाजूद कन्ट्रोल होने के कारण जिनके पास सरिये बनाने की मशीनिरी आ भी चुकी हैं वे लोग भी काम चालू नहीं कर सके हैं।

तो ऐसी सूरत में सरकार को देखना है कि कौनसा ऐसा रॉमेटिरियल है जो अन्डर कन्ट्रोल है या डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से मिल सकता है और इस तरह कितना औद्योगिक विकास किया जा सकता है? अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो मैंने संकल्प रखा है, और जो बातें सदन के सामने रखीं वे राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिये बहुत ही जरूरी हैं। अतः इस संकल्प को स्वीकार किया जावे।

हो सकता है कि माननीय उद्योग मन्त्री आर्थिक घाटे की बात कह कर इसे स्वीकार करने से मना करें, पर मैं यह निवेदन करूंगा कि आर्थिक घाटा होने की सूरत में तो हमें और भी यह सोचना

[श्री चांदमल मेहता]

हैं कि किस तरह राजस्थान में औद्योगिक विकास हो सकता है, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे कि आर्थिक घाटे को दूर किया जा सकता है। अतः अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस संकल्प को स्वीकार करें।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय चेअरमेन, अभी जो माननीय सदस्य, श्री चांदमलजी मेहता ने संकल्प सदन में पेश किया है, वह बड़ा अहमियत का है।

पहले आपने बताया है कि राजस्थान की औद्योगिक सर्वे की जाय तो मेरा इस बारे में यह कहना है कि सर्वे जरूर की जाय पर सर्वे कराई जाय जो होशियार, टेक्निकल और इस काम को पूरी तरह जानने वाला अफसर हो उसके हाथों। उसके द्वारा कराई जाय तो राजस्थान को लाभ हो सकता है। राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, औद्योगिक धन्धे फैलाने का यहां बहुत क्षेत्र होते हुए भी सरकार औद्योगिक धन्धे फैलाने के बारे में उदासीन है। इसका कारण यह है कि औद्योगिक धन्धों के जानकार अफसर हमारे राजस्थान में नहीं हैं। जो अभी हैं भी वे नट-बोल्ट में भी नहीं समझते हैं, तो औद्योगिक धन्धों के बारे में क्या जानते होंगे। यह एक मुख्य कारण हैं कि हमारे यहां औद्योगिक धन्धे दबे हुए हैं।

हमारे यहां जयपुर में बॉल-बीयरिंग की एक फेक्टरी है और वह बहुत अच्छे अच्छे पुर्जे बनाती हैं। तो इससे जाहिर होता है कि बड़े बड़े अहमियत के कारखाने हमारे यहां राजस्थान में खोले जा सकते हैं पर हमारी सरकार के पास जानकार अधिकारी नहीं हैं। इस लिये जानकार होशियार अफसरों के साथ राजस्थान की औद्योगिक सर्वे कराई जावे।

उन्होंने मोनोपॉली सिस्टम को उठाने का कहा है, उसकी भी में ताईद करता हूं। मोनोपॉली से दूसरे आदमी जो उद्योग-धन्धा करना चाहते हैं वे इच्छा होते हुए भी वह धन्धा नहीं कर सकते। अतः उद्योग-धन्धों के विकास के लिये यह आवश्यक है कि मोनोपॉली सिस्टम को हटाया जाय। एक और बात उन्होंने यह कही हैं कि रॉयल्टी से उद्योग-धन्धों को मुक्त किया जाय। वास्तव में रॉयल्टी ऐसी चीज़ है कि इससे उद्योग-धन्धों को मुक्त करना भी चाहिये। एक कारखाना रॉयल्टी देता है और दूसरा नहीं देता है तो वे दोनों जो माल पैदा करते हैं उसकी कीमतों में फरक होगा और उसे बेचने में दिक्कत होगी, एक घाटे में जायगा और दूसरा बढ़ेगा और इस तरह नये कारखाने पनप नहीं सकेंगे। इसलिये राजस्थान में जितने कारखाने हैं उन सब के साथ रायल्टी के मामले में समानता का व्यवहार किया जाय।

लाइसेन्स के मुतल्लिक भी माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कहा है। उद्योग-धन्धों का जहां तक सवाल है सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना ही काफी है, लाइसेन्स सिस्टम, को हटा देना चाहिये। लाइसेन्स सिस्टम रखने की हालत में लाइसेन्स नहीं मिलने से ऐसे कारखाने खोले भी नहीं जा सकते और लाइसेन्स प्राप्त करने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, अतः लाइसेंस सिस्टम को हटा कर यह करें कि जो भी चाहे कारखाना खोल ले और कारखाना खोलने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो

[श्री संतोषसिंह]

जाय। जो कारखाने खोलें जाय उन कारखाने वालों को कच्चा माल, रॉमेटिरियल बराबर नहीं मिलता। कोयले की जरूरत है तो पूरा कोयला नहीं मिलता और तेल की जरूरत है तो पूरा तेल नहीं मिलता और इसका नतीजा यह होता है कि नये उद्योग–धन्धे पनप नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में जो नये कारखाने खुलने वाले हों तो उनके तेल, कोयला और कच्चे माल की व्यवस्था सरकार खुद करे और ऐसी व्यवस्था करने के लिये सरकार कटिबद्ध होती है तो राजस्थान में बहुत बड़े बड़े कारखाने खुल जायंगे और बेकारी का जो एक बहुत ही बड़ा बोझा सरकार के ऊपर पड़ा हुआ है वह भी हल हो जायगा। आज बेकारी की समस्या बहुत ही भयंकर रूप धारण किये हुए है और आगे भी इसका हल होने की आशा नहीं दीखती हैं जब तक कि उद्योग-धन्धों को पनपने के लिये सरकार खुद हाथ नही बटाये।

उद्योग धन्धों की सर्वे के साथ साथ जब तक अनुभवी, टेक्निकल आदमी नहीं होंगे, केवल बी० ए०, एम० ए० पास किये हुए इस काम के लिये मुकर्रर किये जायंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इस लिये औद्योगिक सर्वे के लिये अनुभवी टेक्निकल अफसरों को ही रखा जाय।

अंत में मैं माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उसका समर्थन करता हूं और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान की बेकारी को दूर करने का यह एक बहुत ही अच्छा संकल्प रखा है, इसे सर्व सम्मति से पास किया जावे।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय चेयरमैन, परबतसर से आए हुए माननीय सदस्य के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय चेयरमैन, इस प्रस्ताव में जो जो खास बातें रखी हैं वे पॉइन्ट बाई पॉइन्ट राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश का विकास चाहे किसी दृष्टिकोण से किया जाय, चाहे खेती के द्वारा किया जाय, चाहे औद्योगिक विकास के द्वारा किया जाय या इन्डस्ट्रीज़ के ज़रिये किया जाय, इन सभी सूरतों में जब तक कि उसकी सर्वे नहीं होती, रूल्स नहीं बनते तो वह काम होता नहीं है, उस काम में कामयाबी नहीं मिलती है।

राजस्थान बने ५ वर्ष हो चुके हैं, पर कोई सर्वे की रिपोर्ट, कोई नक्शा हमारे सामने नहीं है। हो सकता है कि राजस्थान सरकार के पास घर में, रेकॉर्ड में हो सकता है, पर राजस्थान की जनता के सामने आज राजस्थान की इन्डस्ट्रियल सर्वे का कोई नक्शा नहीं है, सर्वे की कोई भी रिपोर्ट नहीं है।

श्रीमन्नारायण अग्रवाल जब यहां आये थे और इस सम्बन्ध में जब उनसे बात-चीत हुई थी कि किस तरह राजस्थान का औद्योगिक विकास हो सकता है तो उस वक्त भी मैंने इसी बात पर जोर दिया था। ढड्ढाजी ने कहा था कि जिस समय वे राजस्थान में मिनिस्टर थे उस समय सर्वे की कोई एक रिपोर्ट निकली थी।...

श्री देवीसिंह—ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर, में यह सूचित करता हूं कि सदन में १४ सदस्य भी नहीं हैं।

[श्री देवीसिंह]

(कोरम पूरा करने के लिए सूचनात्मक घंटी)

श्री मोतीलाल चौधरी- (जारी)तो अगर किसी देशकी उन्नति हम करना चाहें और उस देशकी सर्वे नहींकरावें तो किसतरह काम चलेगा। बगैर सर्वे के कोई निर्णय नहीं हो सकता। माननीय चेअरमैन,मैं निवेदन कररहा था कि एककमेटी में भरतपुरमें भूतपूर्व इन्डस्ट्रियल मिनिस्टर ढड्ढासाहबने कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे हुआ था और वह सर्वे पड़ी हुई है। अगर सर्वे कराकर घर में पड़ी रखी जावे तो उसका क्या फायदा ! सर्वे करा कर घर में रखना जरूरी नहीं होता क्योंकि घर में रखने से पब्लिक को मालूम नहीं हो सकता। आज डेमोक्रेसी है, इस युग में पब्लिक को, सर्वे करके बताना चाहिए ताकि इन्डस्ट्रीज़ में दिलचस्पी रखनेवाले लोग सोच सकें कि किस किस प्रकार की इन्डस्ट्री में कितनी गुंजायश है और इससे इन्डस्ट्रीज़ में रुपया इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा ? इसलिए इस पर मैं ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि सर्वे होनी चाहिए।

दूसरा पॉइन्ट है रायल्टी के बारे में। अभी भी वही रॉयल्टी लोगों से वसूल की जाती है जो राजस्थान बनने से पहले वसूल की जाती थी। राजस्थान बनने से पहले सेल्स टेक्स व दूसरे टेक्स रियासतों में नहीं थे और रॉयल्टी ली जाती थी। मगर आज तो दूसरे टैक्स बहुत हैं और फिर रॉयल्टी भी ली जाती है। इसका नतीजा यह होगा कि पास की स्टेटों से हमारे यहां के इन्डस्ट्रीयल लोग कम्पीटीशन नहीं कर सकते। मध्यभारत और अजमेर में रॉयल्टी नहीं है और सेल्स टैक्स है तो वह भी बहुत कम है। इसलिए हमारे यहां कम्पीटीशन के सामने इन्डस्ट्री का पनपना मुश्किल है। रॉयल्टी दो-तीन स्टेटों में हीं है, बाकी सब में नहीं है और वह उन पुरानी इन्डस्ट्रोज़ पर लागू है जो स्टेटों के समय में काम करती आ रही हैं। इसलिए जहां जहां पर रोयल्टी ली जाती है वह खत्म को जावे।

तीसरी बात है लाइसेन्स की। यह डबल लाइसेन्सिंग सिस्टम राजस्थान में है या सिर्फ दो-तीन स्टेटों में हैं। राजस्थान उद्योग के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ है इसलिए व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें उसे प्रोत्साहन देना चाहिये और व्यापार में लाइसेसिंग सिस्टम रुकावट डालता है। फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार लाइसेन्स लेना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें सारे प्रपञ्च करने पड़ते हैं। मगर इसके लिए फिर यह कि लाइसेन्स लेना पड़ेगा, यह बात ठीक नहीं है। ऐसा प्रतिबन्ध राजस्थान और दो तीन स्टेटों में ही है, बाकी स्टेटों में नहीं है। जब हमको सभी उद्योगों को एक लेवल पर लाना है तो लाइसेन्स को भी हटा देना चाहिये।

चौथा पॉइन्ट यह रखा है कि इन्डस्ट्रीज़ के लिए लोहे का कोटा मुकर्रर कर दिया जावे। लोहे का कन्ट्रोल अभी तक है। लोहे की चीजें मिलती नहीं है। इसका कोटा हर इन्डस्ट्री के लिए मुकर्रर हो जाना चाहिए। बाकी कोयला और दूसरी चीजों के लिए कोटा मुकर्रर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मारकेट खुला है। इसमें सरकार के लिए यह उचित है कि लोहे का कन्ट्रोल होना चाहिये और इसका कोटा होना चाहिए क्योंकि यह मिलता नहीं। दूसरों को तो क्या, सरकार को भी नहीं मिलता। बाहर के उद्योगों के लिए लोगों को अन्य दूसरे तरह की सुविधा है जैसे बैंकिंग, मार्केटिंग

३ ५७ राजस्थान में औद्योगिक धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाओं संबंधी संकल्प

[श्री देवीसिंह]

आदि। कच्चे माल के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की उनको सहूलियतें हैं। राजस्थान में इन सुविधाओं की भी कमी है। अगर वे सुविधायें राजस्थान में नहीं मिलेंगी तो यह एक बड़ी डिफिकल्टी होगी। इसलिए लोहे के कोटा, के बारे में गवर्नमैंट को बहुत ढंग से और काफी अच्छी तरह से सोचना चाहिये जिससे कि ये इन्डस्ट्रीज़ पनप सकें। माननीय चेअरमैन, जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि लोहे के अलावा किसी का कोटा मुकर्रर नहीं किया जावे। इस प्रस्ताव की महत्ता इसलिए भी है कि राजस्थान में खेती के साथ साथ इन उद्योग धन्धों में भी तरक्की हो और सरकार दूसरी स्टेटों में जो उद्योग और व्यापार-धन्धों को बढ़ाने के लिए साहूलियतें मिलती हैं वे राजस्थान में भी दें और साथ साथ किसी प्रकार का रोड़ा अटकाने के जो तरीके हैं उनको कम से कम हटालें; जैसे लाइसेन्स लेने का सिस्टम। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार उसको सब प्रपन्चों में पड़ना पड़ेगा। यह साफ है कि राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ बहुत कम है क्योंकि जो सुविधायें इन्डस्ट्रीज़ के लिए चाहिये वे यहां पर बहुत कम मिलती है और जब तक सुविधा नहीं मिलेंगी वे बढ़ नहीं पावेंगी। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए हाउस से निवेदन करूंगा कि इसको पास किया जावे।

श्री भीमसिंह—माननीय चेअरमैन, जो प्रस्ताव परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उस प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए मैं यह कहूंगा कि उद्योगों के बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हमारे यहां शिक्षा का काम बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम-स्वरूप हम देख रहे हैं कि बेकारी इतनी ज्यादा बढ रही हैं कि लोगों को काम-धन्धा नहीं मिलता और पढ़े लिखे लोग गवर्नमेंट की सर्विस में जाना चाहते हैं। लोगों को बेकारी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने प्रान्त में उद्योग-धन्धे जल्दी से जल्दी बढ़ावें, ताकि इनमें ये पढ़े-लिखे लोग खप सकें और इस तरह जो बेकारी फैल रही है उसको रोकें।

कृषि और इन्डस्ट्री ये दोनों, मैं समझता हूं कि इस प्रान्त की बेकारी को मिटाने में समर्थ होंगी। ऐसी सूरत में प्रस्ताव के 'अ' भाग में यह रखा है कि राजस्थान में उद्यौगिक सर्वे करायी जाय। तो सर्वे होना लाजमी है क्योंकि जब तक सर्वे नहीं हो जायगा, चूंकि किसी प्रान्त या स्टेट को यदि उन्नति करना है तो, मैं समझता हूं, इकोनोमिक सर्वे करना उसका पहले जरूरी हो जाता है, यह पता नहीं लग सकता है कि अपने प्रान्त में इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए क्या पोटेन्शियलिटीज़ हैं। जब सर्वे गवर्नमेन्ट के सामने आयगा तो सरकार को वास्तविक रूप में मालूम होगा कि अमुक अमुक डिस्ट्रिक्ट्स में, अमुक अमुक स्थानों में, अमुक अमुक इन्डस्ट्री के लिए अपने प्रान्त में काफी स्कोप है। जब यह चित्र सामने आयगा तो उसके आधार पर आगे की वास्तविक रूप रेखा बनायी जा सकती है और उसको कार्य रूप में परिणीत करने के लिए, इन्डस्ट्रीज़ को बढाने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। इसलिए सबसे पहिले इकोनोमिक सर्वे होना जरूरी है और इसके हुए बगैर काफी दिक्कतें हैं।

दूसरा जिक्र किया है कि भूतपूर्व रियासतों और राजाओं को दी हुई मोनोपलियो को समाप्त किया जाय, यह भी आवश्यक है। जब आप किसी इन्डस्ट्री को किसी उद्योग की मोनोपली दे देते हैं तो उसको चलाने वाले आदमी में स्वाभाविक रूप से शिथिलता आयगी और न वह उसको तरक्की

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

ही दे सकेगा और न उसमें एफिसियेन्सी ही आयगी। अगर उसमें कम्पीटीशन होता है तो जो व्यापार करने वाले हैं वे कोशिश करेंगे कि जो चीजें पैदा होती हैं वे ज्यादा से ज्यादा अच्छी हों और उपयोगी हों। तो उस हालत में उसकी एफिसियेन्सी और कार्य दोनों ही बढ़ेंगे।

तीसरी चीज़ रखी है, रॉयल्टी से मुक्त किये जाने के बारे में। यह रॉयल्टी उस समय थी जब कि सेल्स टैक्स और दूसरे तरह के टैक्स नहीं थे। यह टैक्स रॉयल्टी के रूप में रखा गया था। अब सेल्स टैक्स आ गया है और दूसरे टैक्सेज भी, दूसरे टैक्सेज जो रखे हैं वे इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन देने के बजाय उनको डिस्करेज करते है। इस हिसाब से रॉयल्टी चली आ रही है, जिसको बन्द कर देना जरूरी हो जाता है।

चौथी चीज़ है उसमें उन्होंने लाइसेन्स सिस्टम बन्द कर देने का जिक्र किया है। लाइसेन्स सिस्टम दो तरह के हैं। रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन विभाग करता है और लाइसेन्स इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट इश्यू करता है। दोनों चीजें चला रखी है तो एक प्रकार से इन्डस्ट्रीज़ के लिए हैरेसमेन्ट है। मैं समझता हूं कि जितनी फेसिलिटीज़ हमें इन्डस्ट्रीज़ को देना चाहिए वह जरूर देनी चाहिए। अत: रजिस्ट्रेशन तो चालू रखा जाय और जो लाइसेन्स इन्डस्ट्रीज़ विभाग की ओर से दिये जाते हैं और जिनको कि बन्द करने का सुझाव है वह कार्य रूप में परिणित किया जाय।

पांचवी चीज़ है, कोयला के बारे में अलग अलग कोटा मुकर्रर किया जाय। यह भी उचित है। इससे समान रूप से इन्डस्ट्रीज़ को फेसिलिटीज़ मिलेंगी।

मैं ज्यादा अर्ज नहीं करके इतना ही निवेदन करूंगा कि हाउस के सामने जो यह प्रस्ताव है उसको सर्व सम्मिति से पास किया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, श्री चांदमलजी मेहता ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

इस प्रस्ताव में सर्वे के बारे में जो जिक्र किया गया है उसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि दूसरे प्रान्तों में कई वर्ष पहले ही सर्वे हो चुकी है। राजस्थान में इतने खनिज़ और इन्डस्ट्रीज़ का स्कोप होते हुए इतनी पूंजी राजस्थान में होते हुए भी और इन्डस्ट्रीज़ को फैलाने और खनिज़ उत्पादन को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी लेने के बावजूद भी आज इस राजस्थान का सर्वे नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि राजस्थान में जो सरकार तीन या चार साल से या पांच साल से बनी है वह सरकार अपने आप खुद नहीं समझने के कारण आज इस राजस्थान को गरीब हालत में रहना पड़ रहा है। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के जियोलोजिस्ट मि० वाडिया से एक दफा में मिला था तो उन्होंने मुझे बताया था और सरकार के सेक्रेटरीगण और फाइनेन्स सेक्रेटरी को भी बताया गया था कि खनिज उद्योगों के बारे में हिन्दुस्तान में पहला बिहार है और दूसरा राजस्थान है। परन्तु आज राजस्थान के अन्दर खनिजों की बहुतायत दूसरे प्रान्तों के बनिस्पत बहुत ही ज्यादा होते हुए भी इसका सर्वे नहीं हो रहा है। यहां पर खनिजों की इस तरह की हालत होने से और इन्डस्ट्रीज़ पनप सकने के कारण से कुछ

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

रियासतों ने इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन दिया था। आज कई इन्डस्ट्रीज़ बन्द पडी हैं। उसका कारण क्या है; कारण यही है कि उनको देखने वाला आज कोई नहीं है कि किस कारण वे इन्डस्ट्रीज़ बन्द पड़ी है, राजाओं के वक्त में कितना रुपया उनको दिया गया था, उन रुपयों का किस तरह से उपयोग हुआ है। आगे वे इन्डस्ट्रीज़ किस प्रकार चालू हो सकती हैं, उसके लिए भी क्या सरकार सोच रही है यह भी समझ में नहीं आता।

दूसरी बात यह है कि आज खनिजों के बारे में ऑफिसर्स नीचे से क्या प्रोपोजल्स बना कर भेजते हैं और ऊपर से क्या आते हैं। इससे परेशानी सारी दुनिया को और राजस्थान की सारी जनता को होती है। ऊपर वाले कुछ कर लें और नीचे वाले कुछ। इस तरह से राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ नहीं खुलने के कारण क्या हैं कि अफसर करने क्या हैं और मिनिस्टर करते क्या हैं ? उन दोनों के मतभेद से आज राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ खुलने नहीं पाती हैं और, न खनिज आगे बढ़ने पाते हैं। इसलिए पहले राजस्थान का सर्वे किया जाय और उस सर्वे से राजस्थान की आर्थिक हालत बहुत सुधरेगी। जैसा कि राजस्थान में बांध बंधने से राजस्थान के अनाज की स्थिति सुधरी है इसी प्रकार सर्वे करने से राजस्थान के खनिज और इन्डस्ट्रीज़ की जो आज हालत है वह भी सुधरेगी।

दूसरी बात है रॉयल्टी के बारे में। पहले रॉयल्टी राजाओं के वक्त में और जागीरदारों के वक्त में अलग अलग तरीके से ली जाती थी। अब राजस्थान में यह वसूल की जाय तो सारे राजस्थान के लिए एक ही तरह का कानून बनना चाहिए। खनिज विभाग या इन्डस्ट्रीज़ से ताल्लुक कोई चीज अगर जागीरदार या भोमियों के गांव में हैं तो जनता को काफी तकलीफ उठानी पडती है और खर्चा भी अधिक उठाना पड़ता है और आज तक ये रॉयल्टी उसी तरह से वसूल करते हैं। इसलिए रॉयल्टी का सिस्टम उठा कर ऐसी चीज़ कायम की जांय जिससे जनता को कोई परेशानी न उठानी पड़े।

तीसरी चीज़ लाइसेन्स सिस्टम है। उस लाइसेन्स सिस्टम के बारे में मैं यह अर्ज करूंगा कि जनता के हर आदमी को एक लाइसेन्स सिस्टम ऐसा होने से दिक्कत उठानी पड़ती है, दो दो–तीन तीन, चार चार महीनों तक लाइसेन्स बनते नहीं। दरख्वास्तें देते हैं और आखिर परेशान होकर यह तय कर लेते हैं कि कौन हैरान होवे ऐसे लाइसेन्स के लिए। इसलिये ऐसी सरकारी योजना बननी चाहिए कि लाइसेन्स सिस्टम रखना ही नहीं चाहिए, और रखें भी तो इस तरह की योजना बनायें कि लाइसेन्स का आज जो सिस्टम है वह न रख करके ऐसा सिस्टम रखें कि उससे जनता को सुविधा मिले।

राजस्थान के अन्दर कोयले और लोहे के बारे में भी जिक्र किया गया है। राजस्थान सरकार दूसरी २ बातों के लिए सोचती है और अगर लोहे और कोयले के बारे में सोचेगी तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार कोई अनसक्सेसफुल हो, ऐसी चीज नहीं है। उसमें वह सक्सेजफुल रहेगी और जनता को सुविधा मिलेगी।

सारी बातों का मतलब जो है वह यह है कि सरकार कितनी दिलचस्पी लेती है और सरकार

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

के ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स साहबान कितनी दिलचस्पी लेते हैं, यह देखने की बात है। जनता क्या कर सकती है? कलम उनके हाथ में है,जनता के हाथ में नहीं है। अतः उन महानुभावों से मेरी प्रार्थना है कि पहले राजस्थान का सर्वे किया जाय ताकि खनिज और इन्डस्ट्रीज़ की मालूम पड़े कि राजस्थान की कितनी उन्नति हो सकती है। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ।

राजस्थान एरिया के लिहाज से 'ब' श्रेणी के राज्य में सबसे बड़ा है। किन्तु औद्योगिक विकास में यह अभी तक पिछड़ा हुआ है। जब कि हम देश को औद्योगिक उन्नति की ओर लेजाना चाहते हैं तो यह हमारे लिये आवश्यक है कि राजस्थान की औद्योगिक उन्नति की ओर हम विशेष ध्यान दें। राजस्थान में ईश्वर की कृपा से खनिज की प्रचुरता है और कच्चे माल की भी प्रचुरता है, लेकिन कच्चे माल के मेन्युफेक्चर के वास्ते यहां इन्डस्ट्रीज़ की कमी है; जिसके लिये यह आवश्यक है कि यहां उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने के वास्ते कोई नियम बद्ध योजना स्वीकार की जावे, ताकि यहां की औद्योगिक उन्नति हो सके और राजस्थान समृद्धि शाली हो सके।

राजस्थान में इस वक्त ज्यादातर खेती का धन्धा होता है। आज ऐसा दीखने लगा हैं कि जमीन पर कुछ प्रेशर बढ़ रहा है और केवल खेती के विकास से राजस्थान की चहुँमुखी उन्नति होना सम्भव नही है। वैसे तो कृषि की उन्नति के वास्ते बड़े बड़े बान्ध बनाये जा रहे हैं, नहरें इत्यादि का प्रबन्ध किया जा रहा है। इससे खेती की बहुत कुछ उन्नति होना सम्भव है, किन्तु इसके साथ साथ औद्योगिक उन्नति का होना भी आवश्यक है। इस वास्ते यह जरूरी हैं कि यहां के कच्चे माल को यहाँ पर तैयार कर लिया जाय और यहां के खनिज पदार्थों को जो कि भारतवर्ष के तमाम भागों से राजस्थान में बहुत ज्यादा उपलब्ध होता है उस बहुमूल्य खनिज का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहां एक्सप्लोइटेशन किया जाय और उससे फायदा उठाया जाय। इस वास्ते माननीय सदस्य ने जो योजनायें रखी हैं वे बहुत सुन्दर योजनायें हैं। राजस्थान का औद्योगिक सर्वे कराने के वास्ते उन्होंने सब से पहले ध्यान दिलाया है,यह बहुत आवश्यक है। किसी देश की औद्योगिक उन्नति के वास्ते उस देश की औद्योगिक सर्वे होना आवश्यक है। कई भूतपूर्व रियासतों ने अपने यहां औद्योगिक सर्वे का कार्य आरम्भ किया था, किन्तु एकीकरण के बाद यह सर्वे का काम वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। कई रियासतों में औद्योगिक सर्वे के साथ साथ जिओलोजिकल सर्वे का भी काम आरम्भ हो गया था, किन्तु एकीकरण के कारण वह भी अधूरा रह गया। इस कार्य को आज तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इसलिये यह आवश्यक है कि राजस्थान का जिओलॉजिकल सर्वे, इन्डस्ट्रियल सर्वे और इकोनोमिकल सर्वे जल्दी से जल्दी कराया जाय ताकि एक नियमबद्ध योजना बनाई जाकर राजस्थान में औद्योगिक उन्नति का सूत्रपात हो सके।

इसके बाद माननीय सदस्य ने एक योजना भी बताई, राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों ने

[रावत श्री शम्भूसिंह]

उद्योगों की मनोपोलियां दे दी थी उनको समाप्त किया जावे । मोनोपोलिया उस वक्त किस दृष्टि से दी जाती थी यह मैं कह सकता हूँ किन्तु वर्तमान समय में मनोपोलीज़ द्वारा औद्योगिक कार्य कराना अनुचित है । जहां तक मैं समझ पाया हूं यह हमारे संविधान के भी प्रतिकूल है । संविधान में किसी उद्योग विशेष को लेकर मोनोपोली देना मान्य नहीं है । हो सकता है संविधान के लागू होने के बाद राजस्थान में मोनोपोलियां वैसी ही रह गई हों फिर भी यदि कोई मनोपोली हो तो उसको रद्द किया जाना चाहिये, सब को समान अवसर होना चाहिये । ताकि हर व्यक्ति औद्योगिक विकास में अपना भाग अदा कर सके । ऐसी अवस्था में मनोपोली का समाप्त होना निहायत आवश्यक है और सब को औद्यो- गिक विकास में समान अवसर मिलना आवश्यक है और समान अवसर मिलना चाहिये । अगर कोई मोनोपोली रह गई है तो उसको शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिये ताकि यहां के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के विकास में अधिक से अधिक अवसर दिया जा सके ।

तीसरी योजना माननीय सदस्य ने जो बताई वह है औद्योगिक कारखानों को रॉयल्टी से मुक्त करने की, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने बताया कि औद्योगिक कारखानों पर जो टैक्सेशन अधिक से अधिक लगाया गया है वह समाप्त होना चाहिये । यह रॉयल्टी होने औद्योगिक विकास में बाधा पैदा होती है । मैं समझता हूँ कि यह रायल्टी हमारे औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है, ऐसी अवस्था में रायल्टी को शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देना आवश्यक है ।

इसके बाद मानीय सदस्य ने लाइसेन्स सिस्टम को भी बन्द करने के वास्ते कहा, वह भी एक आवश्यक है । क्योंकि फेक्ट्रीज़ एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाता है तो फिर लाइसेन्स का अड़ंगा क्यों ? यह तो अनुचित प्रतीत होता है । इससे भी बहुत सी बाधायें उपस्थित होती हैं, लाइसेन्स मिलने में भी बहुत सी अड़चनों का सामना करना पड़ता है इससे औद्योगिक विकास में बहुत बाधा पड़ती है । यदि किसी हद तक आवश्यक हो तो लाइसेन्स लिया जाना चाहिये, वरना आम तौर पर लाइसेन्स लेना जरूरी नहीं होना चाहिये । इसको भी खत्म किया जाना चाहिये ।

कच्चे माल में हमारे रास्थान को कोयले की ज्यादा जरूरत रहती है, इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि भारत सरकार से बातचीत करके यहां के लिये कोयले का कोटा मुकर्रर करवा लिया जाना चाहिये । कोयले को कम मंगाने को जरूरत तब आयगी जब हम अपने यहां बिजली का पॉवर पैदा कर सकेंगे; वैसे तो भाखरा नांगल से और चंबल से हमें पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सकेगी । जिन जिन इलाकों को इन योजनाओं से बिजली मिलेगी वहां कल-कारखाने आसानी से चलाये जा सकेंगे । ऐसी अवस्था में कोयले की आवश्यकता कम रहेगी । लेकिन फिर भी जब तक बिजली की पॉवर हमारे यहां सप्लाई नहीं होती तब तक कोयले का प्रबन्ध आवश्यकतानुसार करना पड़ेगा और उस समय तक हमें कोयले की इफरात भी करनी पड़ेगी । कुछ मात्रा में हमारे बीकानेर डिवीज़न में कोयला मिलता है किन्तु वह बढ़िया किस्म नहीं है इस वास्ते यह आवश्यक है कि कोयले का जरूरी कोटा मुकर्रर कर दिया जावे ताकि हमारी इन्डस्ट्रीज और औद्योगिक कारखाने चलाने में बाधा न पहुंचे ।

माननीय चेयरमेन महोदय, राजस्थान के सर्वतन्त्री विकास के वास्ते यह आवश्यक है कि

हमारी स्टेट को आवश्यक औद्योगिक विकास के साधन दिये जाएं ताकि हमारी स्टेट औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति कर सके। इस वास्ते माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसको हमें स्वीकार करना चाहिये।

श्री देवी सिंह—माननिय अध्यक्ष महोदय, अभी जो श्री चांदमलजी ने प्रस्ताव रक्खा है वह वास्तव में बड़े महत्व का है और इसलिये मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश जो आज से सदियों पहले एक बहुत समृद्धशाली देश गिना जाता था, और यह विदेशी राज्य हमारे समाने कोई चीज़ नहीं थी, उसको जब हम आज देखते हैं तो ये अमेरिका आदि विलायत के देश आर्थिक दृष्टि से धीरे धीरे इतने सुधरते चले गये कि आज हम उनके सामने कुछ नहीं रह गये हैं। अगर इस स्थिति पर हम विचार करें कि इसका क्या कारण हुआ तो यह साफ है कि उन्होंने अपने अपने देशों को इन्डस्ट्रियलाइज्ड किया; अपने २ देशों में कल-कारखाने शुरु किये और उन कल-कारखानों के द्वारा वे आज इतने मालदार हो गये कि आज हम उनका मुंह ताका करते हैं।

उनके यहां कच्चा माल बाहर से आता है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश से जाता है। वे कच्चा माल हमारे यहां से लेकर और उसे फिर पक्की वस्तुओं में परिवर्तित करके वापिस हमारे ही देश में भेजते है और इसका जो मुनाफा होता है उससे वे मालदार बन गये और आज भी बनते जा रहे हैं। तो इस मुनाफे का हम ही खुद उपयोग क्यों न करें और उनको कच्चा माल क्यों दें और फिर कच्चे माल से बनी पक्की वस्तुएं क्यों लें? इस चीज़ को दृष्टि में रखते हुए यह प्रस्ताव बड़ा उपयोगी है।

आप यह देखिये कि हिन्दुस्तान में कई चीजें ऐसी हैं कि जिनकी बड़ी तरक्की हो सकती है। कई इन्डस्टीज़ की सम्भावनाओं के साथ साथ खनिज पदार्थ भी राजस्थान में इतनी तादाद में उपलब्ध हैं कि शायद भारत में एक दो प्रान्तों ही ऐसे हैं कि जिनके पास हमारे से ज्यादा खनिज पदार्थ हो सकते हैं। इसके अलावा ऊन ही एक ऐसा बड़ा उत्पादन है कि जिसका मुकाबला शायद ही कोई प्रान्त हमसे कर सके। आज आस्ट्रेलिया की मैरिनो भेड़ जो बड़ी अच्छी मानी जाती है वह हमारे बीकानेर की ही भेड़ है और उसको यहां से लेजाकर आस्ट्रेलिया वालों ने इस तरक्की पर पहुंचाया।

इसके अलावा कॉटेज़ इन्डस्ट्री भी हमारे प्रान्त में बढ़ाई जा सकती है।

अब कुछ लोगों का ऐसा खयाल हो गया है कि आबादी के बढ़ने से जो बेकारी बढ़ रही है लोगों में, उसको मिटाने के लिए एक ही तरीका है कि उन को जमीन जोतने के लिए दी जावे और इसके लिऐ कई रास्ते सोचे जा रहे हैं और उनमें से एक सीलिंग का भी है जिसके लिए एक सीलिंग कमेटी भी बनाई गई है। पर मैं यह नहीं समझता कि इतनी आबादी को जमीन पर लगाकर कैसे इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। उल्टा इससे तो यह प्रश्न कॉम्प्लीकेटेड ही होगा क्योंकि जमीन जो है वह तो लिमिटेड ही है और आबादी दिन दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए अन्त में आपको कभी

[श्री देवी सिंह]

न कभी इस जगह पर पहुंचना ही पड़ेगा कि जब कि जमीन इतनी नहीं बचेगी कि उनको और कहीं से आप दें।

इसके लिए दूसरा रास्ता यही है कि जमीन की तरफ से हटकर उन्हें इन्डस्ट्रीज़ की तरफ लगाया जावे और हमारे देश की इसके द्वारा तरक्की की जावे।

आप मसल मुलाहिजा फरमाइये। योरप में स्विटजरलेन्ड एक छोटा सा देश है। वहां लोगों के पास काश्त के लिए बहुत थोड़ी जमीन है परन्तु फिर भी आज वहां प्रति व्यक्ति की जितनी आमदनी है वह हमारे यहां के एक व्यक्ति से हजारों गुना अधिक है। तो उनके पास खेती की जमीन नहीं है फिर भी उन्होंने इतनी तरक्की की है। उन्होंने अपने यहां इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ाया। आप हमारे हिन्दुस्तान में मुलाहिजा फरमाइये काश्मीर का हमारा प्रान्त है। काश्मीर में भी ज़मीन, खेती के काम की ज़मीन बहुत कम है। वह भी एक पहाड़ी मुल्क है परन्तु उन्होंने वहां कॉटेज इन्डस्ट्री को इतना बढ़ाया कि उनके हरेक के घर घर में कॉटेज इन्डस्ट्री का काम हो रहा है और उस कॉटेज इण्डस्ट्री का सामान दुनिया के रह कोने में काश्मीर से जा रहा है इस कॉटेज इन्डस्ट्री के द्वारा कश्मीर के लोगों का भरण-पोषण हो रहा है।

तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम भी इस खेती की जमीन की तरफ अपना इतना अधिक ध्यान न लगाते हुए इन्डस्ट्रीज, कॉटेज इंन्डस्ट्रीज़ और उन नाना प्रकार के धन्धों ऊन आदि की तरफ जो राजस्थान की बहुत उपयोगी वस्तुएं हैं और जिनसे बहुत फायदा हो सकता है उनकी तरफ लगाना आवश्यक है और इस दृष्टि से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने जो यह प्रस्ताव रक्खा है उसे सर्व सम्मति से स्वीकार किया जायगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार विभिन्न उद्योगों को चालू करने के सब तरह के प्रयत्न कर रही है और उनको प्रोत्साहन भी दे रही है। आर्थिक कारणों से बन्द कारखानों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भी की गई है। इसी तरह हाथ-करघा उद्योग को पनपाने के लिए भी ४ लाख से अधिक की रकम स्वीकृत की गई है और इसमें से बहुत सी रकम बुनकरों को भी दी जा चुकी है।

खादी और अन्य ग्रामोद्योगों को पनपाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड बनाया गया है और उसको स्टेटु दिये गये हैं ताकि इसमें जो उन्नति हो रही है वह और भी ज्यादा हो सके।

इसी तरह छोटे उद्योगों को पनपाने के लिए २॥। लाख की रकम अलग रक्खी गई है और इसमें से काफी रकम उन उद्योगों को दी जा रही है।

राजस्थान सरकार भी राजस्थान की औद्योगिक सर्वे कराना अत्यन्त आवश्यक समझती है। जिन जिन उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक समझा जाता है उनका तात्कालिक सर्वे कराया

[श्री भोगीलाल पंड्या]
जाता है और आवश्यक आंकड़े भी उपलब्ध किये जाते हैं; किन्तु उनका डिटेल्ड सर्वे कराना सरकार के आज विचाराधीन है।

एक कमेटी भी इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई है जैसा कि सबको मालूम है। इस बजट में भी डिटेल्ड सर्वे के लिए रकम रक्खी गई है। औद्योगिक सर्वे के विशेषज्ञ बम्बई के प्रोफेसर वकील के पास पहुंचा गया है। उन्होंने सहयोग देने का आश्वासन दिया है और उन्होंने बताया है कि राजस्थान के प्रोफेसर माथुर से बात की जावे। इस बातचीत की शुरुआत हो गई है और जल्दी ही हम एक सर्वे कराना शुरु कर सकेंगे।

मेरे एक माननीय मित्र ने जीओलोजिकल सर्वे के लिए कहा। उनको भी में बताना चाहता हूं कि यह काम बड़े पैमाने पर चल रहा है और इसमें और ज्यादा गति लाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

तीसरी बात मोनोपोली सिस्टम के बारे में कही गई। स्वतन्त्र भारत के संविधान के अनुसार मोनोपोली सिस्टम बन्द है। किन्तु जब कोई नया उद्योग चालू किया जाता है तो यह देखना आवश्यक हो जाता है कि उसके पनपने की गुंजाइश है या नहीं; अतः जहां आवश्यक संरक्षण देना जरूरी होता है वहां वह दियाभी जाता है।

चौथी बात बताई कि रॉयल्टी बन्द करदी जावे। प्रायः सर्वत्र उद्योगों से रॉयल्टी या अन्य कर लिया जाता है। फिर कर लगाते समय उचित यह देखा जाता है कि उस उद्योग को आवश्यक सुविधाएं मिले। अब तक भी ऐसी सुविधाएं देने का प्रयत्न किया जाता रहा है और भविष्य में भी किया जावेगा।

पांचवीं बात लाइसेन्स सिस्टम बन्द करने के बारे में कही गई। यदि उद्योगों को व्यर्थ के घाटे से बचाना है और अकारण के कम्पीटीशन से भी बचाना है या नियमानुसार कार्यवाही करनी है तो लाईसेन्स प्रथा जारी रखना आवश्यक है। बिना लाइसेन्स के जहां कई लोग खानें खोदते हैं वे इस ढंग से खोदते हैं कि वे जिससे जहां खान के अन्दर से अधिक से अधिक माल निकालने की सोचते हैं वहां गलत तरीकों से खोदने के कारण पूरा-पूरा माल भी नहीं निकाल पाते हैं और खान भी खराब कर बैठते हैं। फिर भी लाइसेन्स प्राप्त करने में अकारण विलम्ब अगर कहीं होता हो या और कोई असुविधाएं इसमें होती हों तो उनको दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न सरकार की ओर से किया जा सकता है और किया जावेगा।

पांचवीं बात यह बताई गई कि कोयला और कच्चा माल लोगों को दिलाया जाना चाहिए। राजस्थान में कोयला और कच्चा माल उद्योगों के लिए दिलवाने का हमेशा से पूरा-पूरा प्रयत्न होता रहा है। कभी-कभी वेगन्स की कमी के कारण देरी हो जाती है, लेकिन उसे जल्दी करवाने की कार्यवाई बराबर की जाती है। यदि ऐसी कोई असुविधा सरकार के सामने रखी जायगी तो उसको जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयत्न किया जायगा, ऐसा में आश्वासन दे सकता हूं। मेरे खयाल से इस स्पष्टीकरण के बाद मेरे माननीय मित्र यह संकल्प वापिस लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमैन महोदय, माननीय उद्योग मंत्रीजी ने मेरे संकल्प का जवाब देते हुए कुछ बातें कहीं। जहां तक कि संकल्प के प्रथम हिस्से का सम्बन्ध है उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि सरकार प्रयत्नशील है जल्दी से जल्दी औद्योगिक सर्वे करवाने के लिए, उसके लिए उन्हें धन्यवाद।

जहां तक मेरी कुछ दूसरी बातों का माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, में सोचता हूं कि जिस वक्त मैं बोल रहा था माननीय मंत्री महोदय उपस्थित नहीं थे और इसी वजह से जिन बातों की मैंने चर्चा की उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय कोई स्पष्टीकरण नहीं कर सके और जो बातें हैं उनके बारे में मुझे कन्विन्स नहीं करा सके।

जहां तक रॉयल्टी का संबंध है माननीय मंत्री महोदय ने सिर्फ यह कह कर टाल दिया कि सब प्रान्तों में रॉयल्टी ली जाती है और उसके साथ साथ अन्य कर भी लिये जाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ लेना चाहता हूं कि क्या रायल्टी के संबंध में कोई आपने नियम बनाया है, कोई बिल पास किया है, कोई एक्ट है, क्या यह रायल्टी सब धन्धों के ऊपर लगाई जायगी या सिर्फ वही आधार है जो कि राजस्थान के निर्माण से पहले था? उदयपुर डिविज़न और फॉरमर राजस्थान के दूसरे हिस्सों में यह रायल्टी है? मगर इस तरह की कोई बात साफ नहीं की कि वह रायल्टी इस आधार पर है जिससे मुझे इसके बारे में संतोष हो सकता। मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण के वक्त में यह साफ बताया था कि कुछ कारखाने हैं जो रॉयल्टी देते हैं, लेकिन उनसे किस आधार पर यह रॉयल्टी ली जाती हैं, इन सारी चीजों की चर्चा की थी। यह चर्चा उसी आधार पर की थी जिस आधार पर कि उद्योग मंत्रीजी की तरफ से इस सदन में जवाब दिया गया था, मगर मेरी सारी चर्चा अगर माननीय उद्योग मंत्रीजी सुनते तो यह कहने का मौका उनके लिए नहीं आता कि जो उचित हैं वह किया जाता है, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि रॉयल्टी का जो तरीका है। आज बिल्कुल उसूल के खिलाफ है। वह किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है, बल्कि वह उस आधर पर है कि जो पिछले टामइ की सरकारों ने ऐग्रीमेण्ट्स किये थे, भिन्न २ कारखाने वालों से। तो उन एग्रीमेंट्स में दूसरी भी चीजें थीं कि कोई टेक्स उन उद्योगों पर नहीं लगाये जावेगें। अगर माननीय उद्योग मंत्रीजी थोड़ा गौर से देखें कि ऐसे कितने कारखाने हैं जिनसे रायल्टी ली जाती है और सेल्स टैक्स भी अब उन पर और लगा दिया गया है तो मालूम हो जायगा कि माननीय उद्योग मंत्रीजी के कहने के अनुसार कितनी सुविधा इन पुराने उद्योगों को दी गई है? इस दुहरी भार से ये पुराने उद्योग खत्म होंगें और नये उद्योग खुलेगें क्योंकि नये उद्योगों पर रॉयल्टी नहीं होगी, सिर्फ सेल्स टेक्स होगा। तो शायद यह नयों को प्रोहत्सान देने की और पुरानों को बरबाद करने की बात हो सकती है क्योंकि एक तो रॉयल्टी उनसे पुराने शर्तनामों की आड़ में ली जावेगी और आज की स्थिति में सेल्स टेक्स फिर उस पर होगा, तो अगर माननीय मंत्रीजी मेरी स्पीच को सुनते तो इन शब्दों में टालने की कोशिश नहीं की जाती कि रायल्टी भी वसूल करते है और कुछ कर लगे हैं तो इनके एवज में कुछ वाजिब सुविधाऐं दी हैं। मैं यह कहूंगा कि यह वाजिब सुविधा नहीं हैं, यह एक ऐसी चीज है जो उनके लिए उपयोगी नहीं साबित हो रही है। मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि जयपुर डिविजन में किशनगढ़ के अलावा कहीं रॉयल्टी जैसी चीज नहीं थी और न आज है। शायद यह बात गलत कही जावे तो मैं इस पर निवेदन करना और यह बता देना चाहूंगा कि उन सवालों के जवाब में जो कि विधान सभा के

[श्री चांदमल मेहता]

पिछले अधिवेशन में दिये गये हैं और अप्रेल के महिने में; २ अप्रेल और उसके बाद में दिये गये हैं, उन्हीं में यह बताया गया था कि जयपुर डिविजन में सिर्फ २ उद्योग धन्धों में रॉयल्टी ली जाती है तो अगर यह मान लें कि मंत्री महोदय यह मानते हों कि मैं कह रहा हू वह गलत हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ विधान सभा में जवाब दिये गये है वे गलत हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर मैंने यह चीज़ रखी है। आखिरकार कुछ हिस्सों में जहां कि, चूंकि पहले से रॉयल्टी है वह कायम रखकर ऐसी नई चीजों के ऊपर नहीं लगायेंगे तो उसका मतलब यह हुआ कि पुराने धन्धों को खत्म करेंगे और नये लगायेंगे या हम पुरानों को बेचकर नये लगायें। बीकानेर डिविजन में न राजस्थान निर्माण के पहले से कोई रायल्टी थी और न आज कोई रायल्टी है। यह सूचना में विधान सभा में माननीय उद्योग मंत्रीजी ने जो जवाब दिये थे उसी आधार पर कह रहा हूं। (माननीय उद्योग मंत्रीजी के ऊंगली द्वारा नकारात्मक संकेत करने पर) माननीय मंत्रीजी जो ऊंगली का इशारा कर रहे हैं उससे मैं समझ पा रहा हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह गलत है, लेकिन मैं, माननीय उद्योग मंत्रीजी ने जो जवाब दिये हैं उन्ही के आधार पर उन्हें कन्विन्स करा सकता हूं कि इस तरह के जवाब इस सदन में दिये गये हैं। मैं नहीं समझ सका कि मौका आने पर एक बात कह दी जाय तो दूसरी बार दूसरी बात कह दीं जाय। तो मैं फिर एक बार माननीय उद्योग मंत्रीजी के ध्यान में लाऊंगा कि उसके लिए कोई आधार नहीं है कि किस आधार पर रॉयल्टी ली जाय। यह कोई बात नहीं हुई कि पुराने पर रॉयल्टी ली जाय और नये पर रायल्टी नहीं ली जाय, जो कि पुराने रिवाज के मुताबिक चली आ रही है और जो कि किसी भी प्रान्त में नहीं है।

प्रथम औधोगिक कॉन्फ्रेन्स में यह कहा गया था कि जब सेल्स टेक्स और दूसरे टेक्स लागू किये जायेंगे तों उस हालत में रॉयल्टी हटा दी जायगी। चूंकि हमारे यहां सेन्ट्रल टेक्सेज़, जैसे कि इनकम टेक्स, सुपरटेक्स आदि राजस्थान के उद्योगों पर नहीं हैं इस आधार पर यह रखा जाता है। यदि माननीय उद्योग मंत्रीजी इस प्रथम कॉन्फ्रेन्स की जो प्रोसीडिंग्ज़ हैं उनको देखें तो शायद उनको पता चल जायगा। रॉयल्टी के मुताल्लिक जो उन्होंने जवाब दिया है मैं उससे कतई कन्विन्स्ड नहीं हूं।

जहां तक जवाब दिया गया है लाइसेन्स सिस्टम का कि उसकी आवश्यकता है और उसको हटाने से उन्हें व्यर्थ का घाटा होगा, मैं नहीं समझ सका हूँ कि व्यर्थ का घाटा किनको है? माननीय उद्योग मन्त्रीजी ने जो इसका स्पष्टीकरण किया है वह मेरी समझ में नहीं आया है। घाटा सिर्फ उन आदमियों को होता है जो कि लाइसेन्स देते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं। उनकी तरफ माननीय मन्त्री महोदय महरबानी करके उनके घाटे की तरफ खयाल नहीं करें। घाटा खाली उद्योगपतियों को होता है। मैंने अपने भाषण में बताया था कि हिन्दुस्तान के थोड़े से प्रोविन्सेज़ में यह सिस्टम लागू है। मैंने यह निवेदन किया था कि प्रथम औधोगिक कॉनफ्रेन्स में यह बताया गया था, जब कि श्री सिद्धराजजी डढ्ढा, तत्कालीन उद्योग मन्त्री ने यह बताया था कि हम ५ वर्ष तक इसको लागू रखेंगे, इसके बाद में यह लागू नही रहेगा। आपको शायद उसकी प्रोसीडिंग को स्टडी करने का मौका नहीं मिला। थोड़े से शब्दों में यह कह दूंगा कि घाटे से बचने के आधार पर यह बात कह दी जाय कि लाइसेन्स सिस्टम कायम रखने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं यह कहूंगा कि यह एक ऐसी चीज़ कि जिसको आम तौर पर

[श्री चांदमल मेहता]

जितने भी औद्योगिक प्रोविन्सेज़ हैं उन्होंने यह महसूस किया है कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी कि आवश्यकता नहीं है और आवश्यक नियन्त्रण रखना हो तो जो फैक्ट्री एक्ट है जिसके मातहत उनका रजिस्ट्रेशन होता है उसमें किया जा सकता है। यह बिल्कुल बेकार सी चीज़ है।

इन सारी चीज़ों के बाद में जो ५ चीजें रखी हैं जिसमें एक चीज़ के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद; दूसरी चीज़ के बारे में माननीय मन्त्री महोदय मानते हैं कि कोई मोनोपोली नहीं है तो मैं यह मानकर चलता हूं कि शायद उन्होंने आवश्यक आदेश दे दिये हैं। तीसरी चीज़ है; उसके बारे में जिसके लिये वे मुझे बिल्कुल भी कन्विन्सड नहीं करा सके हैं, जिसके आधार पर मैं मानता हूँ कि सरकार औद्योगिक विकास के बारे में विचार करना नहीं चाहती। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि रॉयल्टी और लाइसेन्स सिस्टम राजस्थान के औद्योगिक विकास में अत्यन्त बाधक हैं। आज नहीं तो कुछ अर्से के बाद उनको इनके बारे में सोचना पड़ेगा और इनको हटाना पड़ेगा। यह ऐसी चीजें हैं जिनके हटाये बगैर राजस्थान का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है।

कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि बगैर कन्विन्स हुए ही मुझे अपने संकल्प को वापिस लेना पड़ेगा मजबूरी से; तो मजबूरी वश मैं अपने संकल्प को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति (डा० श्री मंगलसिंह)—माननीय सदस्य, श्री चांदमलजी मेहता ने जो संकल्प रखा है वह उसको वापिस लेना चाहते हैं क्या सदन की अनुमति है ?

('नो नो' की आवाजें विपक्ष की ओर से)

(विराम)

अभी तक तो मैंने यह नहीं कहा कि 'हां' कहना चाहते हैं। वह होने से पहले ही 'नो' कह दिया। इस प्रस्ताव को जो वापिस लेने देना चाहते हैं वे 'हां' कहें।

(हां की कुछ आवाजें)

जो नहीं चाहते है वह 'नो' कहें।

('नो' की आवाजें)

'नो' की आवाज ज्यादा है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—दुबारा कहिये साहब, कुछ समझ में नहीं आया।

श्री सभापति—जो प्रस्ताव श्री चांदमल मेहता ने रखा है वे उसे वापस लेना चाहते हैं; जो वापिस लेने के पक्ष में हैं वे हां कहेंगे।

(जोर से आवाज 'हां')

और जो यह चाहते हैं कि इसे वापिस नहीं लिया जाय वे ना कहेंगे।

(जोर से 'नो' की आवाज)

श्री सभापति—'हां' की आवाज अधिक है।

श्री जसवन्तसिंह—'नो' की आवाज अधिक है।

श्री खेतसिंह—श्री चांदमल मेहता इसे प्रेस नहीं करना चाहते।

श्री सभापति—लेकिन हाउस को अधिकार है कि इसे वापिस लेने दिया जाय या नहीं।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन्हें वापिस लेने के लिये मजबूर किया गया। यह हाउस का प्रिविलेज है कि कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, लोकतन्त्रवाद में किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि श्री चांदमल मेहता ने जो संकल्प रखा है उसे वे कुछ असंतोष होते हुए भी वापिस लेना चाहते हैं।

(स्वीकृत)

'हां' की आवाज अधिक है इसलिये इस प्रस्ताव को वापिस लेने की इजाजत दी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरा संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—संकल्प वापिस लिया गया।

राजस्थान से मादा पशुओं की निकासी बन्द करने सम्बन्धी संकल्प

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमैन, मेरा दूसरा संकल्प इस प्रकार है। "इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान से मादा पशुओं की निकासी बन्द की जावे।"

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प मैंने रखा है वह एक छोटा सा संकल्प है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान एक कृषि प्रधान देश रहा है लेकिन वर्षा का अभाव और सिंचाई का साधन कम होने की वजह से राजस्थान पशुपालन के लिये हिन्दुस्तान के प्रान्तों में सबसे पहला स्थान रखता है। राजस्थान का निर्माण कुछ बड़ी और कुछ छोटी रियासतों को मिलाकर हुआ और उन रियासतों की सरकारों में से अधिकांश ने यह सोचा कि राजस्थान में पशु-पालन के धन्धे को प्रोत्साहन देना है और इस दृष्टि से

[श्री चांदमल मेहता]

उन रियासतों में से अधिकांश ने दो तरह के कानून बनाये या आज्ञायें निकालीं। पहली आज्ञा यह थी कि इन रियासतों में समादा पशुओं की निकासी बंद रखना और दूसरी बात मादा पशुओं का वध रोका जाय। पशु-पालन के धन्धे को प्रोत्साहन देने के लिये व पशु-धन की वृद्धि करने के लिये राजस्थान की पुरानी रियासतों की ये आज्ञाएं थीं। राजस्थान के निर्माण के बाद इनमें से एक आज्ञा तो अब भी चालू है और वह है मादा पशुओं के वध पर रोक,लेकिन दूसरी आज्ञा से मादा पशुओं की जो निकासी बंद थी उसको राजस्थान सरकार ने फिर से चालू कर दिया। लेकिन इसके साथ ही कस्टम ड्यूटी में कुछ रेस्ट्रिक्शन रखी गई थी जिसके अनुसार कुछ पशुओं के निर्यात पर अलग अलग ढंग से निर्यात कर लग गया था और गायों की निकासी बिल्कुल वर्जित रखी गई थी; यह कस्टम टेरिफ के माफिक बात थी, उपाध्यक्ष महोदय, कस्टम १ अप्रेल से उठ रहा है जिसके लिये सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कस्टम उटने का असर क्या होगा यह देखने की बात है। इसके उठने के साथ साथजो अब तक गायों का निर्यात बंद था वह खुला हो जाता है और गायें वापिस बाहर जाने लगेंगी क्योंकि अब कोई कानून नहीं है, जिस कानून के अंतर्गत गायों की निकासी बंद थी वह कस्टम बंद होने के साथ साथ समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही दूसरी रोक यह थी कि जो निर्यात पर कर लगा हुआ था उससे सरकार को आमदनी होती थी और मादा पशुओं का निकास कम होता था। अब दूसरे पशुओं की निकासी में भी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। जिस तादाद में पशु पहले बाहर जाते थे वह तादाद भी अब बढ़ जायगी और राजस्थान में पशु-धन का ह्रास होगा। इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा जो मुझे विधान सभा में सरकार की ओर से समय-समय पर प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्राप्त हुए है। सन् ५३–५४ में खास तौर से मादा पशुओं की निकासी राजस्थान से हुई है। जो आंकड़े मेरे पास हैं उनके आधार पर ५३–५४ में जो मादा पशु बाहर गये है उनमें से गायों के बारे में तो कहा गया हैं कि निकासी वर्जित है। ऊंटनियें २९९९९, बकरियें १६८९६२, भेड़ें ११४७३; इस तरह से ५३–५४ में मादा पशुओं की संख्या १८३४३४ है। हो सकता है ईसमें गयिधों की संख्या नहीं हैं, इसलिये उनको छोड़ दिया गया है। संभवतः घोड़ियां भी छोड़ दी गई हैं, तो ताजुब नहीं। जो उत्तर विधान सभा में प्रश्नों के दिये गये है उनके आधार पर मैंने ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किये हैं। इन आंकड़ों के आने के बाद कस्टम उठने से जो स्थिति होगी उससे मादा पशु बाहर जायेंगे। इसका यदि अनुमान लगावें तो यह मानना पड़ेगा कि इससे दुगुनी तादाद में मादा पशु बाहर जायेंगे, इसमें शक नहीं होना चाहिये। मैं तो इस समय भी विरोध में हूँ जबकि निर्यात कर देकर मादा पशुओं को बाहर निकाला जाये। सन् ५३–५४ में जो पशु बाहर भेजे गये उनसे आखिर हमारे इस प्रान्त की क्षति क्या हुई? इसके आधार पर किस किस मद में कमी हुई इसका स्पष्टीकरण हम सरकार से चाहेंगे कि इतनी अधिक क्षति राजस्थान सरकार ने क्यों मोल ली और जो कस्टम उठने जा रहा है उससे जो और भी क्षति इस और होगी उस बारे में सरकार ने क्या सोचा है? तो जहां तक मैंने इस क्षति को स्टडी किया वहां तक मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि अगर इन पशुओं की निकासी नहीं होती तो इन पशुओं के जरिये पशु–धन की जो वृद्धि होती, एक वर्ष में, इसका अगर हम हिसाब–किताब लगायें तो वह हिसाब मेरे हिसाब से बैठता है करीब १० लाख रुपये का—अगर ये मादीन पशु ५३–५४ के वर्ष में बाहर नहीं जाते तो १० लाख रुपये की कीमत के पशु हमारे राजस्थान में आज अधिक होते।

[श्री चांदमल मेहता]

इसकी अगर और गहराई में जायें और देखना चाहें तो हम देखेंगे कि हमारा राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है, इसके लिए आवश्यकता होती है खाद की। इसमें शक नहीं कि आर्टीफी-शियल खाद आती है पर बहुत से इलाकों में और खास कर उन इलाकों में जहां खारा पानी है उन इलाकों में यह खाद अनुपयोगी साबित हुआ है। जहां पानी की काफी सुविधा नहीं है वहां भी यह आर्टीफीशियल खाद अनुपयोगी साबित हुआ है। इसलिए हमारे राजस्थान में कृषि की उन्नति के लिए खाद बड़ी उपयोगी चीज है और खाद में सबसे महत्वपूर्ण खाद–भेड़ बकरी का माना गया है जिसका असर हमारे यहां की कृषि पर पड़ता है। जो मादीन पशु हमारे राजस्थान से ५३–५४ के वर्ष में बाहर गये हैं और उनके जरिए जो राजस्थान को खाद मिलता उसका हिसाब बिठाते हैं कि कितना नुकशान हुआ तो हिसाब बैठता है ८६४०००० रुपये का। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे कृषि प्रधान देश में खाद की कितनी क्षति हुई है और इसके जरिये हमारी कृषि को कितनी क्षति पहुँची है।

तीसरी क्षति चिकनाई की हुई है। एक आदमी को घी, दूध, बटर, चिकनाई कितनी मिलनी चाहिए इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान तो दूसरे मुल्कों से पिछड़ा हुआ है, पर राजस्थान तो पिछड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, जो कि कृषि प्रधान होने के साथ साथ पशु धन प्रधान प्रान्त है। परन्तु इतना होते हुए भी आज अगर हम इसकी औसत देखें तो पता चलेगा कि वह नहीं के बराबर है। तो राजस्थान जैसे पशु–धन प्रधान प्रान्त में दूध, घी, मक्खन चिकनाई का जो इतना ह्रास हुआ है वह इन मादीन पशुओं को बाहर भेजने से ही हुआ है। आज भी वह ह्रास जारी है और जब तक उचित कदम नहीं उठाया जायगा तब तक इसी तरह जारी रहेगा।

इसके अलावा और भी हिसाब लगावें तो पता चलेगा कि जो जानवर मर जाते हैं और उनसे जो चमड़ा मिलता है उसकी क्षति का अनुमान लगायें तो इन मादीन पशुओं को बाहर भेजने से एक साल में १० लाख रुपये की क्षति पहुंचती है। तो इस तरह इन सब आंकड़ों को मिलाने से हिसाब लगाया जाय तो इन मादीन पशुओं के बाहर जाने से, ५३–५४ के वर्ष में, केवल एक वर्ष में राजस्थान की एक करोड़ रुपयों की सम्पत्ति की क्षति हुई है। राजस्थान में जो कस्टम्स के रेस्ट्रिक्शन्स लगाये हुए हैं वह हट जाते हैं तो यह समस्या और भी भीषण हो जायगी और इसका नतीजा यह होगा कि कई करोड़ रुपयों का आगे जाकर हमारे यहां नुकसान होगा। आज तक तो राजस्थान सरकार कह सकती है कि ये हमारे लिए आमदनी के आंकड़े थे, राजस्थान को कस्टम से इतनी बड़ी रकम की प्राप्ति हुई है पर अब राजस्थान सरकार ने कस्टम उठा कर अपनी उदारता का प्रदर्शन किया है, वहां इन मादीन पशुओं की निकासी के बारे में भी सरकार जरूर कुछ प्रबन्ध करेगी।

मादीन पशुओं की निकासी राजस्थान से बाहर क्यों बन्द रखी, इसका कारण यह है कि अगर केवल किसानों की उन्नति का ही खयाल हो और पशुओं के वध का खयाल न हो तो राजस्थान में मादीन पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध नहीं लगता। तो राजस्थान सरकार ने मादीन पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध लगा रखा है।

ये जो मवेशी बाहर जाते हैं तो क्यों जाते हैं ? क्या दूसरे प्रान्तों वाले हमारे यहां से ये मादीन

[श्री चाँदमल मेहता]
पशु ले जाकर अपने यहां पशुओं की नस्ल बढ़ाना चाहते हैं ? नहीं, यह बात नहीं। मैंने इस मामले को स्टडी किया है कि ये पशु अधिकांशतः कहां कहां जाते हैं, तो यह मालूम हुआ है कि ये पशु अधिकांशतः बूचरखानों के लिए जाते हैं। राजस्थान सरकार की नीति मादीन पशुओं के वध को बन्द रखने की नीति है और वह मादीन पशुओं के वध को बन्द रखना चाहती है तो उसे पशुओं की निकासी को बन्द रखना चाहिये। अपनी जगह बन्द करके दूसरी जगह वध का रास्ता खुला रखना यह कतई न्यायसंगत नहीं है।

ऊन के उत्पादन पर भी इस प्रकार पशुओं की निकासी का असर पड़ा है। तो इस प्रकार ५३–५४ के केवल एक वर्ष में ही पशुओं की निकासी से बड़ी भारी क्षति हुई है।

गायों के ऊपर भी मैं कह देना चाहता हूं। गायों को हम न केवल पशु के रूप में देखते हैं बल्कि गायों के प्रति हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी रहा है ; गाय को हम माता कह कर मानते हैं। इसी दृष्टिकोण को रख कर गत वर्षों में गायों की निकासी बन्द की थी। कस्टम के खत्म होने के साथ साथ यह प्रतिबन्ध भी खत्म हो जायगा।

तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी मार्फत पृथक् राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रान्त के विकास के लिए, हमारे प्रान्त की तरक्की के लिए मादीन पशुओं की निकासी रोकी जाय।

इस सम्बन्ध में मैं उन मुल्कों का उदाहरण भी रखूंगा कि जहां पहले तो पशुओं की निकासी होती थी परन्तु बाद में इस निकासी से होने वाले नुक्सान का अन्दाज लगा कर इसे बन्द कर दिया। खास कर रूस के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूस में पहले मादीन पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध नहीं था और पशुओं की निकासी होती थी परन्तु रूस ने ऐसी व्यवस्था की है कि मादीन पशुओं के वध पर और पशुओं की निकासी पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया है।

तो इस प्रकार दुनिया के आगे बढ़े हुए मुल्कों ने भी जब इस चीज को महसूस किया है तो हमें तो, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़े हुए हैं, बहुत ही पिटे हुए हैं, इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना होगा और इसके लिये प्रतिबन्ध लगाना होगा।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा यह प्रस्ताव राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव डालने वाला है, अतः माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय उपाध्यक्ष,माननीय सदस्य श्री चांदमलजी ने जो सदन में संकल्प पशुधन की निकासी को रोकने के लिए पेश किया है यह संकल्प बहुत ही अहमियत का है और इस पर सरकार को गौर करना चाहिये। मैं इस संकल्प के समर्थन के लिए अपना विचार आपके समक्ष प्रकट करूंगा। पशुधन की निकासी से राजस्थान में सबसे बड़ी क्षति होती है। हमारे राजस्थान प्रान्त का अधिक हिस्सा रेगिस्तान है और इसमें लोग ज्यादातर बकरी और भेड़ ही पालते हैं। अगर सरकार इनकी निकासी रोकती नहीं है और ये बाहर चले जाते हैं तो पशु पालने वाले लोग लालच में आकर पशुओं को बाहर बेच देते हैं और पशु बाहर चले जाते हैं और जो बाहर जाते हैं वे तो

[श्री संतोषसिंह]

सारे के सारे ही बूचरखाने में कटते हैं। मैं आपको परबतसर के एक सरकारी अधिकारी के बयान, जो उन्होंने पढ़े पढ़ कर आपको सुनाता हूं। उन्होंने यह लिखा है कि : (अश्रव्य) इस पर गौर करें। राजस्थान से १॥ करोड़ मन ऊन और ५ लाख भेड़ें, यह उन्होंने साफ लिखा है। ४ लाख भेड़े प्रतिवर्ष निर्यात की जाती है और (अश्रव्य) उसमें यह भी लिखा है कि राजस्थान में १० लाख भेड़े बूचड़खाना के काम में आती हैं और इस काम के लिये उन्होंने बताया कि १० लाख आदमी लगे हुए हैं। एक सरकारी ऑफिसर यह लिखते हैं कि १० लाख भेड़ें प्रतिवर्ष बूचड़खाने में काम आती हैं और चार लाख भेड़ें बाहर जाती हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान को इससे कितना नफा और नुकसान होता है। इसका रफ एस्टीमेंट मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ ६ लाख भेड़े और बकरे सालाना बाहर जाते हैं, यह तो वे आंकड़े हैं जो कस्टम वाले कहते हैं।

४ लाख हमारे एक सरकारी अधिकारी बताते हैं।

कुल १० लाख भेड़ बकरी प्रतिवर्ष बाहर जाती है।

१० लाख भेड और बकरी सालाना कट जाती हैं।

इस तरह से २० लाख पशु तो मारे ही जाते हैं। इससे क्या होगा कि २० लाख पशुओं के काटने वालों की मजदूरी समझी जावे तो ४ लाख तो कमा सकते हैं।

दूसरी तरफ देखा जावे तो १० लाख भेड़ों पर ६० लाख पौंड ऊन कटने आती है और एक पौंड की कम से कम रद्दी से रद्दी की ३ रुपये प्रति पौंड कीमत आती है। इस तरह से ६० लाख की १८० लाख रुपये कीमत होती है, जो काटे जाते हैं और ६० लाख पौंड ऊन की गांठे बांधी जावें तो १७ हजार गांठे बंधती है और अगर हर गांठ की मजदूरी ५) रुपये हो तो ८५ हजार रुपये मजदूरी के मिल सकते हैं और इसी ऊन की राजस्थान में कताई करें तो ३० लाख और बुनाई की जावे तो ३० लाख। इसी तरह ६० लाख का चमड़ा और १५ लाख की हड्डियें होती है।

यह ऊन बाहर जाने से सरकार को ३१५ लाख रुपयों का नुकसान होता है। ये जानवर नहीं भेज कर अगर यहीं रखें तो ३१५ लाख रुपयों का सरकार को फायदा होता है और यह फायदा पब्लिक को हो सकता है। ऐसी हालत में सरकार को चाहिये कि वह मादीन पशुओं को किसी भी हालत में बाहर नहीं जाने दे। पुराने राजाओं के जमाने में मादीन जानवरों का निर्यात किसी भी हालत में नहीं होता था। लेकिन अब तो हजारों जानवर बाहर जाते हैं। रेवड़ के रेवड़ पशुपालने वाले लालच के मारे बेच देते हैं और बाद में रोते हैं कि किस तरह से खावें-कमावें। ऐसी हालत में माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि राजस्थान की बेकारी को दूर करने के लिये इसको पास करने में किसी किस्म की आनाकानी नहीं की जावे।

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। श्री चांदमलजी ने जो संकल्प रखा है वह वास्तव में बहुत ही अच्छा है। राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है और पशुओं से हमारे देश की उन्नति होती है। राजस्थान बनने से पूर्व यहां भी विभिन्न इकाइयों और रियासतों में ऐसा कानून था कि मादा पशुओं को बाहर नहीं भेजा जाता था। दूसरी स्टेटों के बारे में मैं नहीं कह सकता लेकिन मेवाड़ के वास्ते मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वहां से मादा पशु बाहर नहीं भेजे जाते थे। पशुओं की उन्नति के लिये राजस्थान के अन्य भागों में भी यह आवश्यक है कि मादा पशुओं का निकास नहीं होना चाहिये। मादा पशुओं की निकासी पर प्रतिबन्ध लगाने से यहां पशुधन की वृद्धि होगी। हम यहां पर राजस्थान में कृषि की उन्नति के लिये सुविधा दे रहे है और इसके लिये क्या यह आवश्यक नहीं है कि कृषि-कार्य में सहयोग देने वाले पशुओं को भी बाहर जाने से रोका जावे और ऐसे पशुओं की वृद्धि तभी सम्भव है जब मादा पशुओं की निकासी रोकी जावे। जब राजस्थान में सिंचाई के साधन बढ़ जावेंगे तो यह आवश्यक हो जावेगा कि कृषि के योग्य भूमि ज्यादा की जावेगी और इसके लिए अधिक जानवरों की आवश्यकता होगी।' खेती के लिये दूसरी आवश्यक चीजों के लिये जैसे एनिमल प्रोड्यूस, खाद, चमड़ा, इस की भी आवश्यकता होगी। इसलिये यह आवश्यक है कि इसमें सब सहयोग दें।

इस संकल्प के दो पहलू भी हो सकते हैं, आर्थिक और धार्मिक। यदि हम दूसरे पहलू पर विचार करें जो रोचक है, इससे भी यह आवश्यक है कि उनकी निकासी रोकी जावे। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सिलसिले में एक एक्ट बनाया है कि मादा पशुओं की निकासी कतई बन्द कर दी जावे और उसके अनुसार वह बहुत जल्दी अमल करने जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहां भी गाय या गोधन की निकासी को एक दम बन्द करने के लिये सरकार कानून बनाए। वैसे यहां की जनता का मत भी सरकार के साथ है। सरकार को शीघ्र से शीघ्र ऐसा कानून बना कर गो-धन को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना बन्द कर देना चाहिये। परन्तु इसके लिये मादा पशुओं की निकासी को एक दम रोकना आवश्यक है। राजस्थान में पशु-धन का विकास हो और इसके लिये यह बहुतही आवश्यक है कि मादा पशुओं की निकासी रोकी जावे। हम चाहते हैं और इसलिये भी यह आवश्यक है कि पशुओं से होने वाला उत्पादन हमको जल्दी से जल्दी मिले और हमारे उद्योगों को आगे बढ़ा सकें। पशुओं से उत्पादन होने वाली घी, दूध, मक्खन इत्यादि आवश्यक वस्तुएं हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि मादा पशुओं की निकासी बन्द की जावे। तो इस प्रकार से इनकी प्रचुरता भी हमारे राजस्थान में हो सकेगी और उसके परिणाम स्वरूप जनसाधारण का स्वास्थ्य उन्नत हो सकेगा। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि मादा पशुओं को निकासी रोकी जावे ।

इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से, पशु से चमड़ा खाद इत्यादि कई चीजें उपलब्ध होती है। मादा पशुओं के बाहिर जाने से राजस्थान के पशु-धन को बहुत हानि पहुँच रही है। राजस्थान में भेड़ बकरियां बनिस्पत भारतवर्ष के और दूसरे राज्यों के अधिक संख्या में है। भेड़ों से ऊन का उत्पादन होता है और बकरे बकरियों से चमड़ा, मांस इत्यादि उपलब्ध होता है। राजस्थान में वैसे ही मांस

[श्री शम्भूसिंह]

काफी मंहगा है। धार्मिक वृत्ति से बकरियों का मांस यहां काम में नहीं आ सकता है, इसलिए बकरों की वृद्धि के वास्ते और भेड़ों की वृद्धि के वास्ते व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बकरे और भेड़े ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिलें और मांस जैसा आवश्यक खाद्य पदार्थ सस्ते भाव में उपलब्ध हो सके।

तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान से मादा पशुओं का निष्कासन रोक देना हर दृष्टि से आवश्यक है। मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सदन से निवेदन करता हूँ कि पशुओं की उन्नति के वास्ते, धार्मिक दृष्टि से भी इस प्रस्ताव पर विचार करें। इसमें कमी यह नजर आयी है कि राजस्थान में दुर्भिक्ष जैसी कैलेमिटी अक्सर आ जाती है और उस वक्त हमारे किसान पशुओं को लेकर मध्यभारत इत्यादि स्थानों को जाते हैं, तो ऐसी आवश्यकता पड़ने पर मैं समझता हूँ, लाइसेन्स देकर पशुओं को बाहर चरने को जाने के लिए इजाजत दी जा सकती है और पशु वापिस लेकर ही आवे ऐसी इजाजत दी जा सकती हैं, वरना मादा पशुओं का निष्कासन यहां से बन्द होना आवश्यक है।

अब रहा गोचर भूमि का सवाल। राजस्थान में अनएग्रीकल्चरेबल लेन्ड है, यानि जहां कृषि न हो सके ऐसी भूमि काफी मात्रा में है और ऐसे स्थानों में पशु-धन अधिक है। मैं समझता हूँ कि जहाँ कृषि की भूमि है वहां पशुधन कम है और जहां कृषि योग्य भूमि कम है वहां अधिक संख्या में है और चरागाह है तो मेरे खयाल से कोई जटिल प्रश्न उपस्थित होने वाला नहीं है। और भी कहीं कोई दिक्कत हो उसको सरकार समुचित रूप से हल कर दे व राजस्थान सरकार मादा पशुओं की निकासी के ऊपर प्रतिबन्ध शीघ्र से शीघ्र लगाने के वास्ते इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री ईश्वरीसिंह—जो चांदमलजी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसके विरोध में बोलता हूँ। राजस्थान लम्बा चोड़ो देश है जिमे भेड़ बकरी, अन्य और कई चीजां निपजे हैं। लोगों को खयाल है, कि भेड़ बकरी जाणो बाहर रोक दियो जावे। मैं या कहूँ कि बाहर का देशां में जठे कि अन्न वगैरा अनेक अनेक चीज़ां निपजे है वे शायद सोच ले कि राजस्थान में भी या चीज़ां निपजे है तो क्यों भेजी जावे, तो आपरो काई हाल होवे।

आप लोगों ने देखणा चाहिजे कि भेड़ बकरी बाहर क्यों जावे? आप लोगों को ध्यान यों रह गयो है कि भेड़ बकरी बाहर जावे नहीं तो आप खावें पीवें। म्हारी राय में बिलकुल बेकार चीज़ है। जकी चीज़ राखबा की है राखें। भेड़ बकरी बाहर से लावे तो नहीं लेजावे ही है। जाकी चीज़ मोल खरीदी है बाहर ले जावे तो ले जावे।

गाय की रोकथाम करनी चाहिजे। ईं की जरूरत क्यों है? बारिस आवे या न आवे। आज यों जको प्रजातन्त्र राज कहयो जावे है, कल्याणकारी राज कहयो जावे है उमें बूचड़खाना की कई जरूरत है? हिन्द को बंटवारो हो गयो, बूचड़खाना राखबा के वास्ते पाकिस्तान बना लियो। हिन्दुस्तान हिन्दुओं को है, इमें बूचड़खाना की कईं जरूरत है। जकी चीज़ रहे कि जकी जरूरत है। ऊपर की सरकार

[श्री इश्वरीसिंह]

से मांग करें कि बूचड़खाना कतई उठा दिया जाय । बूचड़खाना उठा दिया जाय तो बाहर क्यों जाय ? बूचड़खाना है फेर कल्याणकारी राज कहां सु कहावे । में विरोध में बोलता हूँ ।

श्री जगतसिंह भाला—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं । मैं सदन का ध्यान राजस्थान से निकासी होने वाली गायों की ओर विशेष रूप से आकृष्ट करूंगा । राजस्थान के अन्दर कस्टम टेरिफ होने के कारण राजस्थान से गौओं की निकासी बन्द है लेकिन मेरा यह दावा है कि टेरिफ के होते हुए भी राजस्थान से लाखों की तादाद में गौओं की निकासी होती है । राजस्थान में गो वध होने के कारण गायें बाहर जाकर काटी जाती हैं । यहां की गायें यू० पी० और पंजाब के अन्दर काटी जाती हैं । यू० पी० के अन्दर हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि बहुत जल्दी वहां गोवध-बन्दी कानून बनने वाला है । हालां कि हमारे यहां गोवध बन्द है किन्तु गौओं की निकासी जो होती है उससे लाखों की संख्या में गायों का वध होता है । हमारे यहां इस प्रकार का कोई कानून नहीं जिसके अनुसार यहां गायें न काटी जा सकती हों । मैं सदन का ध्यान खास तौर से इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि राजस्थान से अधिक मादा पशुओं की निकासी न हो, कम से कम इस वक्त यहां कस्टम कानून समाप्त हो रहा है इसलिए आगे के लिये यह बात निश्चित कर दी जानी चाहिये कि इनकी निकासी बिल्कुल बन्द कर दी जायगी ।

राजस्थान एक अभाव ग्रस्त इलाका हैं इसलिये लाखों की संख्या में यहां से गायों की निकासी होती है, बाहर चरने के लिये जाती हैं । राजस्थान सरकार का इस निकासी पर पूरा नियन्त्रण होना चाहिये । बाहर जो गाएँ जाती हैं उनकी बराबर देखरेख रखी जाय कि वापिस उतनी गायें आती हैं या नहीं । इस बारे में कई बार प्रश्न पूछे गये और कई बार अधिकारियों का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट किया गया, किन्तु इस ओर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है,

यह प्रस्ताव हमारे विरोधी दल की तरफ से नहीं है और यह प्रस्ताव श्री चान्दमल जी ने रखा है । जैसा कि उनके पहले प्रस्ताव पर व्हिप इश्यू होगया था उस पर भी व्हिप इश्यू न हो जाय जिस प्रकार उनको पहला प्रस्ताव वापिस लेना पड़ा था इस प्रस्ताव को तो कम से कम सरकार की ओर का ही प्रस्ताव मान लिया जाना चाहिए । इससे राजस्थान से पशुओं की निकासी होने के कारण जो पशुधन की हानि हो रही है वह भी रुक जायगी । गायों की निकासी के साथ साथ अगर अन्य मादा पशुओं की निकासी रुक जाय तो बहुत हितकर है, इसलिये अच्छा यह होगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय । इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प हाउस के सामने रखा है और उस पर जो अन्य माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है उस संबन्ध में मैं सब से पहले जो माननीय सदस्य ने आंकड़े पेश किये हैं उन आंकडों के विषय में ज्यादा न बतलाते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि अब तक जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं ने कहा कि गायों की निकासी बिल्कुल बन्द थी, इसके अलावा जो आंकड़े बकरी, भेड़ और ऊंटनियों के दिये गये वे भी ठीक प्रतीत नहीं हुए । इसके बाद में एक माननीय सदस्य ने आँकड़े दिये उन आंकड़ों

Page No.69

[श्री अमृतलाल यादव]
में भी बहुत अन्तर है। आंकड़ों की तरफ ज्यादा जाते हुए माननीय सदस्य ने कुल मिलाकर यह बताने की कोशिश की कि राजस्थान से भेड़ बकरियां और घेटियों की निकासी होती है उससे राजस्थान को कितनी क्षति हो रही है। इस क्षति के अन्दर यह भी बतलाया गया की इन पशुओं की निकासी से कितना मक्खन, दूध और चमड़ा और खाद का नुकसान हुआ है। आश्चर्य मुझे इस बात से ज्यादा हुआ कि इनके साथ फर्टीलाइज़र के उपयोग को भी जोड़ दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य को यह कैसे पता नहीं कि हम फर्टीलाइज़र फेक्टरी को राजस्थान में लाने के लिये कितनी कोशिश कर रहे हैं। यह बात माननीय सदस्यों से भी छिपी हुई नहीं है। मैं समझता हूं कि जिन्होंने यह बात कही, हमारे इस प्रस्ताव से असहमत नही होंगे कि राजस्थान के अन्दर फर्टीलाइज़र फेक्टरी कायम हो। अगर उस कारखाने का कोई उपयोग नहीं है तो इतने बड़े कारखाने देश में क्यों हो रहे हैं और इससे देश में इतना प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है? इससे यह कैसे साबित हो सकता है कि इससे पशुधन की क्षति हुई है। यह तो केवल आंकड़ों को फैलाने वाली बात है। ईश्वरीसिंहजी ने जो कुछ कहा उनके बाद में मुझे इस विषय में कुछ ज्यादा कहने की और प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि ये एक किसान परिवार से आये हैं, वे किसान की हालत को अच्छी तरह जान सकते हैं। वे खुद इस बात को ज्यादा सोच सकते हैं। भेड़-बकरियों की पैदावार किस कदर होती है, अगर उनका एक्सपोर्ट नहीं होता है तो यहां क्या स्थिति होती? यहां तक ही नहीं यहां की भेड़ें ऑस्टेलिया तक गई हैं और वहां के लोगों को ये रोजी देती है। भेड़-बकरियों और ऊंटनियों के बाहर जाने से कस्टम देने के बावजूद भी राजस्थान को क्षति हुई है, ऐसा जो कहा गया है तो मैं उसे नहीं मानता और न यह साबित ही हुआ है। इसको रोकने की जहां तक बात है अब तक कस्टम देकर जाते थे अब कस्टम नहीं लगेगा और वैसे ही चली जायंगी। इस बारे में मेरा यह कहना है कि राजस्थान से मादा पशुओं की निकासी पर ड्युटी रखी हुई है।

इसके बाद एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि राजस्थान से लाखों गायें बाहर कटने के लिये जाती हैं। इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। आपके सामने संकल्प रखने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं ने जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहा है कि यहां से गौओं की निकासी नहीं होती।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और खासकर राजस्थान भी कृषि प्रधान प्रान्त है। राजस्थान में अभी तक इस मायने में यन्त्रीकरण पूरा नहीं हुआ है इसलिये गायों का महत्व यहां बहुत ज्यादा है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ने इस बात को सोचा है कि कस्टम के उठ जाने से जो इनका एक्सपोर्ट रुका हुआ था, कस्टम के उठ जाने के बाद इसके एक्सपोर्ट की संभावना है। इस संकल्प के आने से पहले ही राजस्थान गवर्नमेंट ने इस और ध्यान दिया है कि इसको रोकने की क्या तजबीज की जा सकती है जिससे राजस्थान से गायें बाहर न जासकें। जहांतक इस संबन्ध में कानून बनाने का सवाल है कस्टम के एबोलिश होने के बाद यह कानूनी अख्त्यार नहीं रहता है कि हम इसे रोकें। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार पूर्णतया जागरूक है और जो भावना माननीय सदस्यों ने जाहिर की है उसकी कद्र करती है। मैं इसके साथ साथ आपको यह भी सूचना दे सकता हूं कि इस बारे में हमने भारत सरकार से बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और हमने अन्य प्रान्तों

[श्री अमृतलाल यादव]

से भी इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि वहां इस बारे में क्या किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न राजस्थान सरकार के विचाराधीन है कि इस ओर पूर्णतया कोशिश की जाय। खास तौर से जहां तक गायों की निकासी को रोकने का सवाल है इसके लिये जो कुछ कानूनी व्यवस्था हो सकती है उसके बारे में पूरा पूरा विचार किया जावेगा। इस आश्वासन के बाद मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को सन्तोष हुआ होगा। इसलिये वे अपने संकल्प को वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो संकल्प सदन के समक्ष रखा उस पर सिर्फ एक माननीय सदस्य को छोड़कर अधिकांश सदस्यों ने उसका समर्थन किया। कुछ सदस्य जो मौन थे उनके चेहरे और भाव मौन रूप में इसका समर्थन कर रहे थे। मैं यह भी मानता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय के चेहरे से यह मालूम हो रहा था कि वे इसका समर्थन कर रहे हैं। उनकी भावनाओं से, आन्तरिक तौर से यह प्रतीत हो रहा था कि वे इस संकल्प का समर्थन कर रहे थे। जो भावना उन्होंने सदन के सामने रखी, आंकड़ों के बारे में जो बात कही गई उसे मैं समझ नहीं पाया था। जो कुछ मैंने कहा माननीय मन्त्री महोदय उसे फालो नहीं कर सके। मैंने कभी नहीं कहा कि फर्टीलाइजर कारखाने का उपयोग राजस्थान में नहीं हो सकता। मेरा तो यह कहना है कि यह आर्टिफिशियल खाद, जहां पर खारा पानी है वहां अनुपयोगी साबित हुआ है और दूसरी बात यह है कि यह खाद ज्यादा पानी माँगता है जो कि राजस्थान में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने जनरल बातों के साथ साथ यह भी कहा कि राजस्थान सरकार यहां फर्टीलाइजर का कारखाना खोलने जा रही है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं लेकिन यह तो साफ है कि जो परिस्थिति में मैंने बताई उन दो परिस्थितियों में यह आर्टिफिशियल खाद उपयोगी नहीं होता।

आमतौर पर भेड़ बकरियों की जो मिंगनियां होती हैं उसका खाद हमारे राजस्थान के लिये बहुत उपयोगी साबित हुआ है। यह कोई नये तौर से साबित कर रहा हूं, यह बात नहीं। यह आम किसान जानता है कि इसके अलावा कोई दूसरा खाद राजस्थान में पूर्णतया कामयाब नहीं हो, सकती। जो आंकड़े मैंने दिये उन आंकड़ों के खिलाफ एक भी बात ऐसी नहीं कही गई कि जिससे मैं मानूं कि मेरे आंकड़े गलत हैं।

माननीय मन्त्रीजी ने गाय के बारे में जवाब दिया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अधिक अधिक धन्यवाद;इसके लिए कि उन्होंने कहा है कि सरकार का ध्यान पहले से ही इस ओर था और वे सदन की भावना की कद्र करते हैं।

गाय की चर्चा करते करते मैं देख रहा था कि दूसरे शब्द भी उनके मुंह से निकलते थे जिससे प्रकट होता था कि माननीय मंत्रीजी की भावना दूसरे पशुओं के लिए भी है। पर फिर भी वे ऐसा महसूस करते थे कि जो संकल्प यहां सदन में रखा गया है उसको पास नहीं होने देना है। मैं यह मानता हूं कि यह संकल्प पास होने के काबिल है और अगर आज अभी नहीं तो आगे जाकर वे भी यह महसूस करेंगे कि इस संकल्प को पहले पास नहीं करके उन्होंने गलती की है। पर फिर भी कोई हर्ज नहीं आइन्दा के लिए उनके लिए रास्ता खुला छोड़ते हुए मैं अपने इस संकल्प को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष:—क्या सदन की यह अनुमति है कि वे अपना संकल्प वापिस ले लें ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ।

जोबनेर कृषि कॉलेज सम्बन्धी संकल्प

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे यह मालूम हुआ है कि सरकार और सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच मेरे इस प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है, इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—जब आपने प्रस्तुत ही नहीं किया तो अपने आप ही ड्रॉप हो जाता है । क्या आप मूव करना चाहते हैं ?

श्री गुलाबचन्द—जी हां, मैं मूव नहीं करता ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता ।

खण्ड उद्योग को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी संकल्प

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प इस प्रकार है :

"इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान में खरड उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार को निम्न कार्यों के लिये सिफारिश की जावे :

(१) नीलम, पन्ना, माणक आदि रफ स्टोन्स के आयात करने का खुला लाइन्सेस दिया जावे ।

(२) आयात-निर्यात कर कार्यालय की एक शाखा जयपुर में स्थापित की जावे ।"

माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संकल्प बहुत साधारण है, लेकिन साथ ही बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

मैंने समय २ पर औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और समय समय पर सरकार की इस औद्योगिक विकास के सम्बध में कटु आलोचना भी की है । यह बात सही हैं कि सरकार का ध्यान इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातों की ओर गया है और वह खास तौर से कृषि और सिंचाई के साधनों के प्रसार की ओर गया है,पर इस औद्योगिक क्षेत्र में भी आशा यह की जाती है कि इसमें भी आगे नहीं बढ़े या बढ़ सकें हैं; तो पीछे हटने का मौका तो नहीं दिया जाना चाहिये । यह सभी आशा करते हैं ।

[श्री चांदमल मेहता]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस उद्योग की ओर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया है वह न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि दुनियां में एक महत्वपूर्ण उद्योग है और जो उद्योग चलता है वह है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। सदियों से जयपुर इसके लिए मशहूर रहा है और यह नीलम, पन्ना, माणक आदि दूसरे मुल्कों जैसे इगलैंड, चीन, रशिया, अमरीका आदि मुल्कों से रफ स्टोन के रूप में यहां आते रहे हैं और यहां आकर उनकी कारीगरी की जाती है और यहां से कट और पॉलिश करके उसी को बाहर भेजा जाता रहा है।

इस काम में यहां पर करीब २० हजार से अधिक आदमी विभाजन के पूर्व अपना निर्वाह चलाते थे, बल्कि इससे भी कुछ अधिक संख्या हो सकती है। पर जो २० हजार के आंकड़े मैं बता रहा हूँ वह है सरकार की ओर से दिये गये एक प्रश्न के उत्तर के आधार पर। पर विभाजन के बाद यह आंकड़े कुछ कम हो सकते हैं। तो विभाजन के बाद कुछ इस व्यापार पर ऐसा संकट आया कि यह उद्योग तेजी से ह्रास की ओर बढ़ा।

भारत सरकार ने जो नीति अपनाई, एक माने में तो वह बिलकुल ठीक नीति थी। उनका यह कहना था कि लग्ज़री की वस्तुएं कम से कम आयात की जावें और उसमें हमारे यहां का, मुल्क का जो धन बाहर जाता है उसको रोका जावे और लग्ज़री की वस्तुओं के साथ साथ उस हुक्म के अन्तर्गत यह नीलम, पन्ना, माणक आदि रफ स्टोन भी आते थे, इसलिए इनकी निकासी और आवक बन्द कर दी गई।

इस पर भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि यह लग्ज़री का सामान नहीं, बल्कि बहुत ही लाभदायक उद्योग है जिसके जरिये से हमारे यहां कच्चे माल के रूप में ये पन्ने, माणक, नीलम आदि आते थे और जिस पर २० हजार से अधिक व्यक्तियों का निर्वाह होता था। इसके अतिरिक्त दूसरा फायदा देश को यह मिलता था कि इससे हमें डॉलर भी मिलता है। हम सुलभ मुद्रा वाले मुल्कों से ये रफ स्टोन मंगाते हैं और दुर्लभ मुद्रा वाले मुल्कों में उसे पॉलिश करके और कट करके भेजते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है राजस्थान का और इस वास्ते इसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। हमारी भारत सरकार ने इस पर विचार किया और उसने महसूस किया कि वास्तव में यह बात वाजिब है और इस पर उन्होंने अपने पहले वाले हुक्म में अमेन्डमेन्ट किया और वह अमेन्डमेन्ट इस किस्म का था कि जितना माल बाहर जावे उतने मूल्य का माल हमें इम्पोर्ट करने के लिए इजाजत दे देंगे।

इसके अन्तर्गत जो यह धन्धा करीब करीब बन्द सा हो गया था कुछ विकास की ओर बढ़ा, लेकिन उस शक्ल में नहीं बढ़ पाया जिस शक्ल में यह पहले था। इसका कारण है वर्तमान लाइसेन्स की व्यवस्था। इस व्यवस्था के कारण परिणाम यह होता है कि जिसका बहुत बड़ा कारोबार है और जो यह सर्टीफिकेट दे सकते हैं कि उसने बाहर इतने लाख का माल भेजा है, वे ही इम्पोर्ट करने का अधिकार-पत्र प्राप्त कर सकेंगे इस कच्चे माल को मंगाने का। जो पहले यह सुविधा सारे ही व्यापारियों को थी खुले लाइसेन्स के रूप में वह व्यवस्था अब नहीं रही। और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है

[श्री चांदमल मेहता]

जिस पर हमें गम्भीरता से सोचना होगा और भारत सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना होगा ।

हम मान सकते हैं कि यह लग्ज़री की वस्तु है, पर हमारे देश में यह लग्जरी की वस्तु अब रही नहीं। इन्हें पहले राजा लोग इस्तेमाल करते थे; कन्ठे और सिर पंच आदि के रूप में। वे राजा लोग अब नहीं रहे। इसके बाद नम्बर आता था बड़े बड़े जागीरदारों का, वे भी आज नहीं रहे । ऐसी स्थिति में आज इसका अगर कोई ग्राहक है तो बाहर के मुल्क ही हैं। ऐसी स्थिति में इस धन्धे को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार को चाहिये कि वह इस पर ध्यान दे। इसके लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्री श्री गुहा से एक डेपुटेशन स्थानीय व्यापारियों का मिला और उनके सामने यह सारी स्थितिं रक्खी ।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति पदासीन)

उनके सामने यह बताया गया कि यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है । राजस्थान के इस महत्वपूर्ण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि खुले लाइसेन्स जारी किये जायं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम निश्चित तौर से विचार करेंगे, लेकिन राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया । मैंने सबसे पहले पिछले सेशन के वक्त में एक कटौती प्रस्ताव के जरिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और इस आधार पर मैंने अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लिया कि कम से कम इस मामले को स्टडी करके इसके सम्बन्ध में जांच करने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करेंगे। उसको मौका दें कि वह इस स्थिती को समझें। आखिर इससे कितना नुकसान हो रहा है ? उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह इस बात को करने के लिए सरकार तैयार है । तो उस वक्त मैंने कटौती प्रस्ताव वापिस लिया था, लेकिन उस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की कोई तवज्जह हुई हो, ऐसी बात नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने आश्वासन दिया और मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लिया ।

मैं निवेदन करूंगा माननीय चेयरमेन, आपकी मारफत कि यह एक ऐसा उद्योग है कि जिसके जरिये से राजस्थान का महत्व है विदेशों में, इंग्लेंड और फ्रान्स में। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि इसका भारत सरकार की पॉलिसी का सम्बन्ध है। मैं आपसे कहूँ कि भारत सरकार को यदि हम स्थिति का दिग्दर्शन नहीं करायेगें, जब तक इस स्थिति को भारत सरकार को नहीं बतायेगें, यह मुश्किल है। यहां के व्यापारियों ने रिप्रेजेन्टेशन किया है। उसके साथ में राजस्थान सरकार को जोर देना होगा। वह इस बात का जोर दे कि जिससे खुले लाइसेन्स जारी हो सकें।

दूसरी बात जो मेरे इस संकल्प का अंग है वह अंग यह है कि आयात-निर्यात कार्यालय की एक शाखा जयपुर में स्थापित की जाय । माननीय चेयरमेन, जब यहां जो माल तैयार होता है, बाहर से कच्चा माल आकर, उस तैयारी के मुताल्लिक मैं कह सकता हूँ कि जयपुर के कारीगर इतने

[श्री चांदमल मेहता]

निपुण हैं कि एक रत्ती में १०० नग तैयार कर सकते हैं और उसमें वह कारीगरी दिखा सकते हैं कि जिसको देखकर अमेरिका, फ्रान्स आदि देशों के लोग चकित हो जाते हैं। ज्योंही वह माल तैयार होकर बाहर भेजा जाता है तो उनके सामने यह स्थिति आती है कि एक्सपोर्ट ड्युटी अदा करने के लिये उन्हें बम्बई जाना पड़ता है। उस पर बहुत बड़ा खर्चा होता है। माल के प्रचार के लिए यहां के व्यापारियों के लिए आवश्यक हो जाता है कि नमूने के तौर पर वे सामान इंग्लेन्ड या फ्रान्स भेजें। दूसरे मुल्कों को नमूने के तौर पर भेजते हैं। तो कस्टम में एक्सपोर्ट ड्युटी के लिए उनको जाना पड़ता है बाहर और अगर बाहर से जो माल वे पसन्द नहीं करें तो वह वापिस आता है तो एक्सपोर्ट ड्युटी के रिफन्ड के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि यह उद्योग जिसको आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है और इसको पहले से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के टेक्सेज़ के इनकमटेक्स, कपड़े की ड्युटी तथा और तरह के टेक्सेज की वसूली करने के लिए इस तरह के ऑफिसेज मौजूद हैं तो इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय कि माल यह जो यहां से बाहर जाता है या जो नमूने के तौर पर भेजा जाता है वह पसन्द नहीं आये और वापिस आये तो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट ड्युटी का रिफन्ड जो कुछ वे देते हैं यह सारी व्यवस्था जयपुर में हो जाय तो यह उद्योग काफी आगे पनप सकता है। इस सम्बन्ध में यहां का एक डेपुटेशन पिछले वर्ष भारत सरकार के मन्त्री श्री गुहा से मिला था, और वह खुद यह सोचते थे कि वास्तव में यह महत्वपूर्ण बात है और इस बात पर विचार करना चाहिए। माननीय चेरमेन, मैं यह निवेदन करूंगा माननीय उद्योग मन्त्रीजी से कि यह जो मैंने संकल्प रखा है वह महत्वपूर्ण है और वह इस उद्योग को आगे बढ़ाने वाला है। हमारा यह महत्वपूर्ण उद्योग है जिसका एक प्रकार से ह्रास हो चुका है, उसको फिर से आगे बढ़ाने के लिये कोशिश करनी है जो कि डॉलर की कमाई देने वाला है। यह एक ऐसी चीज नहीं है जिसको कि आम तौर पर यह कह कर टाल दिया जाय कुछ शब्दों में जो कि शब्द उनको कन्विन्स नहीं करें और इस तरह से उन्हीं शब्दों में टाल दिया जाय, यह इस तरह का संकल्प नहीं हैं; बल्कि यह संकल्प विचार करने और इस उद्योग को आगे बढ़ाने का है। अतएव मैं निवेदन करूंगा माननीय उद्योग मंत्रीजी से एवं सदन के सदस्यों से कि वे एकमत होकर इस संकल्प को मन्जूर करें, और जयपुर का जो यह उद्योग पिछड़ गया है उसको आगे बढ़ाने में सहयोग दें।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय चेयरमेन, माननीय सदस्य श्री चांदमलजी मेहता, ने जो संकल्प नीलम, पन्ना और माणक के खुले लाइसेन्स के लिए रखा है, उसके समर्थन में कुछ शब्द आपको समक्ष कहना चाहूँगा।

माननीय चेयरमेन, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है जयपुर में जहां तक जवाहारात पर कारीगरी करने की बात है वह कारीगरी दुनिया में मशहूर है। तो ऐसी हालत में मेरा भी सुझाव है कि सरकार को चाहिए कि जो खनिज पदार्थ; नीलम, पन्ना और माणक बाहर से आते हैं उनके लाइसेन्स खुले होने चाहिए ताकि वे अधिक मात्रा में और अधिक आसानी से आ सकें, और यहां के बेकार कारीगरों को काम मिले और अपनी कारीगरी बताने का मौका आये और जिसकी वजह से

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]
जो बेकारी का मसला है उस बेकारी को दूर करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। ऐसी हालत में खुले लाइसेन्स का होना जरूरी है ।

दूसरा आपने यह बताया कि यहां आयात-निर्यात के कार्यालय की शाखा होनी चाहिए तो माननीय चेयरमेन, वाकई में राजस्थान की राजधानी जयपुर में सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ऐसा दफ़्तर होना बहुत जरूरी है। यहां से विदेशों को जो भी माल भेजते हैं उसका लाइसेन्स लेने के लिए बम्बई, कलकत्ता जाना पड़ता है जिससे बहुत भारी खर्चा पड़ता है। वह उन वस्तुओं पर आकर पड़ता है जिससे वह मंहगी हो जाती है। इसी वजह से दूसरे प्रान्तों में इस प्रकार के सेन्ट्रल के आयात-निर्यात के कार्यालय की शाखाएं वहां हरेक जगह मौजूद हैं और राजस्थान में इसका अभाव है तो यहां पर भी एक कार्यालय सेन्ट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश करके जल्दी से जल्दी खोला जाय तो इसमें हमारी सरकार को कतई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे कि जिस प्रकार पहले प्रस्ताव को वापिस लेने के लिए कहा, वैसा इसको नहीं करके कुछ काम करने का आश्वासन देकर कुछ करके बताये। मैं इसका समर्थन करता हूँ ।

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग एवं व्यवसाय मंत्री)—सभापति महोदय, नीलम, पन्ना, माणक आदि रफ स्टोन्स के आयात-निर्यात का लाइसेन्स कन्ट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स एन्ड एक्सपोर्ट्स,नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। राजस्थान सरकार और राजस्थान चेम्बर ऑफ कामर्स जितनी भी, जिस तरह की सुविधा दिलाई जा सकती है उसके लिए प्रयत्न अवश्य कर रही है।

खरड के कटिंग, प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग में लगभग १५ हजार व्यक्ति लगे हुए हैं, यह भी बात ठीक है और उनको हर प्रकार का प्रोत्साहन और सहयोग देना चाहिए; इसको भी सरकार स्वीकार करती है। साथ ही २ से ३ लाख रुपये के मूल्य का खरड बाहर से आयात किया जाता है। राजस्थान सरकार ने और चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने केन्द्रीय मन्त्री श्री गुहाजी तथा केन्द्र के अर्थमन्त्री महोदय के सामने ये बातें रखी थीं और उन्होंने कुछ उचित कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने जब प्रयत्न किया था तो जितना कोटा था उसका २५ प्रतिशत बाहर से आयात करने की स्वतंत्रता मिल चुकी है और इसका सवा छः पर्सेन्ट डॉलर क्षेत्र से लाने की स्वतंत्रता गत वर्ष मिली थी। इस वर्ष में इस बात को दिलाने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है और यह लाइसेन्स भी जल्दी ही उनको मिल जावेंगे।

आयात-निर्यात कार्यालय की शाखा यहां खोलने का जो विषय है उसका सम्बन्ध भी केन्द्र से है। राजस्थान सरकार और चेम्बर ऑफ कोमर्स इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे माननीय मित्र इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि यह केन्द्र का विषय है और उसमें राजस्थान सरकार हमेशा से जितना उससे प्रयत्न हो सकता है उसमें सहयोग देने का प्रयत्न करती रही है और भविष्य में भी करेगी। इसलिए मेरा यह विश्वास है कि माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापिस लेंगे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, जिस तरह के जवाब की मैं कल्पना कर रहा था। उसी तरह का जवाब हमारे सामने मौजूद है । माननीय मंत्रीजी ने चेम्बर ऑफ कॉमर्स का हवाला

[श्री भोगीलाल पंड्या]

दिया और सरकार का हवाला दिया और यह भी कहा कि जितना फायदा पहुँचाया जा सकता था पहुँचाया गया और पहुंचाया जा रहा है। मैंने एक डेफिनिट चीज़ रखी थी कि खुले लाइसेन्स के बारे में क्या कर रहे हैं ? इस बारे में मन्त्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि इतने पर्सेन्ट पिछले वर्ष इजाजत मिली और इतने पर्सेन्ट अब मिलेगी, लेकिन खुले लाइसेन्स के लिये भारत सरकार को सिफारिश करें, इस बारे में सरकार के सामने क्या रुकावट है इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आपने चेंबर ऑफ कॉमर्स का हवाला दिया। मैं निवेदन करूंगा कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स उन केपिटेलिस्टों की संस्था है जो छोटे व्यापारियों को जिन्दा नहीं रहने देना चाहते। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ आदमियों का प्रभाव सरकार पर है और उसी आधार पर खुले लाइसेन्स रोके गये हैं। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बड़े आदमी हैं जो चाहते हैं कि यदि खुला लाइसेन्स दिया गया तो प्रत्येक आदमी बाहर से माल मंगायेगा और उनके हाथ में जो मार्केट है वह उनके हाथ से निकल जायेगा और उनके बात की पुष्टि मन्त्रीजी ने कर दी कि चेंबर ऑफ कॉमर्स कार्यवाही कर रहा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स कुछ आदमियों के हाथ में है और वे चाहते हैं कि उनके प्रभाव में कमी न हो। वह पूरा ही पूंजीपतियों के हाथ में है, जो छोटे आदमियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। यह व्यापार चन्द पूंजीपति आदमियों के हाथ में ही है। सरकार यदि यह देखे कि कितने आदमी बाहर से माल मंगाते हैं तो केवल चन्द पूंजीपतियों के नाम ही सामने आयेंगे और वे आदमी चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य और प्रेसिडेन्ट हैं। क्योंकि हमने चेम्बर ऑफ कॉमर्स नामकी संस्था बना दी है इसलिए उनको ही मौका दिया है। मैं समझता हूँ कि यह पॉलिसी सरकार की नहीं होगी कि छोटे आदमियों को मौका नहीं दिया जाय।

दूसरी बात जो कही मन्त्रीजी ने इस तरह के कार्यालय के लिये चेम्बर ऑफ कॉमर्स और सरकार प्रयत्नशील रहे, उसके लिये उन्हें धन्यवाद। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं मंत्रीजी से यह कहूंगा कि इस विषय को यदि पूरी तरह से उन्होंने स्टडी नहीं किया है तो वे स्टडी करें। मैं इस संकल्प को तो वापिस ले लूंगा लेकिन क्योंकि मैं इसे वापिस लेलूंगा इसलिये सरकार इस बारे में स्टडी न करे तो सरकार का कोई भला नहीं होगा। सरकार ठंडे दिमाग से सोचे कि कितने आदमियों ने बाहर से माल मंगाया है और कितने आदमियों को इससे फायदा हुआ। मुझे विश्वास है कि इस तरह की छानबीन कर नतीजे पर पहुँचेगें तो कोई कारण नहीं कि भारत सरकार को सिफारिश न करें। यह मानता हुआ कि मंत्रीजी इस पर सोचेंगे और उधोग-धन्धों को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटेंगे, मैं अपना संकल्प वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—क्या सदन की अनुमति है कि श्री चांदमल को संकल्प वापस लेने की इजाजत दी जाय ?

श्री जसवन्तसिंह—'हां-ना' तो करवाइये।

श्री सभापति—वापिस लेने की अनुमति मांगी है।

श्री जसवन्तसिंह—This side of the House is against permission being granted because he has always been forced to with-draw them, which is against the princi-

[श्री जसवन्त सिंह]

ples of democratic Government, and we want that this practice should be stopped. Therefore the House does not think it necessary to record permission. Two hours have been wasted and with what result ? Eventually the Hon'ble member has had to withdraw his resolution, though he accepts that the reply given by the Hon'ble Minister is not satisfactory; but circumstances force him to withdraw it. This is very bad, and we oppose it on principle. We on this side feel that all this time has been wasted for nothing and then he has been forced to withdraw it. We oppose it.

श्री सभापति—जैसा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जाहिर किया है मैं दोनों पक्षों की राय ले लेता हूँ कि कौन इन्हें संकल्प वापिस लेने की अनुमति देता है और कौन नहीं । श्री चांदमल मेहता ने संकल्प नं० ४ वापिस लेने की अनुमति चाही है । जो अनुमति देने के पक्ष में हैं वे 'हां' कहेंगे और जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहेंगे ।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग एवं व्यवसाय मन्त्री)—'हां' पक्ष जीता ।

श्री सभापति—Do You Want Division.

श्री भोगीलाल पंड्या—Yes, Sir,

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति—संकल्प नं० ४ जो श्री चांदमल मेहता ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की अनुमति के बाबत सम्मति ली जाती है । क्या सदन की सम्मति है कि श्री चांदमल मेहता को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय। ।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की इजाजत दी गई ।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति—संकल्प वापिस लिया गया ।

श्री सभापति—अब समय हो गया है । आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है, कल शाम को ४ बजे वापिस मिलेंगे ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—डॉवरी को खाली पेश ही करना है उसे पेश करने दिया जाय।

श्री सभापति—अब समय हो चुका है, I Can't help,

(तत्पश्चात सदन की कार्यवाही १२ बजकर ३० मिनट पर, बुधवार दिनांक १६ मार्च, १९५५ सायंकाल ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, १५ मार्च, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर देखिये)

संख्या	नाम	ट्रेनिंग का विषय	जगह का नाम जहां ट्रेनिंग के लिये गये।	खर्च किया गया रुपया (वेतन सफर खर्च के अलावा)
१.	२.	३.	४.	५.
१.	श्री आनन्द प्रकाश आसोवा, डिस्ट्रिक्ट वेटेरनरी ऑफिसर	स्टेटिसटिक्स	देहली	१११०–
२.	श्री जे. एम. ललवानी, आई.ए.एस. ओ. एस. डी. फाइनेन्स	वित्त की ट्रेनिंग	लखनऊ नागपुर बम्बई व कलकत्ता	५०८०–१०–
३.	श्री डी. के. व्यास, सहायक सचिव	सेक्रेटरियेट की ट्रेनिंग के लिये।	बम्बई	६८३–१२–
४.	श्री एस. के व्यास, सहायक सचिव	,,	बम्बई	६२०–
५.	श्री रामनारायण, सहायक सचिव	,,	बम्बई	११३०–
६.	श्री टी. एन. चतुर्वेदी, कॉम्युनिटी एस. डी. ओ. कम बी. ई. ओ.	कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट तथा नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस की ट्रेनिंग	निलोखेडी (पंजाब)	८३०–१०–
७.	श्री बालासहाय. आर. ए. एस. एजन	एजन	एजन	५७८–
८.	श्री उम्मेदसिंह, एजन	एजन	एजन	५७८–
६.	श्री चतरसिंह पंचोली	एजन	एजन	५७८–
	ब्लॉक डवलपमेन्ट ऑफीसर			
१०.	श्री कुन्दनलाल, आर. ए. एस.	एजन	एजन	५४०–
११.	श्री यासीन अली खां, आर. ए. एस ब्लॉक डेवलपमेंट कम बी. इ. ओ.	एजन	एजन	६३७–८
१२.	श्री रनधीरसिंह, आर. ए. एस.	एजन	एजन	७००–

१३.	श्री के. एल. बरावा, आर. ए. एस.	एजन	एजन	७२७–८
१४.	श्री हजारीलाल मेहता, आर. ए. एस.	एजन	एजन	६६०–
१५.	श्री जगपालसिंह, आर. ए. एस.	एजन	एजन	
१६.	श्री नन्दलाल माथुर, आर. ए. एस.	एजन	एजन	
१७.	श्री दामोदर लाल खंडेलवाल. आर. ए. एस.	एजन	एजन	५६२–८
१८.	श्री गोपालसिंह, तहसीलदार कम पी.डी.ओ.	एजन	एजन	३७५–
१९.	श्री धर्मवीर एजन	एजन	एजन	५०२–८
२०.	श्री भूरामल व्यास तहसीलदार कम पी. डी. ओ.	कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट तथा नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस की ट्रेनिंग	निलोखेडी (पंजाब)	३७५–
२१.	श्री आर. सी. पारीक एजन	एजन	एजन	३०७–८
२२.	श्री बालकृष्ण शर्मा एजन	एजन	एजन	३५७–८
२३.	श्री जगन्नाथ शर्मा एजन	एजन	एजन	३७५–
२४.	श्री आर.एन.मलहोत्रा, आइ.ए.एस., एस.डी. ओ. एन्ड. डी. ओ.	एजन	एजन	
२५.	श्री कैलाशचन्द, आर. ए. एस. एस. डी. ओ. ऐन्ड. डी. ओ.	एजन	एजन	
२६.	श्री ओंकारसिंह, आर. ए. एस.	एजन	एजन	
२७.	श्री सरफअली, आर. ए. एस., एस. डी. ओ. कम पी. ई. ओ	एजन	एजन	६९०–
२८.	श्री मोतीलाल गुप्ता, तहसीलदार कम पी. डी. ओ.	एजन	एजन	३७५–
२९.	श्री यशोदेव शर्मा आर. ए. एस	एजन	एजन	
३०.	श्री हरीनारायण शर्मा	एजन	एजन	
३१.	श्री मोहेन्द्रसिंह, आई. ए. एस.	एजन	एजन	

Page No.81

३२.	श्री काशीराम गोयल, आर. ए. एस.	एजन	एजन	
३३.	श्री बलदेवकृष्ण विंजू, आर. ए. एस.	एजन	एजन	
३४.	श्री एस. पी. मेनी. आर. ए. एस.	एजन	एजन	
३५.	श्री जे. एस राजोरा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस	कॉमुनिजम कोर्स	देहली	४४५—८
३६.	श्री प्रयागराय माथुर, तहसीलदार	स्टेट गवर्नमेन्ट की प्राइमरी रिपोर्टिंग एजेन्सीज़ की ट्रेनिंग	एजन	
३७.	श्री भगवानचंद, तहसीलदार	एजन	एजन	
३८.	श्री रतनचंद महेश्वरी तहसीलदार	एजन	एजन	
३९.	श्री ए. एच. खां	एजन	एजन	
४०.	डाक्टर श्री कृपाकिशन व्यास डिस्ट्रिक्ट वेटेरनरी ऑफिसर	एनीमल माइनो कोलोजी	स्वीडन	१००००
४१.	श्री आर. एस. धोमन, स्टेट ऑर्गेनाइज़िंग कमिश्नर, स्काउट्स एंड गाइड्स	यूथ वेलफेयर	अमेरिका	
४२.	श्री यू. एस. गौड़, चीफ सोशियल ऑर्गेनाइज़र, डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट	सोशियल वेलफेयर	अमेरिका	२७६०—
४३.	सुश्री. ए. बी. करकरे, हैड मिस्ट्रेस, महारानी गर्ल्स हाई स्कूल, जयपुर	यूथ वेलफेयर	युनाइटेडकिंगडम व स्वीडन	१३७२—३
४४.	श्री द्वारका नाथ पुरोहित, आई.पी.एस.	सीनियर डिटेक्टिव कोर्स	स्कॉट लेंड यार्ड व युनाइटेड किंगडम	
४५.	श्री ब्रजरंगीलाल, आर. पी. एस	एजन	एजन	
४६.	श्री हरिदत्त गुप्ता, एग्ज़िक्युटिव इन्जीनियर बिल्डिंग्ज़ एंड रोड्स,	हाईवेज इंजीनियरिंग	आस्ट्रेलिया	-

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर देखिये)

क	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ में, रिफ्रेशर कोर्स की ट्रेनिंग	९
	वित्त सम्बन्धी	१
	सर्वे व सेटिलमेन्ट की ट्रेनिंग	५
	असिसटेन्ट कलेक्टर व मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग	१३

ख, ग, घ, सूचना सदन की मेज पर रखे हुये नक्शे के स्तम्भ २, ३, ४, ५ व ६ में दी हुई है।

ङ ५७५८६ रुपया खर्च हुआ।

[पुलिस विभाग के ९ अफसरों को जिन्हें किशनगढ़ में रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा गया पर चूंकि यह कोर्स उनकी ड्युटी का ही भाग समझा जाता है इस कारण उनको खर्चा नहीं दिलाया गया है।]

श्री चांदमल मेहता का तारांकित प्रश्न संख्या ४ सी० एम० के० खंड ख, ग, और घ का उत्तर

संख्या	नाम	योग्यता	विषय जिसमें ट्रेनिंग दी गई।	ट्रेनिंग का समय	ट्रेनिंग काल में दिया गया वेतन।
१.	२.	३.	४.	५.	६.
आई. ए. एस. ऑफिसर					
१.	श्री के. एम. ललवानी,	बी.ए.एल.एल.बी.	अर्थ विभाग सम्बन्धी	१०- १-५४ से २०- ६-५४	३२६१- ४-०
आर. ए. एस. ऑफिसर					
२.	श्री हरिनारायण माथुर,	बी. ए.	असिसटेन्ट कलक्टर व मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग।	९- ७-५४ से ३१- १-५५	२४२७- १-६
३.	श्री के. के. नरूला,	एम.ए.एल एल.बी	एजन	१- ४-५४ से ३१- १-५५	३८५०- ०-०
४.	श्री मोहनसिंह,	एजन	एजन	१४- ९-५४ से ३१- १-५५	१६५९- २-९

५.	श्री गुलाबसिंह,	बी.ए.एल-एल.बी	एजन	२६- ७-५४ से ३१- १-५५	३१६२–११–०
६.	श्री बी. एल. भाटिया,	एल एल.बी	एजन	२५- ७-५४ से ६-११-५४	१८४६–१४–८
७.	श्री आर. सी. सिन्हा	एम.एस सी. एल-एल.बी.	एजन	६- ४-५४ से ३१- १-५५	४३२८–१३–८
८.	श्री बी. एल. काबडिया	बी.एस सी एल-एल.बी	एजन	१- ४-५४ से २८- ६-५४	२२८४– ५–४
९.	श्री विरेन्द्रवीर ब्रज	एम.ए. एल-एल.बी.	एजन	१- ४-५४ से ११-१०-५४	२२८१– १–३
१०.	श्री महादेवमल सिंघवी	बी. कॉम.	एजन	१- ४-५४ से ३१- १-५५	४३५०– ०–०
११.	श्री गोपालचन्द्रसेन	बी.ए.एल-एल.बी.	एजन	१- ४-५४ से २३- ८-५४	२७३८– ७–६
१२.	श्री हरनाथसिंह मेहता	बी.ए.	एजन	१- ४-५४ से ३१- १-५५	८५७२– ४–१
१३.	श्री बलराज जोशी	बी.एस सी.	एजन	एजन	३८५४– ४–३
१४.	श्री जैसिंह		एजन	४- ४-५४ से ३१- १-५५	४०५९– ०–०
१५.	श्री विनायक दत्त	बी.ए.,एल-एल.बी.	सर्वे और सेटिलमेंट की ट्रेनिंग	१- ४-५४ से ४-१०-५४	२२७९– ०–६
१६.	श्री गोकलप्रसाद	बी.ए.,एल एल.वी.	एजन	२६- ८-५४ से ३१- १-५५	१८३३– ६–१
१७.	श्री बृज बल्लभ मेहता	एम. ए. एल एल.बी.	एजन	१५-१०-५४ से ३१- १-५५	१३६६– २–१
१८.	श्री जगदीशनारायण माथुर	बी.कॉम. एल एल.बी.	एजन	१६- ८-५४ से २६- १-५५	२०२४– ५–६

१६. श्री जगरूप सहाय माथुर	बी.एस सी. एल एल.बी.	एजन	४-१०-५४ से ३१- १-५५	१४०५— २-७

पुलिस विभाग

२०. श्री जगन्नाथ	इन्टरमिडिएट	रिफ्रेशर कोर्स की ट्रेनिंग	१- ३-५४ से ३१- ५-५४	
२१. श्री बालूसिंह	इन्टरमीडिएट कोर्स	एजन	एजन	
२२. श्री उपेन्द्रनाथ मिश्रा	बी.एस सी.	एजन	एजन	
२३. श्री सरदार रामसिंह	मैट्रिक ऑनर्स पंजाबी में	एजन	एजन	
२४. श्री मुकुटबिहारी	मैट्रिक फेल	एजन	१- ३-५४ से २८- ५-५४	
२५. श्री भैरूसिंह	७ वीं	एजन	१- ७-५४ से ३०- ६-५४	
२६. श्री शंभूनाथ भार्गव	बी.ए.	एजन	३- ७-५४ से ३०- ६-५४	
२७. श्री अमरसिंह	हायर डिप्लोमा मेयो कॉलेज	एजन	१- ७-५४ से २४- ८-५४	
२८. श्री जोरावरसिंह	मैट्रिक	एजन	१- ७-५४ से ३०- ६-५४	

परिशिष्ट ३

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्न कर्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है ।)

५६. (२८/ आर. एम.) श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ४६-क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में राजनैतिक पीड़ित होने के कारण कितने मनुष्यों को भूमि अलॉट हुई है या कोई दूसरी सहायता दी गई है ? उनकी राजनैतिक सेवायें क्या हैं ?

(ख) ऐसे कितने मनुष्य हैं जिन्हें राजनैतिक पीड़ित होते हुए भी भूमि नहीं दी गई है? उसका क्या कारण है?

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई कि जिन लोगों को राजनैतिक पीड़ित होने के कारण भूमि अलॉट हुई है उनको राजनीति में भाग लेने के कारण कोई आर्थिक हानि हुई भी या नहीं?

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी जांच कराने को क्या सरकार अब तैयार है?

उत्तर

(क) इसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(ख) इस विषय में निम्न व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र सरकार के विचाराधीन है:

१. मुसम्मात धींसी, जिला चित्तौड़गढ़।

२. तीन मामले जिले गंगानगर के।

इनके अतिरिक्त कोई भी प्रार्थना पत्र सरकार के पास नहीं आया है।

(ग) राजनैतिक पीड़ित होने के कारण ही उक्त व्यक्तियों को भूमि अलॉट की गई है। जांच की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) भूमि का अलॉटमेंट आवश्यक जांच के पश्चात ही किया गया है।

(a) The land has been allotted to the following persons as Political sufferers in this District:—

S. No.	Name	Area allotted	District.		
1	2	3	4	5	6
1	Shri Sardara Ram of Dadu Khera.	50 Bighas.	Ganganagar	On temporary cultivation	
2.	„ Sant Singh	50 Bighas Nehri land	„	Sold on instalment basis on Government fixed price.	
3	„ Mela Ram	50 Bighas Nehri land	„	-do-	
4.	„ Shiv Kanwar Singh	50 Bighas Nehri land	„	-do-	

Page No.86

5.	„ Suraj Ram.	37½ bighas Nehri land	„	-do-

Sanction in the following cases has been received but land has not so far been allotted as the applicants have not yet intimeted as to which land they want.

1.	Shrimati Mula Bai widow of Shri Birbal who died in Military firing at Rai singh nagar.	25 Bighas Nehri land.	Ganga-nagar	Free of cost.
2.	Shri Bal Chand Mudgal r/o, Bhadra.	25 Bighas Nehri land	-do-	On instalment basis.
3.	Shri Jiwan Dutta Parbhakar Son of Pt. Lekhram Gangangar	25 Bighas Nehri land	-do-	-do-
4.	Shri Nathu Ram Ganganagar	25 Bighas Nehri land	-do-	-do-
5.	Dr. Parma Nand Ganganagar	25 Bighas Nehri land	-do-	-do-

५८. (२६/आर.एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, एमएल.ए., डिवीजन नम्बर ४६—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखिति प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर जिले के किसान आन्दोलन में भाग लेने के कारण कितने लोगों की आराजी काश्त पर मिली हुई जमीनें कैन्सिल की गईं ?

(ख) उनमें से जिन आदमियों ने अपीलें कीं उनमें से कितनों की जमीनें बहाल हुई और कितनों की नहीं ?

उत्तर

क. गंगानगर जिले के वाक्याना आन्दोलन में भाग लेने के कारण २६ आरजी काश्तकारों का अलॉटमेन्ट मंसूख किया गया।

ख. २५ आदमियों ने अपीलें कीं जिनमें से ४ की जमीनें बहाल की गईं। परन्तु तब यह आदेश दे दिये गये हैं कि इस प्रकार कैन्सिल की हुई जमीनें वापिस कर दी जावें।